**पंजीकृत डाक/समयबद्ध**

**उत्तर प्रदेश शासन**
**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9**
**संख्या–2456 /आठ–9–23–13जांच/2013**
**लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2023**

**श्री अमृत पाल सिंह,**
तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0),
सम्प्रति सेवानिवृत्त,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
**पता :–** के–1, कहकशां, अवध अपार्टमेन्ट,
विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

---

आपकी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तैनाती अवधि में प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में बिना आवश्यकता के विद्युत सामग्री क्रय कर प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–216/आठ–5–14–13जाँच/13 दिनांक 29.01.2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त कार्यवाही के संचालनार्थ आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

**2–** जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2023 द्वारा जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में आप पर अधिरोपित कुल 04 आरोप में से आरोप संख्या–1 पूर्ण रूप से एवं आरोप संख्या–2 व 3 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये हैं।

**3–** अतएव जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 18.09.2023 की **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक सहित)** कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपना अभ्यावेदन शासन को **15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप** से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर आपको कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा।

**संलग्न : यथोक्त।**

**(चन्द्र श्याम मिश्र)**
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक : यथोक्त।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को श्री अमृत पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0) की 01 अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित है कि श्री सिंह को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
19.10.2023
**(चन्द्र श्याम मिश्र)**
अनु सचिव।

E:\Avnish Chaudhary RO\UO

**पंजीकृत डाक/समयबद्ध**

**उत्तर प्रदेश शासन**
**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9**
**संख्या–2446 /आठ–9–23–13जांच/2013**
**लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2023**

**श्री अमृत पाल सिंह,**
तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0),
सम्प्रति सेवानिवृत्त,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
**पता :–** के–1, कहकशां, अवध अपार्टमेन्ट,
विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

---

आपकी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तैनाती अवधि में प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में बिना आवश्यकता के विद्युत सामग्री क्रय कर प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–216/आठ–5–14–13जाँच/13 दिनांक 29.01.2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त कार्यवाही के संचालनार्थ आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

**2–** जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2023 द्वारा जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में आप पर अधिरोपित कुल 04 आरोप में से आरोप संख्या–1 पूर्ण रूप से एवं आरोप संख्या–2 व 3 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये हैं।

**3–** अतएव जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 18.09.2023 की **छायाप्रति संलग्न (संलग्नक सहित)** कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपना अभ्यावेदन शासन को **15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप** से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर आपको कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा।

**संलग्न : यथोक्त।**

19.10.2023

**(चन्द्र श्याम मिश्र)**
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक : यथोक्त।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को श्री अमृत पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0) की 01 अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित है कि श्री सिंह को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(चन्द्र श्याम मिश्र)**
अनु सचिव।

E:\Avnish Chaudhary RO\UO

संख्या......2446......../आ०-9-2023

R-11095

गोपनीय / विशेष वाहक द्वारा।

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

11355/M/ACS4/23

26-09-2023

( विनोद शर्मा )
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–05,
लखनऊ।

संख्या : 2538/28–86/2012–14 दिनांक 18 सितम्बर, 2023

विषय :– **श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ), (सेवानिवृत्त), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–05, उ०प्र० शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०–216/आठ–5–14–13जांच/13 दिनांक 29–01–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ), (सेवानिवृत्त) द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में बिना आवश्यकता के विद्युत सामग्री क्रय कर प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पंहुचाये जाने सम्बन्धीं आरोपों के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पायें जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध सी०एस०आर० के अनुच्छेद 351ए के अन्तर्गत उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली–1985 के नियम–33 तथा सपठित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये उसके संचालन हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को पदनाम से जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29–01–2014 के कम में शासन से प्राप्त आरोप पत्र, अरोपित अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या व उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जॉच सम्पादित करते हुये जॉच आख्या पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

(सेल्वा कुमारी जे0)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

8916/PS/SH/23
PS(J)

4303/USCS/23
U.S.(B)/अनु-9

(राधेश्याम वर्मा)
निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(सुनील कुमार सिंह)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र० शासन

S.O.9
27.9.2023

29/09/2023

## –: जांच आख्या :–

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–05, उ०प्र० शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०–216/आठ–5–14–13जांच/13 दिनांक 29–01–2014 के द्वारा श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ), (सेवा निवृत्त) द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में बिना आवश्यकता के विद्युत सामग्री क्रय कर प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पंहुचाये जाने सम्बन्धीं आरोपों के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पायें जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध सी०एस०आर० के अनुच्छेद 351ए के अन्तर्गत उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली–1985 के नियम–33 तथा सपठित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये उसके संचालन हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को पदनाम से जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, (सेवा निवृत्त), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के–1 कहकशां अवध अपार्टमेंट, विपुल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ के द्वारा दिनांक 16–04–2014 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुये आरोप पत्र की मूल प्रति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ), (सेवा निवृत्त) के विरूद्ध शासन द्वारा निर्गत आरोप पत्र की प्रति पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या–965/28–86/2012–14दिनांक 05–05–2014 के द्वारा श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, (सेवा निवृत्त), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के–1 कहकशां अवध अपार्टमेंट, विपुल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को तामील कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त श्री अमृतपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, (सेवा निवृत्त), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के–1 कहकशां अवध अपार्टमेंट, विपुल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुये वांछित प्रपत्र अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके सम्बन्ध में अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, (सेवा निवृत्त), गाजियाबाद को इस कार्यालय के पत्र सं०–1096/28–86/2012–14 दिनांक 28–05–2014 एवं पत्र सं०–1206/28–86/2012–14 दिनांक 24–06–2014 के द्वारा वांछित अभिलेखों की प्रतियां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों की प्रति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी प्रति सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रेषित की गयी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पत्र संख्या–1335/28–86/ 2012–14 दिनांक 22–07–2014 के द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अपचारी अभियन्ता को वांछित अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के उक्त पत्रों के माध्यम से श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, (सेवा निवृत्त), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के–1 कहकशां अवध अपार्टमेंट, विपुल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्नगत जॉच में अपचारी अभियन्ता द्वारा अपना अन्तरिम अपूर्ण उत्तर दिनांक 28–09–2015 को प्रस्तुत किया गया, तदोपरान्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 05–06–2017 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके अन्तरिम अपूर्ण उत्तर दिनांक 28–09–2015 को पूर्ण उत्तर मानते हुये जॉच पूरी कर शासन को जॉच आख्या प्रेषित कर दी जाये। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित एक अन्य जॉच श्री अनिल गर्ग, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता की विचाराधीन थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जॉच की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी। प्रश्नगत रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–04–2018 द्वारा रिट याचिका डिस्मिस करते हुये स्थगनादेश को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में पारदर्शिता एवं वस्तुस्थिति और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से कार्यालय के पत्रांक–649/28–86/2012–14 दिनांक 11–04–2022 के माध्यम से उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से 06 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की

अपेक्षा की गयी, जिसके अनुपालन में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक–194/4/EEE/GDA/2022–23 दिनांक 04–05–2022 के माध्यम से निम्नवत् आख्या प्रेषित की गयी :–

| क0सं0 | बिन्दु | आख्या |
|---|---|---|
| 01 | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि। | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में तैनाती की अवधि दिनांक 03–07–2007 से 30–04–2011 तक रही। |
| 02 | क्या श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में मधुबन बापूधाम योजना हेतु निविदा की शर्तों के विपरीत जाकर विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति कर भूगतान कराया गया है ? | सम्बन्धित पत्रावलियों में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार **अनुबन्ध में विद्युत सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग एण्ड कमिशनिंग का एकमुश्त कार्य है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त एकमुश्त कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जाना था, लेकिन उक्त कार्य के मद में मात्र आपर्ति पर तत्कालीन अवर अभि0, सहा0 अभि0 एवं श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के द्वारा कार्य का पार्ट रेट पर फर्म को क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Indemnity bond) के आधार पर भुगतान कराया गया है।** |
| 03 | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) की तैनाती की अवधि में मधुबन बापूधाम योजना हेतु विद्युत संयत्रों के सम्बन्ध में कितनी धनराशि का भुगतान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है ? | सम्बन्धित पत्रावलियों में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) द्वारा सहा0अभि0 के पद पर रहते हुए रू0 28,47,76,989/– रू0 (अठाईस करोड सैंतालिस लाख छियत्तर हजार नौ सौ नवासी रूपये) मा0 एवं स्टोर अधिकारी के पद पर रहते हुए भुगतान 6,57,99,096/– रू0 (छः करोड सत्तावन लाख निन्याण्वें हजार छियाण्वें रूपये) तथा अधिशासी अभियन्ता के पद पर रहते हुए भुगतान रू0 61,94,39,598/– (इकसठ करोड चौराण्वें लाख उनतालीस लाख पॉच सौ अठाण्वें रूपये) कुल भुगतान रू0 97,00,15,683/– (सत्ताण्वें करोड पन्द्रह हजार छः सौ तिरासी रूपये) मात्र किया गया है। |
| 04 | मधुबन बापूधाम योजना हेतु विद्युत संयत्र क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आडिट आपत्ति कब की गयी ? | उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मधुबन बापूधाम योजना हेतु विद्युत संयत्र क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ऑडिट आपत्ति का दिनांक 09–05–2011 |
| 05 | क्या श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) द्वारा आडिट आपत्ति लगाये जाने के उपरान्त भी विद्युत संयत्रों की आपूर्तियॉ प्राप्त कर उनका भुगतान कराया गया था ? | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऑडिट आपत्ति लगाये जाने के उपरान्त कोई भी भुगतान नहीं कराया गया है। |
| 06 | क्या श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) द्वारा अपनी तैनाती की |

| | | |
|---|---|---|
| | द्वारा अपनी तैनाती की अवधि में नियमों के विपरीत जाकर अन्तिम भुगतान कराया गया है ? | अवधि में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई भी अन्तिम भुगतान नहीं कराया गया है। |

अपचारी अभियन्ता द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दिनांकित 17–08–2022 प्रस्तुत करते हुये कतिपय अभिलेखों की प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके कम में कार्यालय के पत्रांक 2875/28–86/2012–14 दिनांक 25–08–2022 के द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपचारी अभियन्ता द्वारा अपना विस्तृत उत्तर दिनांकित 24–04–2023 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त कार्यालय के पत्रांक–2423/28–86/2012–14 दिनांक 02–09–2023 के माध्यम से अपचारी अभियन्ता को व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में अपचारी अभियन्ता द्वारा दिनांक 08–09–2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

शासन द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में आरोप पत्रों के सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अपचारी अभियन्ता की तैनाती के दौरान इनके द्वारा किये गये निर्माण एवं विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

01– मधुबन बापूधाम योजना राजस्व ग्राम सदरपुर, नंगला पाट, मोहिउद्दीनपुर मैनापुर, रसूलपुर याकूतपुर व मोरटा की 1234 एकड भूमि अधिग्रहण व 76 एकड भूमि पुर्नग्रहण कुल लगभग 1310 एकड भूमि पर विकसित की जानी प्रस्तावित थी। विकास कार्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य मै0 सरटेक कन्सलटेन्ट द्वारा किया गया। उक्त प्रोजेक्टस में सिविल विकास कार्य के साथ–साथ विद्युतीकरण का कार्य भी सम्मिलित था। मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण हेतु मै0 सरटेक कन्सलटेन्ट द्वारा पावर प्वाइन्ट प्रजन्टेशन प्राधिकरण के समस्त अधिशासी अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तकनीकी, सहायक अभियन्ता श्री महेश चन्द्र वर्मा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रजन्टेशन के समय उपस्थित सहभागियों द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त मधुबन बापूधाम की योजना के डी0पी0आर0 में विद्युतीकरण हेतु टीकरी माईनर के पश्चिम में ग्राम मोहिउद्दीनपुर मैनापुर की 115.482 एकड व रईसपुर की 355.0555 एकड भूमि कुल 470.5427 एकड एवं मेरठ हापुड रोड के मध्य प्रस्तावित बाईपास से लगे क्षेत्र 70 एकड भूमि कुल क्षेत्रफल 540.5427 एकड (जिसका अर्जन प्रस्ताव 2/7/12, 13/7/12 को प्रेषित किया गया था) को भी सम्मिलित कर डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी। भू–अर्जन अनुभाग से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 25–07–2012 को प्राधिकरण के पास मात्र 680 एकड हेतु प्रस्तुत किया गया।

02– कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्यों का उल्लेख करते हुये सम्पूर्ण योजना में विद्युतीकरण का कार्य दस भागों में पृथक करते हुये आवश्यकतानुसार चरणबद्ध निविदायें आमंत्रित करने की खण्ड द्वारा दिनांक 24–07–2009 को संस्तुति की गयी थी परन्तु आप द्वारा 24–07–2009 को आंगणन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा अल्पअवधि में दिनांक 24–07–2009 को ही 08 सदस्यीय आंगणन समिति की बैठक आहूत कराकर उपाध्यक्ष को सारणी–क में अंकित 10 कार्यों हेतु एक साथ निविदायें पृथक–पृथक निविदायें आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की गयी और उपाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर निविदायें जारी करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 27–07–2009 को निविदायें प्रकाशित होकर 24–08–2009 को निविदायें प्राप्त की गयी। प्री–क्वालिफिकेशन बिड 24–08–2009 को प्राप्त कर 24–08–2009 को ही खोली गयी। सभी निविदाओं में तीन फर्म मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी, मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0 व मै0 विभोर वैभव इन्फ्रा0 प्रा0लि0 द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी तीनों निविदादाताओं को अर्ह मानते हुये प्राईस बिल 27–08–2009 को खोले जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर 29–08–2009 को अनुमोदन प्राप्त कर लिया और सभी प्राईस बिड 31–08–2009 को खोली गयी। दिनांक 01–09–2009 को निगोसियेशन हेतु न्यूनतम निविदादाता को बुलाकर निगोसियेशन उपरान्त

सहमति प्राप्त कर 02–09–2009 को सहमति प्राप्त कर मुख्य अभियन्ता द्वारा टेण्डर कमेटी में रखने के निर्देश जारी कर 03–09–2009 को टेण्डर कमेटी का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया और 05–11–2009 को अनुबन्ध निष्पादित हो गये, जिसमें निविदा मूल्य 157.90 करोड रूपये की विद्युत सामग्री क्रय की गयी और प्राप्त सामग्री को समुचित अनुरक्षण न कर खुले स्थान में रखा गया, जिसका निरन्तर क्षरण हो रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण को अनावश्यक रूप से रू0 157.90 करोड की क्षति पहुँचायी गयी।

अपचारी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपने उत्तर में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दिनांक 07–07–2010 से 30–04–2011 तक अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत था और तत्पश्चात सेवानिवृत्ति हो गया था। उनको यह स्मरण नहीं है कि मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण का उनको कार्यभार कब सौपा गया था। प्राप्त पत्रावलियाँ से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ता के रूप मे उनके द्वारा प्रथम बार दिनांक 27–09–2010 को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये गये है, जबकि उपरोक्त योजना का कार्य दिनांक 05–11–2009 से चल रहा था। उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मै० सरटैक कन्सलटेन्ट द्वारा पॉवर प्वाइंट प्रेजन्टेशन के पश्चात अन्तिम डी०पी०आर० दिनांक 15–06–2009 को प्रस्तुत की गयी थी और उनकी तैनाती अधिशासी अभियन्ता के पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही दिनांक 05–11–2009 को 10 अलग–अलग अनुबन्ध निष्पादित किये गये, इस प्रकार निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध किये जाने तक अधिशासी अभियन्ता के रूप में उनका कोई भी सरोकार नही रहा है। उपरोक्त योजना के विद्युतीकरण के कार्यो हेतु अनुबन्ध सम्पादित हो जाने के उपरान्त पत्रावलियों के अनुसार दिनांक 27–09–2010 के उपरान्त ही (अर्थात् 11 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त) उनके द्वारा उक्त योजना का कार्य देखा जाना प्रारम्भ किया होगा। समस्त अनुबन्धों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चलित देयकों का भुगतान उनके पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा किये गये है। लगभग सभी अनुबन्धों में 60 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका था। ऐसी परिस्थिति में कार्य को पूर्ण कराये जाने के अलावा कोई विकल्प अवशेष नही था तथा विद्युत समाग्री की स्थल भण्डारण के सम्बध में एवं सुरक्षा की दृष्टि को आधार बनाते हुए फर्म की सुरक्षा में उपरोक्त योजना के पास फर्म के भूखण्ड पर पक्का फर्श बनाते हुए सामाग्री रखी गई थी, जिसका उल्लेख समस्त पत्रावलियों/अनुबन्धों मे प्रथम चलित देयक से ही निम्न प्रकार की टिप्पणी की गयी है कि साईट पर अभी कोई स्टोर/यार्ड निर्मित नही है। अतः खुले स्थान पर सामग्री रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि आपूर्ति की गयी सामग्री फर्म की सुरक्षा में ही रखी जाए, क्योकि यह फर्म द्वारा ही स्थापित की जानी है। मधुबन बापूधाम योजना में कोई पक्का स्थल एवं चार दीवारी न होने के कारण फर्म इसे अपने ही सुरक्षा में योजना के समीप आइडियल इन्स्टीट्यूट से सटी जमीन पर स्टोर बनाने की व्यवस्था की है। वहीं पर फर्म द्वारा अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है। इस टिप्पणी पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, श्री अनिल गर्ग को अग्रसारित किया गया, जिसे मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्त नियंत्रक को अग्रसारित किया गया, जिस पर श्री बृजेश कुमार, सहायक लेखाकार, श्री दिनेश कुमार यादव, लेखाकार, वित्त नियंत्रक, श्री चौधरी, सचिव श्री नरेन्द्र कुमार एवं उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी के उपरान्त प्रथम चलित भुगतान किये गये है। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन उच्च अधिकारियों द्वारा खुले स्थान पर भण्डारन किया जाना समुचित माना गया और तदानुसार प्राप्त सामग्री खुले स्थान पर रखी गयी। विद्युत संयत्रों का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में विद्युत संयत्रों का भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में किया जाना उचित नही था, क्योंकि समस्त मधुबन बापूधाम योजना के अनुबन्धों मे अधिकांश सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग लिया गया है। ऐसे में आपूर्ति प्राप्त करके 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रथम चलित से ही की गयी है, जिसे आगे भी उसी क्रम में किया गया है। 90 प्रतिशत भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध मे सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी हेतु अलग–अलग धनराशि अलग–अलग अनुबन्धों मे काटी गयी है एवं बैंक गारन्टी भी फर्म द्वारा जमा की गयी है। प्रथम चलित देयक से ही प्राधिकरण में प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है। जहाँ तक प्राप्त

विद्युत संयत्रों के स्टाक रजिस्टार तैयार कराने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ मे पत्रावलियों के अवलोकन के उपरान्त एवं स्मरण के आधार पर अवगत कराना उचित होगा कि मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रथम तिमाही–2010 की किसी तिथि को स्टोर अधिकारी द्वारा मदवार सामाग्री को स्टाक बुक मे इन्द्राज करने एवं अग्रिम कार्यवाही किये जाने की आदेश किये गये है, जिसकी सूचना मांगी गई, परन्तु अप्राप्त है। अतः प्राप्त सामग्री का स्टाक बुक मे इन्द्राज करते हुए एवं इन्डेन्ट के माध्यम से ठेकेदार को कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने हेतु निर्गत किये है, जो कि समस्त पत्रावलियों के अभिलेखों में प्रथम तिमाही 2010 की तिथियो से दर्ज है। उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता के रूप में दिनांक 07 जुलाई 2010 को पदोन्नति के उपरान्त पत्रावलियों के आधार एवं स्मरण के आधार पर माह सितम्बर–2010 के अन्तिम सप्ताह अथवा अक्टूबर–2010 के प्रथम सप्ताह मधुबन बापूधाम योजना का कार्यभार सौंपा गया, इसकी वास्तविक तिथि की जानकारी हेतु सूचना मांगी गयी थी, जो कि अभी तक अप्राप्त है, इसी कारण स्मरण के आधार पर अवगत कराया जा रहा है। लगभग सभी पत्रावलियों में जब भी पत्रावली प्रथम बार अधिशासी अभियन्ता की हैसियत से प्राप्त हुई इन्डेन्ट के माध्यम ठेकेदार को निर्गत की गयी तथा ठेकेदार से इस आशय का प्रथम बार इण्डेमिनिटी बाण्ड भी लिये गये एवं पूर्व मे ही जैसा कि अवगत कराया गया है कि आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग होने के कारण किसी भी मद का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि 90 प्रतिशत भुगतान के उपरान्त सिक्योरिटी डिपाजिट धनराशि भी काटी गयी है, जिसमे इसका स्पष्ट उल्लेख कराया गया कि यू.पी.पी.सी.एल, को हस्तान्तरण के 01 वर्ष तक वारण्टी/गारण्टी फर्म की होगी, इस प्रकार यह कथन कि उपरोक्त योजना हेतु क्रय की गयी सामग्री का स्टाक रजिस्टर नही तैयार किया गया बेबुनियाद/आधारहीन है। पूर्व मे सम्बन्धित पत्रावलियों पर सम्प्रेक्षा अधिकारी द्वारा आडिट न किये जाने के सम्बन्ध में आडिट कराये जाने हेतु सम्प्रेक्षा अधिकारी को समस्त पत्रावलियों को अलग–अलग उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी। अधिशासी अभियन्ता के रूप में मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार ग्रहण करने के उपरान्त प्रथम बार जो भी पत्रावली प्राप्त हुई उसे सर्वप्रथम विभागीय सम्प्रेक्ष अधिकारी को समस्त पत्रावलियों अडिट कराये जाने हेतु भेजी गयी, जिसका उल्लेख समस्त पत्रावलियों की नोटशीट पर अंकित है। इस प्रकार यह आरोप भी कि आडिट न कराया जाना एवं अधिक भुगतान किया जाना बेबुनियाद/आधारहीन है। विद्युत संयत्रो के संरक्षण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रथम चलित देयको से ही इसकी अनुमति पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी, जिसका उल्लेख पूर्व मे किया गया है एवं इस प्रक्रिया को जब उच्च अधिकारियों द्वारा उचित माना गया था तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा मधुबन बापूधाम योजना कार्य देखते समय पुनः उठाये जाने का कोई औचित्य नही था, जबकि तत्समय मा० कांशीराम आवासीय योजना एवं सबको आवास योजना के अन्तर्गत मधुबन बापूधाम मे बन रहे आवास को जून–2011 तक भौतिक कब्जा दिया जाना आवश्यक था। इसे दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक था कि सिविल कार्य के साथ–साथ विद्युत सम्बन्धी कार्य में भी प्रगति लायी जाये। पूर्व में लगभग 01 वर्ष तक कोई भी भौतिक कार्य नही हो पाया था, जिसे उनके द्वारा केबिल टेन्च की डिजाइन अनुमोदित कराकर अधिशासी अभियन्ता सिविल को उपलब्ध करायी गयी एवं शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया गया, जिससे स्थल पर कार्य प्रारम्भ हुआ एवं 04 अलग–अलग स्थालो पर 33/11 के०वी० सब–स्टेशन की भूमि चिन्हित कराते हुए उक्त स्थलों पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य अलग–अलग तिथियों में भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास उपाध्यक्ष महोदय के कर कमलो से कराये गये, जिससे स्थल पर कार्य प्रारम्भ हुआ। अधोहस्ताक्षरी के अथक प्रयास एवं समन्वय स्थापित कर 220 के०वी० भूमि का चयनीकरण कराते हुए सब स्टेशन के निर्माण हेतु सूचना शासन स्तर पर भिजवाई गयी। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना है कि मधुबन बापूधाम योजना की समस्त सामाग्री का उपयोग वर्तमान में किया जा चुका है, जो कि लगभग 90 प्रतिशत यू०पी०पी०सी०एल० को हस्तान्तरित एंव उर्जीकृत है। इस प्रकार किसी भी सामाग्री का क्षरण नहीं हुआ है।

शासन द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में आरोपी अभियन्ता को निम्नवत् आरोपित किया गया है:–

आरोप संख्या–01 :–

विद्युत संयत्रों के आपूर्ति व स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य भी सम्मिलित था, परन्तु विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तो के विपरीत भुगतान कराया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।

पठनीय साक्ष्य :–

निविदिओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छायाप्रति।

अपचारी अभियन्ता का उत्तर–

अपचारी अभियन्ता द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत उत्तर में मुख्यतः उल्लेख किया गया है कि वह दिनांक 03.07.2007 से 06.07.2010 तक सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यरत रहे और दिनांक 07.07.2010 से 30.04. 2011 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत) पद पर कार्यरत रहे तथा केवल दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक ही मधुबन बापू धाम योजना का विद्युतीकरण का कार्य अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत रहा, अन्यथा नहीं। उनसे पूर्व श्री राधेश्याम शर्मा अधिशासी अभियंता विद्युत (प्रथम) दिनांक 25.08.2009 से 20.09.2010 (अर्थात् लगभग 13 माह) तक मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य कर रहे थे। प्राप्त पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिशासी अभियंता के रूप में उनके द्वारा प्रथम बार दिनांक 27.09.2010 को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि उपरोक्त कार्य योजना का कार्य दिनांक 05.11.2009 से चल रहा था। उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मेसर्स सरटेक कंसलटेंट द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के पश्चात् डी.पी.आर. दिनांक 15.06.2009 को प्रस्तुत की गई थी और उनकी दिनांक 21.09.2010 की तैनाती अधिशासी अभियंता (तृतीय) के पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही दिनांक 05.11.2009 को 10 अलग–अलग अनुबंध निष्पादित किये गये। इस प्रकार निविदा आमंत्रण एवं अनुबंध किये जाने तक अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में उनका कोई भी सरोकार मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण कार्य से नहीं था। मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण के कार्य हेतु अनुबंध सम्पादित हो जाने के उपरांत पत्रावलियों के अनुसार दिनांक 27.09.2010 के उपरांत ही प्रार्थी द्वारा उक्त योजना का कार्य देखा जाना प्रारम्भ किया गया। समस्त अनुबंधों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चलित देयकों का भुगतान प्रार्थी से पूर्ववर्ती अधिशासी अभियंता (विद्युत) श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा किया गया है। लगभग सभी अनुबंधों में श्री शर्मा द्वारा 53.19 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका था, ऐसी परिस्थिति में कार्य पूर्ण कराये जाने के अलावां प्रार्थी को कोई विकल्प अवशेष नहीं था तथा विद्युत सामग्री की स्थल भण्डारण के सम्बन्ध में एवं सुरक्षा की दृष्टि को आधार बनाते हुए ठेकेदार की सुरक्षा में मधुबन बापू धाम योजना के भूखण्ड पर पक्का फर्श बनाते हुए सामग्री रखी गयी थी, जिसका उल्लेख श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा समस्त पत्रावलियों/अनुबंधों के प्रथम चलित देयक में एक समान की गई टिप्पणी पर है। उदाहरण स्वरूप अनुबंध संख्या 766 के टिप्पणी एवं विवेचना पत्रावली के पृष्ठ 30 पर प्रथम चलित के देयक पर दिनांक 27.01.2010 को निम्नलिखित टिप्पणी श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा की गयी है :–

"कृपया साईट पर अभी कोई स्टोर/यार्ड निर्मित नहीं है। अतः खुले स्थान पर सामग्री रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि आपूर्त की गयी सामग्री फर्म की सुरक्षा में ही रखी जाए। क्योंकि यह फर्म द्वारा ही स्थापित की जानी है। मधुबन बापूधाम योजना में कोई पक्का स्थल एवं चार दीवारी न होने के कारण फर्म इसे अपने ही सुरक्षा में योजना के समीप आइडियल इन्स्टीट्यूट से सटी जमीन पर स्टोर बनाने की व्यवस्था की हैं वहीं पर फर्म अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है।"

श्री राधेश्याम शर्मा की उपरोक्त टिप्पणी पर सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की संस्तुति के उपरांत अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, जिसे मुख्य अभियंता द्वारा वित्त नियंत्रक को अग्रसारित किया गया और फिर वित्त

नियंत्रक द्वारा सचिव एवं उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रथम चलित भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् श्री राधेश्याम शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा और चलित भुगतान किये गये। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा खुले स्थान पर भण्डारण किया जाना समुचित माना गया और तद्नुसार प्राप्त सामग्री खुले स्थान पर रखी गयी। समस्त मधुबन बापू धाम योजना के अनुबंधों में अधिकांश सामग्री एवं आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग लिया गया है और ऐसे में आपूर्ति प्राप्त करके 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रथम चलित भुगतान से की गई, जिसे आगे भी उसी क्रम में किय गया। प्रत्येक चलित भुगतान में सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी हेतु अलग–अलग धनराशि अलग–अलग अनुबंधों में काटी गयी है एवं बैंक गारण्टी भी मेसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी एवं मेसर्स एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जमा की गयी है। प्रथम चलित देयकों से ही प्राधिकरण में प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा था। जहां तक प्राप्त विद्युत संयंत्रों के स्टाक रजिस्टर तैयार करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में प्राप्त सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करते हुए एवं इण्डेंट के माध्यम से ठेकेदार को कार्य स्थल पर प्रयोग किये जाने हेतु निर्गत किया गया है। यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण के 01 वर्ष तक वारण्टी/गारण्टी अनुबंधित फर्म की होगी।

श्री राधेश्याम शर्मा, जो दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत प्रथम) के पद पर कार्यरत थे, द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में रु0 1043379443.00 का कुल भुगतान किया था, जब उनके अधीन अलग–अलग सहायक अभियंता व अवर अभियंता कार्यरत थे को भी आप द्वारा निर्गत व प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र मुघवन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में किया गया था, क्योंकि आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन सं0–216/–5–14–13 जांच 13 दिनांक 29.01.2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थगित करते हुए आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जबकि प्रार्थी दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत तृतीय) के पद पर कार्यरत था और उस दौरान प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में रु0 600802839.00 का कुल भुगतान किया था एवं प्रार्थी की सेवा निवृत्ति के उपरांत श्री राम नगीना त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा दिनांक 20.10.2011 को अनुबंध संख्या 764FC/EEE/09 के अन्तर्गत छठें चलित देयक में रूपये रु0 12308334.00 (अर्थात् अनुबंध का लगभग 4.22 प्रतिशत) भुगतान किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 1 अक्षरशः एक है। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्रेषित जॉच आख्या में श्री राधेश्याम शर्मा को इस आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा शासन द्वारा भी बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है। 10 अनुबंध दिनांक 05.11.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एक अनुबंध केवल आपूर्ति का था और बाकी 9 अनुबंध में अधिकांश मदें आपूर्ति एवं स्थापना का उल्लेख अलग–अलग है। उक्त दोनों मदों की एक साथ कार्यवाही नहीं हो सकती है। अन्य मदों में आपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत ही स्थापना का कार्य हो सकता है, क्योंकि आपूर्ति के लिए आपूर्ति लिये जाने से पूर्व निर्माता की फैक्ट्री में यू.पी.पी.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निरीक्षण उपरांत संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में आपूर्ति प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्व से ही सम्पादित हो रही थी, जिसे प्रार्थी द्वारा जारी रखा गया। वर्तमान प्रकरण में अनुबंधित फर्म द्वारा विद्युत सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति किया जाना निर्विवाद है। उक्त फर्म द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने से पूर्व ही उक्त फर्म को लगभग 87 प्रतिशत भुगतान किया गया। अनुबंध की आपूर्ति सामग्री का 90 प्रतिशत तक भुगतान किये जाने का अनुबंध की शर्तों में उल्लेख है। अतः प्रार्थी पर निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान किये जाने का आरोप पूर्णतः बेबुनियाद व अप्रमाणित होता है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ने आपूर्ति के उपरांत चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व

ही दसों अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थी एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। उनके द्वारा उपरोक्त आधारों के दृष्टिगत इस आरोप से दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

निष्कर्ष :–

अपचारी अभियन्ता पर लगाये गये आरोप, उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया। अपचारी अभियन्ता को मुख्य रूप से आरोपित किया गया है कि विद्युत संयत्रों के आपूर्ति व स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य भी सम्मिलित था, परन्तु विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तो के विपरीत भुगतान कराया गया। इस सम्बन्ध में अपचारी अभियन्ता द्वारा अपने उत्तर में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि प्राप्त पत्रावलियाँ से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ता के रूप में उनके द्वारा प्रथम बार दिनांक 27–09–2010 को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये गये है, जबकि उपरोक्त योजना का कार्य दिनांक 05–11–2009 से चल रहा था एवं लगभग सभी अनुबन्धों में 60 प्रतिशत का भुगतान उनकी तैनाती से पूर्व किया जा चुका था। उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की आख्या/पत्रांक–194/4/EEE/GDA/2022–23 दिनांक 04–05–2022 के बिन्दु संख्या–02 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि "**अनुबन्ध में विद्युत सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग एण्ड कमिशनिंग का एकमुश्त कार्य है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त एकमुश्त कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जाना था, लेकिन उक्त कार्य के मद में मात्र आपर्ति पर तत्कालीन अवर अभि0, सहा0 अभि0 एवं श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के द्वारा कार्य का पार्ट रेट पर फर्म को क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Indemnity bond) के आधार पर भुगतान कराया गया है।**" विद्युत संयत्रों की आपूर्ति व स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य सम्मिलित होने पर भी विद्युत संयंत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने तथा निविदा की शर्तो के विपरीत भुगतान किये जाने के आरोप से अपचारी अभियन्ता स्वयं को पृथक नहीं कर सकते। स्पष्ट तौर पर अपचारी अभियन्ता द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है, जिससे प्राधिकरण को वित्तीय हानि हुयी है। अतः ऐसी दशा में प्रश्नगत आरोप अपचारी अभियन्ता पर पूर्ण रूप से सिद्ध पाया जाता है।

आरोप संख्या–02

विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रो के भुगतान सिक्योर्ड एडवांश के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था। नियमों के विपरीत अंतिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिए आप दोषी हैं।

पठनीय साक्ष्य–

समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों की छायाप्रति।

अपचारी अभियन्ता का उत्तर–

अपचारी अभियन्ता द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपने उत्तर में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं0 2 अक्षरशः एक है। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्रेषित जॉच आख्या में यह आरोप सिद्ध नहीं पाया गया तथा शासन द्वारा भी बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है। किसी भी सामग्री अथवा कार्य का अग्रिम भुगतान प्रार्थी द्वारा अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत होते हुए नहीं किया गया है, क्योंकि सामग्री प्राप्त होने के उपरांत स्टाक बुक में सामग्री का इन्द्राज करते हुए ही भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया है, जैसा कि समस्त पत्रावलियों में उल्लेख है। प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों एवं स्टाक रजिस्टर से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने कोई अंतिम भुगतान नहीं किया है और इस संदर्भ में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं0–194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 में यह स्पष्ट कहा है कि प्रार्थी की तैनाती की अवधि में अंतिम भुगतान नहीं कराया गया। प्रार्थी ने कोई भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में नहीं किया है। प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों एवं स्टाक रजिस्टर से स्पष्ट है कि योजना की आपूर्ति विद्युत सामग्री स्टाक बुक में उपलब्ध है। प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जाती थी, बल्कि अवर अभियंता द्वारा इण्ट्री करने के उपरांत उसका सत्यापन स्टोर अधिकारी द्वारा किया जाता था, उसे अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा अग्रसारित किया जाता था । प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपूर्ति मदों का भुगतान किया जाना अनुबंध की शर्तों के अनुसार है और प्रत्येक भुगतान अवर अभियंता द्वारा मापी किये जाने एवं सहायक अभियंता द्वारा संस्तुति किये जाने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भुगतान मुख्य अभियंता, वित्त नियंत्रक, सचिव एवं उपाध्यक्ष की अनुमति के उपरांत ही किया गया है। उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रार्थी पर प्रस्तर में लगाया गया आरोप बेबुनियाद व अप्रमाणित है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ने आपूर्ति के उपरान्त चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व ही दसों अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थी एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। उनके द्वारा उपरोक्त आधारों पर स्वयं को प्रश्नगत आरोप से दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

निष्कर्ष :–

अपचारी अभियन्ता पर लगाये गये आरोप, उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया। इस सम्बन्ध में अपचारी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि विद्युत संयत्रों का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में विद्युत संयत्रों का भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में किया जाना उचित नही था, क्योंकि समस्त मधुबन बापूधाम योजना के अनुबन्धों मे अधिकांश सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग लिया गया है। ऐसे में आपूर्ति प्राप्त करके 90 प्रतिशत भुगतान

की संस्तुति प्रथम चलित से की गयी है, जिसे आगे भी उसी क्रम में किया गया है। 90 प्रतिशत भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध मे सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी हेतु अलग–अलग धनराशि अलग–अलग अनुबन्धों मे काटी गयी है एवं बैंक गारन्टी भी फर्म द्वारा जमा की गयी है। अतः ऐसी दशा में अपचारी अभियन्ता पर यह आरोप कि विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रो के भुगतान सिक्योर्ड एडवांश के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था, सिद्ध नहीं होता। उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 04–05–2022 के बिन्दु संख्या–06 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि **"सम्बन्धित पत्रावलियों के अनुसार श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) द्वारा अपनी तैनाती की अवधि में अन्तिम भुगतान नहीं कराया गया है।"** उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी अभियन्ता द्वारा अन्तिम भुगतान नहीं कराया गया है। जहॉ तक अपचारी अभियन्ता पर प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न करने का आरोप है, इस सम्बन्ध में अपचारी अभियन्ता द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वयं को आरोपों से मुक्त होने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अपचारी अभियन्ता का है। अतः ऐसी दशा में अपचारी अभियन्ता पर प्रश्नगत आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया जाता है।

**आरोप संख्या–03 :–**

आप द्वारा क्रय किये गये विद्युत संयत्रों का संरक्षण की उचित व्यवस्था न करने के दोषी है।

**पठनीय साक्ष्य–**

समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छायाप्रति।

**अपचारी अभियन्ता का उत्तर :–**

अपचारी अभियन्ता द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपने उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 3 अक्षरशः एक है। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्रेषित जॉच आख्या में श्री राधेश्याम शर्मा को प्रश्नगत आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा शासन द्वारा भी बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है। विद्युत संयंत्रों का संरक्षण अधिकृत भण्डारण स्थान पर ही किया गया है, जिसका उल्लेख प्राधिकरण के पत्रावलियों व रिकार्डस से स्पष्ट है। प्रस्तर में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद व अप्रमाणित है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ने आपूर्ति के उपरांत चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व ही दसों अनुबंध दिनांक 05.11. 2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थी एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। इसीलिए प्रार्थी

के विरूद्ध आरोप सं. 3 में किसी भी प्रकार की क्षति का आरोप नहीं लगाया है। उनके द्वारा उपरोक्त आधारों पर स्वयं को प्रश्नगत आरोप से दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

**निष्कर्ष :–**

अपचारी अभियन्ता पर लगाये गये आरोप, उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया। इस सम्बन्ध में अपचारी अभियन्ता द्वारा अपने उत्तर में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि प्राप्त पत्रावलियाँ से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ता के रूप में उनके द्वारा प्रथम बार दिनांक 27–09–2010 को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये गये है, जबकि उपरोक्त योजना का कार्य दिनांक 05–11–2009 से चल रहा था एवं लगभग सभी अनुबन्धों में 60 प्रतिशत का भुगतान उनकी तैनाती से पूर्व किया जा चुका था। उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी अभियन्ता की तैनाती से पूर्व ही काफी मात्रा में विद्युत संयत्र उपलब्ध हो चुके थे, जिनके संरक्षण का दायित्व तत्समय कार्यरत कर्मचारियों का था। यदि तत्समय ही विद्युत संयंत्रों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गयी होता, तो सम्भवतः अपचारी अभियन्ता द्वारा भी अपने कार्यकाल में प्राप्त विद्युत संयंत्रों का संरक्षण कर लिया गया होता। अपचारी अभियन्ता को परिस्थतियोंवश दोषी नहीं माना जा सकता, परन्तु उनके द्वारा अपने कार्यकाल में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किया जाना लापरवाही का द्योतक अवश्य है। अतः यह आरोप अपचारी अभियन्ता पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

**आरोप संख्या–04 :–**

आप द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयत्रों के क्रय सम्बन्धी पत्रावली पर आडिट आपत्ति कि समान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके पश्चात भी आपूर्तियां प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।

**पठनीय साक्ष्य–**

समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छायाप्रति।

**अपचारी अभियन्ता का उत्तर :–**

अपचारी अभियन्ता द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपने उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 3 अक्षरशः एक है। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्रेषित जॉच आख्या में श्री राधेश्याम शर्मा को प्रश्नगत आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा शासन द्वारा भी बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है। सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश समवर्ती सम्परीक्षा विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को पत्र दिनांक 12.07.2010 भेजा और जिसकी प्रति मुख्य अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्र दिनांक 12.07.2010 के अनुक्रम में विद्युत अभियंत्रण खण्ड प्रथम के नोटशीट दिनांक 13.08. 2010, जिस पर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 19.08.2010 को प्रस्ताव प्रेषित किया था की प्रति प्रथमतः प्रार्थी को आरोप पत्र के माध्यम से ही प्राप्त हुई, इससे पूर्व नहीं और प्रार्थी के यह भी संज्ञान में नहीं है कि उपरोक्त नोटशीट पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया। अगर उपरोक्त नोटशीट पर कोई अंतिम निर्णय उपाध्यक्ष द्वारा लिया गया है, तो उसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 12.07.2010 को दृष्टिगत रखते हुए वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद अर्थात् लेखा अनुभाग के माध्यम से उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश सं0–142/लेखा अनु0/10 दिनांक 19.08.2010 जारी किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक देयक के भुगतान के पश्चात् पत्रावली सम्बन्धित अनुभागीय लिपिक द्वारा

आडिट अनुभाग को सम्परीक्षा हेतु प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांक 19.08.2010 के पूर्व भुगतान की पत्रावली पर अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं, मुख्य अभियंता, लेखा अनुभाग, वित्त नियंत्रक, सचिव एवं अंतिम अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाता था और तत्पश्चात् भुगतान पत्रावली आडिट अनुभाग में सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की जाती थी, जबकि 19.08.2010 के बाद भुगतान की पत्रावली पर अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं, मुख्य अभियंता, लेखा अनुभाग, वित्त नियंत्रक, सचिव एवं अंतिम अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाता था और तत्पश्चात् भुगतान पत्रावली आडिट अनुभाग में सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती थी । प्रार्थी की सेवा निवृत्ति दिनांक 30.04.2011 के बाद प्रथमतः वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या–583/लेखा/2011 दिनांक 09.05.2011, जिसका उल्लेख उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पत्र संख्या 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 के प्रस्तर–4 की आख्या में उल्लिखित किया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2009–2010 से सम्बन्धित आडिट आपत्ति भाग–2 (चार) 5 एवं भाग–3 के 35 में बिन्दु 1, 2, 3, 4 व 11 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अधिशासी अभियंता विद्युत(3) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने पत्र सं0–732/4/ईई(3)/2011 दिनांक 27.05.2011 द्वारा प्रस्तुत किया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के अधिशासी अभियंता (विद्युत) मधुबन बापूधाम योजना विद्युतीकरण के कार्यकाल के दौरान दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक कोई ऑडिट आपत्ति नहीं हुई, जिसका उल्लेख उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र सं–194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 के प्रस्तर–5 की आख्या में भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आडिट आपत्ति लगाये जाने के उपरांत कोई भी भुगतान नहीं किया है। प्रस्तर में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद व अप्रमाणित है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ने आपूर्ति के उपरांत चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व ही दसों अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थी एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. 4 में किसी भी प्रकार की क्षति का आरोप नहीं लगाया है। प्रार्थी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 30.04.2011 को सेवानिवृत्त हो चुका है और वर्तमान में पिछले 12 वर्ष से पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहा हूँ। प्रार्थी का स्वास्थ्य 72 वर्ष की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतर अस्वस्थ रहता है। 12 वर्ष पूर्व के प्रकरण पर जो कुछ अभिलेख प्रार्थी को उपलब्ध कराये गये उनको मय याददाश्त दृष्टिगत रखते हुए दे रहा हूँ। उनके द्वारा उपरोक्त आधारों पर स्वयं को प्रश्नगत आरोप से दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

निष्कर्ष :–

अपचारी अभियन्ता पर लगाये गये आरोप, उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया। इस सम्बन्ध में अपचारी अभियन्ता द्वारा अपने उत्तर में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि प्राप्त पत्रावलियाँ से स्पष्ट है कि

अधिशासी अभियन्ता के रूप में उनके द्वारा प्रथम बार दिनांक 27–09–2010 को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि उपरोक्त योजना का कार्य दिनांक 05–11–2009 से चल रहा था एवं लगभग सभी अनुबन्धों में 60 प्रतिशत का भुगतान उनकी तैनाती से पूर्व किया जा चुका था। उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 04–05–2022 के अनुसार अपचारी अभियन्ता की तैनाती गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दिनांक 03–07–2007 से दिनांक 30–04–2011 के मध्य रही तथा आडिट आपत्ति दिनांक 09–05–2011 को की गयी, जो कि अपचारी अभियन्ता की तैनाती के पश्चात की है। स्पष्ट है कि आडिट आपत्ति अपचारी अभियन्ता की तैनाती अवधि के बाद अंकित की गयी है, अतः यह सम्भव ही नहीं है कि अपचारी अभियन्ता द्वारा आडिट आपत्ति के पश्चात आपूर्तियां प्राप्त कर उनका भुगतान कराया गया हो। अतः अभिलेखीय साक्ष्यों के अभाव में यह आरोप अपचारी अभियन्ता पर सिद्ध नहीं होता है।

<u>विवेचना :–</u>

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपचारी अभियन्ता पर आरोप संख्या–01 पूर्ण रूप से, आरोप संख्या–02 व 03 आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाते हैं तथा आरोप संख्या–04 संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

दिनांक :15 सितम्बर, 2023

(सेल्वा कुमारी जे0)
आयुक्त/
जांच अधिकारी,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

# आयुक्त, मेरठ मण्डल/जांच अधिकारी के समक्ष
# व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई में मेरा पक्ष

1. मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण कार्य के सम्बन्ध में श्री राम नगीना त्रिपाठी, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री एस.एस. शुक्ला, श्री आर.एल. सरोज, श्री डी.के. त्यागी एवं मुझे (अमृत पाल सिंह) को लेकर कुल 6 अधिशासी अभियंता आरोपित किये गये थे, जिसमें मेरे अलावां पांचों अधिशासी अभियंताओं को विभागीय अनुशासनात्मक जांचोपरांत दोषमुक्त किये जाने का आदेश शासन द्वारा निर्गत किया जा चुका हैं। केवल मेरी जांच लम्बित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण कार्य के सम्बन्ध में किसी भी सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के विरूद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही नहीं की गयी है। शासन द्वारा मेरी पदोन्नति सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर दिनांक 07.07.2010 को हुई थी और तत्पश्चात् प्रथम बार मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण कार्य हेतु मुझे दिनांक 21.09.2010 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आदेशोपरांत अधिशासी अभियंता पद पर तैनाती की गयी और मैं दिनांक 30.04.2011 को सेवा निवृत्त हुआ एवं तत्पश्चात् सभी अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ मुझे स्वीकृत एवं भुगतान किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.01.2014 और तद्नुसार शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र, जो आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा दिनांक 26.02.2014 को प्रतिहस्ताक्षरित है, के द्वारा सेवा निवृत्ति पश्चात् मुझ पर एवं श्री राधेश्याम शर्मा पर लगाये गये चारों आरोप एवं साक्ष्य अक्षरशः एक ही हैं एवं किसी वित्तीय हानि का आरोप नहीं है। शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र द्वारा मुझे मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण कार्य में अधिशासी अभियंता की कार्य अवधि (21.09.2010 से 30.04.2011) के लिए ही आरोपित किया गया है, न कि पदोन्नति दिनांक 07.07.2010 से पूर्व सहायक अभियंता की कार्य अवधि के लिए। मुझसे पूर्व लगभग 13 माह (25.08.2009 से 20.09.2010) तक श्री राधेश्याम शर्मा अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत रहे हैं। श्री राधेश्याम शर्मा के बाद मैं मात्र 7 माह (21.09.2010 से 30.04.2011) बतौर अधिशासी अभियंता प्रोन्नति के उपरांत कार्यरत रहा हूँ। यहां उल्लेखनीय है कि समस्त निविदाएं आमंत्रण, उसकी स्वीकृति एवं कुछ चलित देयकों के भुगतान की जो प्रक्रिया, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुमोदन तक, श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा अपने लगभग 13 माह के कार्यकाल के दौरान अपनायी गयी थी, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मेरे द्वारा अपने 7 माह के कार्यकाल के दौरान अनुबंधित ठेकेदारों को, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरांत केवल कुछ चलित भुगतान ही किये गये हैं एवं कार्यस्थल पर मेरे द्वारा वास्तव में भौतिक कार्य भी कराया गया है, जबकि श्री राधेश्याम शर्मा के 13 माह के कार्यकाल के दौरान कार्यस्थल पर कोई भी भौतिक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। मेरे द्वारा किसी भी निविदा में कोई अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री राधेश्याम शर्मा के सम्बन्ध में जांच अधिकारी भी आपके पूर्वाधिकारी आयुक्त, मेरठ मण्डल ही थे, जिन्होंने वर्ष 2016 की जांच आख्या में

कृ.प.उ.

यह पाया था कि चारों आरोपों के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम शर्मा पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है एवं उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है, जिससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख आपके कार्यालय में उपलब्ध होंगे। क्रय की गई लगभग समस्त विद्युत सामग्री का उपयोग वर्तमान में किया जा चुका है और 33 के.वी. के सभी 08 सब स्टेशन निर्मित हो गये हैं, जिसमें से 07 सब स्टेशन यू.पी.पी.सी.एल. को हस्तांतरित कर ऊर्जीकृत हो चुके हैं, जिसका उपयोग भी सुचारू रूप से हो रहा है। 8वां सब स्टेशन तैयार है, उसे केवल यू. पी.पी.सी.एल. को हस्तांतरण कर ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। अतः कोई वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

2. दिनांक 24.07.2009 को मे. सरटेक कंसलटेंट द्वारा 198.23 करोड़ के विद्युत कार्यों को सम्मिलित करते हुए फाइनल डी.पी.आर. प्रस्तुत की गयी, जिसकी अनुमति उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी।

3. दिनांक 24.08.2009 को 2 बिड सिस्टम के आधार पर 10 निविदायें आमंत्रित की गई एवं दिनांक 31.08.2009 को प्राइस बिड भी खोली गयी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री राधेश्याम शर्मा की संस्तुति के उपरांत निविदाओं की स्वीकृति दिनांक 03.09.2009 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी। तत्पश्चात् तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा समस्त 10 अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को अनुबंधित किये गये। तदोपरांत श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा दिनांक 08.01.2010 से 20.09. 2010 तक के मध्य, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरांत, समस्त अनुबंधों में कुल 30 चलित भुगतान किये गये, जिसके अनुसार कुल अनुबंध मूल्य का लगभग 54 प्रतिशत लगभग रू. 101.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, जबकि मेरी बतौर अधिशासी अभियंता सम्पूर्ण कार्यावधि दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 के दौरान, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरांत, समस्त अनुबंधों में कुल 23 चलित भुगतान किये गये, जिसके अनुसार कुल अनुबंध मूल्य का लगभग 32.97 प्रतिशत लगभग रू. 62.00 करोड़ का भुगतान मेरे द्वारा किया गया।

4. अनुबंध की तिथि 05.11.2009 से दिनांक 20.09.2010 तक (लगभग 11 माह) कोई भी कार्य भौतिक रूप से कार्यस्थल पर प्रारम्भ नहीं हुआ था। जबकि मेरे मात्र 07 माह के कार्यकाल के दौरान 04 सब स्टेशन चिन्हित करते हुए उनका निर्माण एवं केबल ट्रैंच की ड्राइंग अनुमोदित कराते हुए सिविल विभाग को अग्रेषित करते हुए केबल ट्रैंच एवं सब स्टेशन निर्माण का कार्य, मेरे द्वारा ही प्रारम्भ कराया गया।

5. इस प्रकार अन्य पांचों अधिशासी अभियंताओं मय राधेश्याम शर्मा की भांति, उपरोक्त तथ्यों एवं उत्तर दिनांक 24.04.2023 मय संलग्नक के आलोक में मुझ पर भी चारों आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और तद्नुसार तथ्यों, मेरी उम्र एवं शारीरिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुझे भी आरोप मुक्त किये जाने सम्बन्धी जांच आख्या शासन को अग्रेषित किये जाने की कृपा करें; ताकि मैं, 12 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त उपरांत बचे हुए जीवन का निर्वहन, आरोप मुक्त होकर, तनाव रहित रहते हुए, कर सकूं।

दिनांक :– 08.09.2023

(अमृत पाल सिंह)

स्पीड–पोस्ट/पंजीकृत।

# कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या 2523/28–86/2012–14 दिनांक 02/9/2023

श्री अमृत पाल सिंह,
सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0यॉ0)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/
निवासी–के–01, अवध अपार्टमैन्ट,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ–226010

---

विषय :– **शासन द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में।**

---

उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08–08–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा विभागीय जॉच में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तीन सप्ताह बाद की कोई तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 आयुक्त महोदया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आपको व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **दिनांक 08-09-2023 को पूर्वान्ह 11–30 बजे का समय निर्धारित किया गया है।**

अतः तद्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 आयुक्त महोदय द्वारा प्रदत्त आदेशानुपालन में निर्धारित समय पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र प्रसाद)
अपर आयुक्त,
कृते आयुक्त।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि :– व्यैक्तिक सहायक को मा0 आयुक्त महोदया के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(महेन्द्र प्रसाद)
अपर आयुक्त,
कृते आयुक्त।

मेरे द्वारा आज दिनांक 8.9.2023 को
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक एवं
लिखित कथन प्रस्तुत किया गया अनुरोध है कि
जाँच पूर्ण करने की कृपा करें।

ह0
8/9/23
(अमृतपाल सिंह)

EU0377357...

P-1813

प्रेषक,

अमृत पाल सिंह
अधिशासी अभियन्ता (सेवा निवृत्त)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
के–1, कहकशां, अवध अपार्टमेंट,
विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल / जांच अधिकारी,
मेरठ

विषय :– 1. विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही
2. आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं. 216/–5–14–13 जांच 13 दिनांक 29 जनवरी, 2014
3. दिनांक रहित आरोप पत्र जो आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निर्गत एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित

(महेन्द्र प्रसाद)
आई.ए.एस.
अपर आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।

महोदय,

कृपया आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/–5–14–13 जांच 13 दिनांक 29.01.2014 (संलग्नक सं. 1) व अपने पत्र संख्या 965/25–86/12–14 दिनांक 05.05.2014, पत्र सं. 1096/28–86/2012–14 दिनांक 28.05.2014, पत्र संख्या 1206/28–86/2012–14 दिनांक 26 जून, 2014, पत्र सं. 690/पी0ए0–2015 दिनांक 16.06.2015, पत्र संख्या 601/28–86/2012–14/रीडर दिनांक 25.05.2017, पत्र संख्या 649/28–86/2012–14 दिनांक 11.04.2022, पत्र संख्या 2875/28–86/2012–14 दिनांक 25.08.2022, पत्र संख्या 88/28–86/2012–14 दिनांक 11.10.2022 एवं पत्र संख्या 1392/28–86/2012–14 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 107/प्रशासन अनुभाग/2014 दिनांक 10.03.2014, पत्र संख्या 127/4/ईई–ई(G.M.P.)/2014 दिनांक 19.08.2014, पत्र संख्या 284/प्रशासन अनुभाग/2014 दिनांक 18.06.2015, पत्र संख्या 199/4/ EE-E/(THA.Z-8)/2015 दिनांक 19.09.2015, पत्र संख्या 316/4/ईई–ई/(नोडल अधि0)/2015 दिनांक 04.11.2015, पत्र संख्या 334/4/ईई–ई/(नोडल अधि0)/2015 दिनांक 23.11.2015, पत्र संख्या

194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 पत्र संख्या 10/4/E.E.-E.(G.M.P.)/2022 दिनांक 16.09.2022, पत्र संख्या 1015/4/EEE GMP/2022 दिनांक 08.12.2022 एवं पत्र सं. 602/4/EEE/2022–23 दिनांक 15.02.2023 एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2014, 16.05.2014, 09.06.2014, 10.07.2014, 23.06.2015, 28.09.2015, 28.09.2015, 14.11.2015, 05.06.2017, 10.08.2022, 17.08.2022, 19.10.2022, 19.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के तारतम्य में प्रार्थी निम्नलिखित तथ्य तथा उत्तर प्रस्तुत करना चाहता है:–

1. यह कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक–194/4/EEE/GDA/2022–23 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या के सम्बन्ध में प्रार्थी अवगत कराना चाहता है कि प्रार्थी दिनांक 03.04.2007 से 06.07.2010 तक सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत था एवं उस अवधि में प्रार्थी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है और न ही किसी सहायक अभियंता (विद्युत) को मधुबन बापूधाम योजना के संदर्भ आरोपित ही किया गया है एवं उसी दौरान कुछ समय पर स्टोर अधिकारी के पद पर कार्यरत था और स्टोर अधिकारी किसी योजना का कोई भुगतान नहीं करता है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय की गयी सामग्री का स्टॉक बुक में इंद्राज एवं इण्डेंट प्राप्त होने पर केवल निर्गत करता है, इसलिए रू. 26,47,76,898.00 + 6,57,99,096.00 का भुगतान नहीं किया गया है एवं दिनांक 07.07.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत था, जिस दौरान केवल दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक ही केवल मधुबन बापूधाम योजना के विद्युतीकरण का कार्य अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत था, अन्यथा नहीं व उपरोक्त अवधि दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 के दौरान केवल रू. 61,94,39,598.00 का भुगतान किया गया है। प्रार्थी की कार्य अवधि दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 के पूर्व श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत), सम्प्रति से0नि0 दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक मधुबन बापूधाम योजना में बतौर अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत थे और उस अवधि में श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा रू. 104,33,79,443.00 का भुगतान किया गया, जिनके विरूद्ध भी कार्यालय ज्ञाप सं. 216/आठ–5–14–13जांच/13 दिनांक 29.01.2014 द्वारा प्राधिकरण को आर्थिक क्षति सम्बन्धी आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए के अन्तर्गत उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली–1985 के नियम–33 तथा सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये उसके संचालन हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को पदनाम से जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी और तत्पश्चात् जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 इस कार्यालय के पत्र सं. 709/28–86/2012–14/पीए दिनांक 23.07.2016 द्वारा प्रेषित की गयी थी और तद्नुसार आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन द्वारा

कार्यालय ज्ञाप सं. 84/आठ–9–17–13 जांच/2013 दिनांक 07.02.2017 द्वारा समस्त चारों आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया और तद्नुसार बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गई थी।

2. यह कि प्रार्थी पर लगाये गये चारों आरोप के संदर्भ में प्रार्थी प्रथमतः यह सूचित करना चाहता है कि प्रार्थी की पदोन्नति सहायक अभियंता (विद्युत) से अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यालय ज्ञाप सं. 1697/आठ–5–10–56 रिट/07 दिनांक 07.07.2010 से हुई थी और तद्नुसार प्रार्थी ने दिनांक 07.07.2010 से अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद का कार्यभार ग्रहण किया था, जिसके प्रमाण स्वरूप प्रभार प्रमाण पत्र दिनांक 14.07.2010 **(संलग्नक सं. 2)** के रूप संलग्न है। दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 (अर्थात् लगभग 07 माह) अर्थात् सेवा निवृत्त दिनांक 30.04.2011 तक उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय आदेश सं. 25–I/1/2010 /2010–11 दिनांक 21.09.2010 **(संलग्नक सं. 3)** के अनुसार मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी आंशिक कार्य अधिशासी अभियंता विद्युत (तृतीय) सौंपा गया, जबकि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने पत्र सं. 194/4/ EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 **(संलग्नक–4)** के प्रस्तर 1 की आख्या में प्रार्थी की कार्यावधि 03.07.2007 से 30.04.2011 उल्लिखित की है, जिसमें से प्रार्थी दिनांक 03.07.2007 से 06.07.2010 तक सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यरत था और दिनांक 07.07.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत) पद पर कार्यरत था और केवल दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक ही केवल मधुबन बापू धाम योजना का विद्युतीकरण का कार्य अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत था, अन्यथा नहीं, जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी से पूर्व श्री राधेश्याम शर्मा अधिशासी अभियंता विद्युत (प्रथम) दिनांक 25.08.2009 से 20.09.2010 (अर्थात् लगभग 13 माह) तक मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य कर रहे थे। प्राप्त पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिशासी अभियंता के रूप में प्रार्थी द्वारा प्रथम बार दिनांक 27.09.2010 को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि उपरोक्त कार्य योजना का कार्य दिनांक 05.11.2009 से चल रहा था। उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मेसर्स सरटेक कंसलटेंट द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के पश्चात् डी.पी.आर. दिनांक 15.06.2009 को प्रस्तुत की गई थी और मेरी दिनांक 21.09.2010 की तैनाती अधिशासी अभियंता (तृतीय) के पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही दिनांक 05.11.2009 को 10 अलग–अलग अनुबंध निष्पादित किये गये। इस प्रकार निविदा

आमंत्रण एवं अनुबंध किये जाने तक अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में मेरा कोई भी सरोकार मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण कार्य से नहीं था। मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण के कार्य हेतु अनुबंध सम्पादित हो जाने के उपरांत पत्रावलियों के अनुसार दिनांक 27.09.2010 के उपरांत ही प्रार्थी द्वारा उक्त योजना का कार्य देखा जाना प्रारम्भ किया गया। समस्त अनुबंधों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चलित देयकों का भुगतान प्रार्थी से पूर्ववर्ती अधिशासी अभियंता (विद्युत) श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा किया गया है। लगभग सभी अनुबंधों में श्री शर्मा द्वारा 53.19 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका था, ऐसी परिस्थिति में कार्य पूर्ण कराये जाने के अलावां प्रार्थी को कोई विकल्प अवशेष नहीं था तथा विद्युत सामग्री की स्थल भण्डारण के सम्बन्ध में एवं सुरक्षा की दृष्टि को आधार बनाते हुए ठेकेदार की सुरक्षा में मधुबन बापू धाम योजना के भूखण्ड पर पक्का फर्श बनाते हुए सामग्री रखी गयी थी, जिसका उल्लेख श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा समस्त पत्रावलियों/अनुबंधों के प्रथम चलित देयक में एक समान की गई टिप्पणी पर है। उदाहरण स्वरूप अनुबंध संख्या 766 के टिप्पणी एवं विवेचना पत्रावली के पृष्ठ 30 पर प्रथम चलित के देयक पर दिनांक 27.01.2010 **(संलग्नक सं.–5)** को निम्नलिखित टिप्पणी श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा की गयी है :–

> ***"कृपया साईट पर अभी कोई स्टोर/यार्ड निर्मित नहीं है। अतः खुले स्थान पर सामग्री रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि आपूर्ति की गयी सामग्री फर्म की सुरक्षा में ही रखी जाए। क्योंकि यह फर्म द्वारा ही स्थापित की जानी है। मधुबन बापूधाम योजना में कोई पक्का स्थल एवं चार दीवारी न होने के कारण फर्म इसे अपने ही सुरक्षा में योजना के समीप आइडियल इन्स्टीट्यूट से सटी जमीन पर स्टोर बनाने की व्यवस्था की हैं वहीं पर फर्म अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है।"***

श्री राधेश्याम शर्मा की उपरोक्त टिप्पणी पर सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की संस्तुति के उपरांत अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, जिसे मुख्य अभियंता द्वारा वित्त नियंत्रक को अग्रसारित किया गया और फिर वित्त नियंत्रक द्वारा सचिव एवं उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रथम चलित भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् श्री राधेश्याम शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा और चलित भुगतान किये गये। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा खुले स्थान पर भण्डारण किया जाना समुचित माना गया और तद्नुसार प्राप्त सामग्री खुले स्थान पर रखी गयी। समस्त मधुबन बापू धाम योजना के अनुबंधों में अधिकांश सामग्री एवं आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग लिया गया है और ऐसे में आपूर्ति प्राप्त करके 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रथम चलित

भुगतान से की गई, जिसे आगे भी उसी क्रम में किया गया। प्रत्येक चलित भुगतान में सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी हेतु अलग–अलग धनराशि अलग–अलग अनुबंधों में काटी गयी है एवं बैंक गारण्टी भी मेसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी एवं मेसर्स एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जमा की गयी है। प्रथम चलित देयकों से ही प्राधिकरण में प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा था। जहां तक प्राप्त विद्युत संयंत्रों के स्टाक रजिस्टर तैयार करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में प्राप्त सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करते हुए एवं इण्डेंट के माध्यम से ठेकेदार को कार्य स्थल पर प्रयोग किये जाने हेतु निर्गत किया गया है। यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण के 01 वर्ष तक वारण्टी/गारण्टी अनुबंधित फर्म की होगी।

श्री राधेश्याम शर्मा, जो दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत प्रथम) के पद पर कार्यरत थे, द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में ₹1043379443.00 **(संलग्नक–6 : भुगतान विवरण)** का कुल भुगतान किया था जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

**श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता के कार्यकाल दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण**

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Radhey Shyam Sharma | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agreement No. 761 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 66962289.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 26-02-2010 | 45211021.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Tejvir Singh, Rajnesh, Ravindra Kumar |
| | 2nd Running / Page No. 38-39 | | 17-04-2010 | 6077076.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Tejvir Singh, Rajnesh, Ravindra Kumar |
| 2 | **Agreement No. 762 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 230440943.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 08-01-2010 | 13784424.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram |
| | 2nd Running / Page No. 38-39 | | 26-02-2010 | 19759722.00 | Raj Kumar | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Jawahar Ram, Rakesh Mahalwal |
| | 3rd Running/ Page No. 43-44 | | 31-03-2010 | 37166729.00 | Raj Kumar | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Jawahar Ram, Rakesh Mahalwal |
| | 4th Running / Page No. 49-50 | | 14-05-2010 | 19430076.00 | Raj Kumar | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Jawahar Ram, Rakesh Mahalwal, S.S. Sharma |
| 3 | **Agreement No. 763 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 135423489.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 36-37 | | 28-01-2010 | 64307294.00 | Rajeev Singh | Harvir Singh, Satish Kumar, Girish Chandra |
| | 2nd Running / Page No. 46-47 | | 13-05-2010 | 8447114.00 | Rajeev Singh | Harvir Singh, Satish Kumar, Girish Chandra |
| 4 | **Agreement No. 764 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 291324041.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 34-35 | | 12-05-2010 | 3986752.00 | Bhoopendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virenra Kumar, Ram Kumar Tomar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Agreement No. 766 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 203416380.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 34-35 | | 29-01-2010 | 35999808.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Rajnesh, Tejvir Singh, Ravindra Kumar |
| | 2nd Running / Page No. 42-43 | | 06-03-2010 | 36070722.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Rajnesh, Tejvir Singh, Ravindra Kumar, Nikhil Bhatt (J.E. Store) |
| | 3rd Running / Page No. 50-51 | | 14-05-2010 | 29728374.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Rajnesh, Tejvir Singh, Ravindra Kumar |
| 6 | **Agreement No. 767 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 173775965.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 08-01-2010 | 17616741.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram, Arvind Srivastva, |
| | 2nd Running / Page No. 38-39 | | 26-02-2010 | 28944298.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram, Ashwani Mishra, Arvind Srivastva |
| | 3rd Running / Page No. 44-45 | | 06-03-2010 | 33836392.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Jawahar Ram, Ashwani Mishra |
| | 4rd Running / Page No. 50-51 | | 24-05-2010 | 2218194.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram, Ashwani Mishra |
| 7 | **Agreement No. 768 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 109190105.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 08-01-2010 | 36604533.00 | Rajeev Singh | Girish Chandra, Harvir Singh, Satish Kumar |
| | 2nd Running / Page No. 42-43 | | 28-01-2010 | 25373874.00 | Rajeev Singh | Girish Chandra, Harvir Singh, Satish Kumar |
| 8 | **Agreement No. 769 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 246209770.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 06-03-2010 | 69608250.00 | Bhupendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virendra Kumar, Ramkumar Tomar, Rajendra Gupta |
| | 2nd Running / Page No. 40-41 | | 31-03-2010 | 62179632.00 | Bhupendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virendra Kumar, Ramkumar Tomar, Rajendra Gupta |
| | 3rd Running / Page No. 46-47 | | 17-04-2010 | 47758586.00 | Bhupendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virendra Kumar, Ramkumar Tomar, Rajendra Gupta |
| 9 | **Agreement No. 771 FC/EEE/09 / M/S N.G.K.** | 212203494.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 27-03-2010 | 42093436.00 | Amrit Pal Singh | Ajay Singh, G.P. Sharma, Arvind Kumar, Devndra Singh, Anand Kumar Srivastva |
| | 2nd Running / Page No. 40-41 | | 16-04-2010 | 35524843.00 | Amrit Pal Singh | A.K. Srivastava |
| | 3rd Running / Page No. 48-49 | | 14-05-2010 | 4915363.00 | Amrit Pal Singh | Ajay Singh, Arvind Kumar, Devndra Singh, Anand Swaroop, Gajendra Pal Sharma |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4rd Running / Page No. 54-55 | | 16-08-2010 | 75506552.00 | Rajeev Singh, Bhupendra Kumar | Ajay Singh, Anand Srivastava, Gajendra Pal Sharma, Arvind Srivastav Devendra Chauhan |
| | **Agreement No. 772 FC/EEE/09 / M/S N.G.K.** | 202243347.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 31-32 | | 06-03-2010 | 58827259.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Gajendr Pal Sharma, A.K. Srivastava |
| | 2nd Running / Page No. 39-40 | | 26-03-2010 | 24175497.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Gajendr Pal Sharma, A.K. Srivastava |
| | 3rd Running / Page No. 47-48 | | 16-04-2010 | 14632650.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Gajendr Pal Sharma, A.K. Srivastava, Devendra Singh, Ajay Singh |
| | 4rd Running / Page No. 55-56 | | 14-05-2010 | 56466662.00 | Amrit Pal Singh | Gajendra Pal Sharma, A.K Srivastva |
| | 5th and Last Bill / Page No. 64 | | 03-08-2010 | 48141279.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Dendra Singh, Gajendra Pal Sharma, Ajay Singh, A.K. Srivastva |
| | **TOTAL** | | | **1004393153.00** | | |

जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है, जब उनके अधीन अलग–अलग सहायक अभियंता व अवर अभियंता कार्यरत थे, को भी आप द्वारा निर्गत व प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र मुधबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में किया गया था, क्योंकि आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन सं. 216/–5–14–13 जांच 13 दिनांक 29.01.2014 (संलग्नक–1) द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थगित करते हुए आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जबकि प्रार्थी दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत तृतीय) के पद पर कार्यरत था और उस दौरान प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में ₹619439598.00 **(संलग्नक–7 : भुगतान विवरण)** का कुल भुगतान किया था जिसका विवरण निम्नवत है :–

**श्री अमृत पाल सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियंता के कार्यकाल दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण**

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Amrit Pal Singh | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agreement No. 761 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 66962289.00 | | | | |
| | 3rd Running / Page No. 46-47 | | 29-11-2010 | 7018628.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, A.K. Srivastva |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4rd Running / Page No. 54-55 | | 31-03-2011 | 5617478.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Asad Ali, Devendra Singh, Vinod Kumar Sharma |
| 2 | **Agreement No. 762 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 230440943.00 | | | | |
| | 5th Running / Page No. 59-60 | | 29-09-2010 | 56082980.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey |
| | 6th Running / Page No. 67-68 | | 29-12-2010 | 10746117.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Devendra Singh Chauhan, Asad Ali, Vinod Kumar Sharma |
| | 7th Running / Page No. 75-76 | | 14-03-2011 | 44543731.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey,, Devendra Singh Chauhan, Asad Ali, Vinod Kumar Sharma |
| 3 | **Agreement No. 763 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 135423489.00 | | | | |
| | 3rd Running / Page No. 56-57 | | 13-10-2010 | 30945093.00 | R.S. Mavi | Harvir Singh, Satish Kumar, Girish Chandra, Virendra Kumar |
| | 4rd Running / Page No. 64-65 | | 28-03-2011 | 9995797.00 | R.S. Mavi | A.K. Srivastva, Vinod Kumar, A.K. Mishra, Asad Ali Ajay Singh Arvind Srivastva |
| 4 | **Agreement No. 764 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 291324041.00 | | | | |
| | 2nd Running / Page No. 46-47 | | 29-09-2010 | 63890453.00 | R.S. Mavi | Ajay Singh, Asad Ali, Ashwani Mishra |
| | 3rd Running / Page No. 52-53 | | 12-12-2010 | 63890454.00 | R.S. Mavi | A.K. Srivastva, Asad Ali, Ajay Singh |
| | 4rd Running / Page No. 60-61 | | 10-12-2010 | 39124480.00 | R.S. Mavi | Arvind Srivastva, Asad Ali Ashwani Mishra, Ajay Singh |
| | 5th Running / Page No. 68-69 | | 04-03-2011 | 41849866.00 | R.S. Mavi | Asad Ali, Ashwani Mishra, Arvind Srivas, K.D. Pandey, V.K. Shrama |
| 5 | **Agreement No. 766 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 203416380.00 | | | | |
| | 4rd Running / Page No. 58-59 | | 12-10-2010 | 31578071.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Devendra Singh Chauhan |
| | 5th Running / Page No. 64-65 | | 10-12-2010 | 13647098.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan |
| | 6th Running / Page No. 70-71 | | 24-03-2011 | 21010542.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Arvind Kumar Srivastva |
| 6 | **Agreement No. 767 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 173775965.00 | | | | |
| | 5th Running / Page No. 58-59 | | 29-11-2010 | 34174546.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan, Arvind Srivastva |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6th Running / Page No. 66-67 | | 29-12-2010 | 17819833.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan, Arvind Srivastva |
| | 7th Running / Page No. 74-75 | | 24-03-2011 | 16550247.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan, Arvind Srivastva, Asad Ali |
| 7 | **Agreement No. 768 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 109190105.00 | | | | |
| | 4rd Running / Page No. 62-63 | | 02-12-2010 | 14396340.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Vinod Kumar Sharma |
| | 5th Running / Page No. 70-71 | | 29-03-2011 | 14087594.00 | R.S. Mavi | Ajay Singh, Ashwani Mishra, Arvind Srivastava, Asad Ali, Devendra Singh Chauhan, K.D. Pandey, Vinod Kumar Sharma |
| 8 | **Agreement No. 769 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 246209770.00 | | | | |
| | 4rd Running / Page No. 54-55 | | 04-11-2010 | 41940596.00 | R.S. Mavi | Ajay Singh, Asad Ali, Ashwani Mishra |
| | 5th Running / Page No. 62-63 | | 31-03-2011 | 19968612.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, Asad Ali, Dendra Singh Chauhan Arvind Srivastava, Ajay Singh, Vinod Kumar Sharma |
| 9 | **Agreement No. 771 FC/EEE/09 / M/S N.G.K.** | 212203494.00 | | | | |
| | 5th Running / Page No. 64-65 | | 28-12-2010 | 6984402.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Arvind Srivastva, Dendra Chauhan |
| | 6th Running / Page No. 72-73 | | 02-05-2011 | 13576640.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Arvind Srivastva, Dendra Chauhan |
| | **TOTAL** | | | **619439598.00** | | |

जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है, जबकि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने पत्र सं. 194/4/ EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक–4) के प्रस्तर 3 में प्रार्थी द्वारा अधिशासी अभियंता के पद पर दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक प्रार्थी द्वारा कुल भुगतान ₹619439598.00 उल्लिखित किया है, यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.07.2007 से 06.07.2010 तक प्रार्थी सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत था और उस अवधि में कुछ समय के लिए मधुबन बापूधाम योजना विद्युतीकरण का कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध सं. 771 एवं 772 के सम्बन्ध में कार्यरत थे और उस कार्य के लिए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने सं. 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक–4) में यह

उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए ₹284776989.00 का भुगतान किया है, जबकि किसी भी सहायक अभियंता (विद्युत) को मधुबन बापूधाम योजना के भुगतान हेतु आरोपित नहीं किया गया है और न ही कोई अनुशासनिक विभागीय जांच करायी गयी है अथवा लम्बित है, जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवष्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक अभियंता (विद्युत) की कार्य अवधि दिनांक 03.07.2007 से 06.07.2010 के बीच में कुछ समय के लिए प्रार्थी स्टोर अधिकारी के पद पर भी कार्यरत था और उस कार्य के लिए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने पत्र सं. 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक–4) के प्रस्तर 3 में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने ₹65799096.00 का भुगतान किया है, जबकि स्टोर अधिकारी के रूप में कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है और न ही प्रार्थी ने किया है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय की गयी सामग्री का स्टॉक बुक में इंद्राज कर इण्डेंट प्राप्त होने पर कर केवल निर्गत किया जाता है और क्रय की गयी सामग्री के भुगतान को केवल उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के निर्णयानुसार ही होता है, इसलिए उल्लिखित गलत सूचना की पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है एवं प्रार्थी की सेवा निवृत्ति के उपरांत श्री राम नगीना त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा दिनांक 20.10.2011 को अनुबंध संख्या 764 FC/EEE/09 के अन्तर्गत छठें चलित देयक में रूपये ₹12308334.00 (अर्थात् अनुबंध का लगभग 4.22 प्रतिशत) भुगतान किया गया **(संलग्नक–8 : भुगतान विवरण)**, जिसका विवरण निम्नवत है :–

**श्री राम नगीना त्रिपाठी तत्कालीन अधिशासी अभियंता के कार्यकाल के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2011 को मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण**

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Ram Nagina Tripathi | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agreement No. 764 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 291324041.00 | | | | |
| | 6th Running / Page No. 78-79 | | 20-10-2011 | 12308334.00. | Sudhanshu Sharma and Shri R.S. Mavi | A.P. Dwivedi |
| | **TOTAL** | | | 12308334.00 | | |

जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी के दिनांक रहित आरोप पत्र द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध आरोप निम्नलिखित है :–

*"आरोप संख्या–1*

*विद्युत संयत्रों के आपूर्ति व स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य भी सम्मिलित था, परन्तु विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान कराया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*निविदाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छाया प्रति।"*

श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 1 निम्नलिखित है:–

*"आरोप संख्या–1*

*विद्युत संयत्रों के आपूर्ति व स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य भी सम्मिलित था, परन्तु विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान कराया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*निविदाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छाया प्रति।"*

प्रार्थी के दिनांक रहित आरोप पत्र द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. –2 निम्नलिखित है :–

*"आरोप संख्या–2*

*विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रों के भुगतान सिक्योर्ड एडवांश के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छाया प्रति।"*

श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 2 निम्नलिखित है:–

*"आरोप संख्या–2*

*विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रों के भुगतान सिक्योर्ड एडवांश के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छाया प्रति।"*

प्रार्थी के दिनांक रहित आरोप पत्र द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं.–3 निम्नलिखित है :–

*"आरोप संख्या–3*

*आप द्वारा क्रय किये गये विद्युत संयत्रों का संरक्षण की उचित व्यवस्था न करने के दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छाया प्रति।"*

श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 3 निम्नलिखित है:–

*"आरोप संख्या–3*

*आप द्वारा क्रय किये गये विद्युत संयत्रों का संरक्षण की उचित व्यवस्था न करने के दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छाया प्रति।"*

प्रार्थी के दिनांक रहित आरोप पत्र द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. –4 निम्नलिखित है :–

*"आरोप संख्या–4*

*आप द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयत्रों के क्रय सम्बन्धी पत्रावली पर आडिट आपत्ति कि समान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके पश्चात् भी आपूर्तियां प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छाया प्रति।"*

श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 4 निम्नलिखित है:–

*"आरोप संख्या–4*

*आप द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयत्रों के क्रय सम्बन्धी पत्रावली पर आडिट आपत्ति कि समान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके पश्चात् भी आपूर्तियां प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की छाया प्रति।"*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध चारों आरोप अक्षरशः एक थे। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 **(संलग्नक सं. 9)**, अपने पत्र सं. 709/28–86/2012–14/पीए दिनांक 23.07.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई थी और तद्नुसार आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–9), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं. 84/आठ–9–17–13जांच/2013 दिनांक 07.02.2017 **(संलग्नक सं. 10)** द्वारा समस्त चारों आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया और तद्नुसार बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गई, जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री राम नगीना त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध भी मुधबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण एवं श्री डी0के0 त्यागी, अधिशासी अभियंता (सिविल), श्री आर0एल0 सरोज, अधिशासी अभियंता (सिविल) एवं श्री एस0एस0 शुक्ला, अधिशासी अभियंता (सिविल) के विरूद्ध भी मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण कार्य के सम्बध में आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा आरोप पत्र निर्गत किया गया था और तत्पश्चात् उपरोक्त चार अधिशासी अभियंताओं के विरूद्ध भी कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया था और अंततः उन चारों के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–9), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समाप्त की गई थी, जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है। श्री एस0एस0 शुक्ला, अधिशासी अभियंता (सिविल) एवं श्री आर0एल0 सरोज, अधिशासी अभियंता (सिविल) के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं. 1106/आठ–5–16–13जांच/13 दिनांक 11.08.2016 **(संलग्नक सं. 11)** एवं कार्यालय ज्ञाप सं. 1107/आठ–5–16–13जांच/ 13 दिनांक 11 अगस्त, 2016 **(संलग्नक सं. 12)** है। अन्य दो अधिशासी अभियंता श्री राम नगीना त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता (विद्युत) एवं श्री डी.के. त्यागी, अधिशासी अभियंता (सिविल) के

आदेश प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है, परन्तु उनको भी आरोपित किया गया था और तत्पश्चात् उन्हें बिना दण्ड दिए दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है एवं आपके कार्यालय में उनके संदर्भ में जांच आख्या उपलब्ध है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री राधेश्याम शर्मा अधिशासी अभियंता (विद्युत) जो प्रार्थी के पूर्व मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण का कार्य कर रहे थे। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि मधुबन बापू धाम योजना का विद्युतीकरण का कार्य ₹188.00 करोड़ का था, जिसमें से श्री राधेश्याम शर्मा की कार्य अवधि (22.08.2009 से 21.09.2010) के दौरान ₹1004393153.00 (अर्थात् समस्त अनुबंध का 53.19 प्रतिशत) का भुगतान किया गया जबकि प्रार्थी की अवधि (21.09.2010 से 30.04. 2011) के दौरान रूपये ₹619439598.00 (अर्थात् समस्त अनुबंध का 32.94 प्रतिशत) का भुगतान किया गया एवं श्री राम नगीना त्रिपाठी की अवधि के दौरान रूपये ₹12308334.00 (अर्थात् अनुबंध का लगभग 4.22 प्रतिशत) दिनांक 20.10.2011 को भुगतान किया गया, अर्थात् तीनों अधिशासी अभियंताओं द्वारा किया गया भुगतान, समस्त अनुबंध का केवल 86.70 प्रतिशत है, जबकि 90 प्रतिशत तक भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जा सकता था। प्रार्थी के ऊपर यह आरोप नहीं है कि प्रार्थी ने अनुबंध के विपरीत 90 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया है, या बिना Indemnity Bond के भुगतान किया है। उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पत्र सं. 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक सं. 4) के प्रस्तर 3 की आख्या में प्रार्थी की अधिशासी अभियंता (विद्युत) की कार्यावधि में ₹61,94,39,598.00 का भुगतान उल्लिखित किया गया, यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.07.2007 से 06.07.2010 तक प्रार्थी सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत था और उस अवधि में कुछ समय के लिए मधुबन बापूधाम योजना विद्युतीकरण का कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध सं. 771 एवं 772 के सम्बन्ध में कार्यरत थे और उस कार्य के लिए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने सं. 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक–4) में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए ₹284776989.00 का भुगतान किया है, जबकि किसी भी सहायक अभियंता (विद्युत) को मधुबन बापूधाम योजना के भुगतान हेतु आरोपित नहीं किया गया है और न ही कोई अनुशासनिक विभागीय जांच करायी गयी है अथवा लम्बित है, जिसकी पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवष्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक अभियंता (विद्युत) की कार्य अवधि दिनांक 03.07.2007 से 06.07.2010 के बीच में कुछ समय के लिए प्रार्थी स्टोर अधिकारी के पद पर भी कार्यरत था और उस कार्य के लिए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने पत्र सं. 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक–4) के

प्रस्तर 3 में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने ₹65799096.00 का भुगतान किया है, जबकि स्टोर अधिकारी के रूप में कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है और न ही प्रार्थी ने किया है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय की गयी सामग्री का स्टॉक बुक में इंद्राज कर इण्डेंट प्राप्त होने पर कर केवल निर्गत किया जाता है और क्रय की गयी सामग्री के भुगतान को केवल उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के निर्णयानुसार ही होता है, इसलिए उल्लिखित गलत सूचना की पुनः पुष्टि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कराया जाना आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक रहित आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि प्रार्थी की सहायक अभियंता (विद्युत) व स्टोर अधिकारी की कार्यावधि के दौरान के संदर्भ में प्रार्थी को आरोपित नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी अन्य सहायक अभियंता (विद्युत) व स्टोर अधिकारी जो मधुबन बापू धाम योजना का विद्युतीकरण कार्य से सम्बन्धित था, को कोई भी आरोप पत्र निर्गत नहीं किया गया है एवं स्टोर अधिकारी के रूप में किसी अधिकारी द्वारा स्टोर में रखे विद्युत सामग्री का भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि केवल भण्डारण एवं उपयोगिता तक किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश समवर्ती सम्परीक्षा विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को पत्र दिनांक 12.07.2010 **(संलग्नक सं. 13)** भेजा और जिसकी प्रति मुख्य अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्र दिनांक 12.07.2010 (संलग्नक सं. 13) के अनुक्रम में विद्युत अभियंत्रण खण्ड प्रथम के नोटशीट दिनांक 13.08.2010, जिस पर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 19.08.2010 को प्रस्ताव प्रेषित किया था की प्रति प्रथमतः प्रार्थी को आरोप पत्र के माध्यम से ही प्राप्त हुई, इससे पूर्व नहीं और प्रार्थी के यह भी संज्ञान में नहीं है कि उपरोक्त नोटशीट पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया। अगर उपरोक्त नोटशीट पर कोई अंतिम निर्णय उपाध्यक्ष द्वारा लिया गया है, तो उसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 12.07.2010 (संलग्नक सं. 13) को दृष्टिगत रखते हुए वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद अर्थात् लेखा अनुभाग के माध्यम से उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश सं. 142/लेखा अनु0/10 दिनांक 19.08.2010 **(संलग्नक सं. 14)** जारी किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक देयक के भुगतान के पश्चात् पत्रावली सम्बन्धित अनुभागीय लिपिक द्वारा आडिट अनुभाग को सम्परीक्षा हेतु प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांक 19.08.2010 (संलग्नक सं. 14) के पूर्व भुगतान की पत्रावली पर अवर अभियंताओं, सहायक

सम्बन्ध में एवं सुरक्षा की दृष्टि को आधार बनाते हुए ठेकेदार की सुरक्षा में मधुबन बापू धाम योजना के भूखण्ड पर पक्का फर्श बनाते हुए सामग्री रखी गयी थी, जिसका उल्लेख श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा समस्त पत्रावलियों/अनुबंधों के प्रथम चलित देयक में एक समान की गई टिप्पणी पर है। उदाहरण स्वरूप अनुबंध संख्या 766 के टिप्पणी एवं विवेचना पत्रावली के पृष्ठ 30 पर प्रथम चलित के देयक पर दिनांक 27.01.2010 **(संलग्नक सं.–5)** को निम्नलिखित टिप्पणी श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा की गयी है :–

> *"कृपया साईट पर अभी कोई स्टोर/यार्ड निर्मित नहीं है। अतः खुले स्थान पर सामग्री रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि आपूर्त की गयी सामग्री फर्म की सुरक्षा में ही रखी जाए। क्योंकि यह फर्म द्वारा ही स्थापित की जानी है। मधुबन बापूधाम योजना में कोई पक्का स्थल एवं चार दीवारी न होने के कारण फर्म इसे अपने ही सुरक्षा में योजना के समीप आइडियल इन्स्टीट्यूट से सटी जमीन पर स्टोर बनाने की व्यवस्था की हैं वहीं पर फर्म अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है।"*

श्री राधेश्याम शर्मा की उपरोक्त टिप्पणी पर सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की संस्तुति के उपरांत अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, जिसे मुख्य अभियंता द्वारा वित्त नियंत्रक को अग्रसारित किया गया और फिर वित्त नियंत्रक द्वारा सचिव एवं उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रथम चलित भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् श्री राधेश्याम शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा और चलित भुगतान किये गये। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा खुले स्थान पर भण्डारण किया जाना समुचित माना गया और तद्नुसार प्राप्त सामग्री खुले स्थान पर रखी गयी। समस्त मधुबन बापू धाम योजना के अनुबंधों में अधिकांश सामग्री एवं आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग लिया गया है और ऐसे में आपूर्ति प्राप्त करके 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रथम चलित भुगतान से की गई, जिसे आगे भी उसी क्रम में किय गया। प्रत्येक चलित भुगतान में सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी हेतु अलग–अलग धनराशि अलग–अलग अनुबंधों में काटी गयी है एवं बैंक गारण्टी भी मेसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी एवं मेसर्स एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जमा की गयी है। प्रथम चलित देयकों से ही प्राधिकरण में प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा था। जहां तक प्राप्त विद्युत संयंत्रों के स्टाक रजिस्टर तैयार करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में प्राप्त सामग्री

का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करते हुए एवं इण्डेंट के माध्यम से ठेकेदार को कार्य स्थल पर प्रयोग किये जाने हेतु निर्गत किया गया है। यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण के 01 वर्ष तक वारण्टी/गारण्टी अनुबंधित फर्म की होगी।

श्री राधेश्याम शर्मा, जो दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत प्रथम) के पद पर कार्यरत थे, द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में ₹1043379443.00 (संलग्नक–6 : भुगतान विवरण) का कुल भुगतान किया था, जब उनके अधीन अलग–अलग सहायक अभियंता व अवर अभियंता कार्यरत थे, को भी आप द्वारा निर्गत व प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र मुधबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में किया गया था, क्योंकि आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन सं. 216/–5–14– 13 जांच 13 दिनांक 29.01.2014 (संलग्नक–1) द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थगित करते हुए आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जबकि प्रार्थी दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियंता (विद्युत तृतीय) के पद पर कार्यरत था और उस दौरान प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में ₹600802839.00 (संलग्नक–7 : भुगतान विवरण) का कुल भुगतान किया था एवं प्रार्थी की सेवा निवृत्ति के उपरांत श्री राम नगीना त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा दिनांक 20.10.2011 को अनुबंध संख्या 764 FC/EEE/09 के अन्तर्गत छठें चलित देयक में रूपये ₹12308334.00 (अर्थात् अनुबंध का लगभग 4.22 प्रतिशत) भुगतान किया गया (संलग्नक–8 : भुगतान विवरण)।

श्री राधेश्याम शर्मा जो प्रार्थी के पूर्व अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रथम के पद पर दिनांक 22.08.2009 से कार्य करते थे, दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक मधुबन बापूधाम योजना पर कार्यरत थे, के विरूद्ध आरोप सं. 1 निम्नलिखित हैः–

*"आरोप संख्या–1*

*विद्युत संयत्रों के आपूर्ति व स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य भी सम्मिलित था, परन्तु विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान कराया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।*

*पठनीय साक्ष्य*

*निविदाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छाया प्रति।"*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 1 अक्षरशः एक है। श्री

राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) अपने पत्र सं. 709/28–86/2012–14/पीए दिनांक 23.07.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी। जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) द्वारा आरोप सं. 1 के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रेषित किया है :–

*"निष्कर्ष :–*

*आरोप सं0–1 में आरोपित अधिकारी पर मुख्य आरोप यह है कि अनुबन्ध की शर्तों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कार्य एवं आपूर्ति किये जाने के उपरांत ही भुगतान कराया जाना था, परन्तु आरोपी अधिकारी द्वारा मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान कराया गया।*

*आरोप अधिकारी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में दिनांक 25.08.2009 को तैनात किया गया तथा दिनांक 20.09.2010 तक उनका कार्यकाल रहा।*

*इस सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की टिप्पणी एवं आदेश की पत्रावली पर अंकित कार्यालय टिप्पणी दिनांक 01.09.2009 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सब स्टेशन नं0–1 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण एवं फिक्सिंग का कार्य प्रथम न्यूनतम कोटेशनदाता मे0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी को नेगोसिएशन के उपरांत निविदा राशि रू0 10,91,90,105.00 आंकलित हुई, जिसके व्यय अनुमान की स्वीकृति उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 24.07.2009 को इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि कार्य योजना (डी0पी0आर0) का अनुमोदन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदनोपरांत कार्य के अन्तर्गत प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री व उपकरण आपूर्ति किये जाने वाली फर्म द्वारा इंश्योरेंस कराते हुए व इन्डीमेनिट बॉन्ड देते हुए सुरक्षित रखने होंगे तथा स्थल पर विधिवत् स्थापित करने करने के उपरांत ऊर्जीकृत दशा में यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगत करने की पूरी जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। केवल आपूर्ति की जाने वाली मदों का 90 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।*

*इससे विदित होता है कि प्रश्नगत कार्य हेतु जिस फर्म की निविदा स्वीकृत हुई, उसके द्वारा विद्युत सामग्री के उपकरण की आपूर्ति, इंश्योरेन्स आदि कराने एवं स्थल पर विधिवत स्थापना करने एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0) को ऊर्जीकृत दशा में हस्तगत रने का दायित्व निर्धारित किया गया तथा आपूर्ति मद में अधिकतम 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाना निश्चित किया गया। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में अनुबन्धित फर्म द्वारा विद्युत सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति किया जाना निर्विवादित है। उक्त फर्म द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने से पूर्व ही उक्त फर्म को लगभग 80–81 प्रतिशत भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि स्थल*

*पर फिक्सिंग का कार्य दूसरी फर्म द्वारा किया जाना था। अनुबन्ध में आपूर्ति सामग्री का 90 प्रतिशत तक भुगतान किये जाने का शर्तों में उल्लेख है। कार्यालय टिप्पणी/आदेश के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता कि आपूर्ति के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाना था, अथवा मात्र आपूर्ति के उपरांत। प्रश्नगत प्रकरण में आपूर्ति के सापेक्ष लगभग 80–81 प्रतिशत भुगतान आरोपी अधिकारी के माध्यम से किये जाने के तथ्य को आरोपित अधिकारी के माध्यम से किये जाने के तथ्य को आरोपित अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः निविदा/अनुबन्ध में विद्युत उपकरणों की स्थापना के उपरान्त भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट न होने के कारण आरोपित अधिकारी पर निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान किये जाने का आरोप सिद्ध नहीं पाया जाता।"*

तद्नुसार आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–9), उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं. 84/आठ–9–17–13 जांच/2013 दिनांक 07.02.2017 (संलग्नक–10) द्वारा उपरोक्त आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया है और तद्नुसार बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है। 10 अनुबंध दिनांक 05.11.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि एक अनुबंध केवल आपूर्ति का था और बाकी 9 अनुबंध में अधिकांश मदें आपूर्ति एवं स्थापना का उल्लेख अलग–अलग है। उक्त दोनों मदों को एक साथ कार्यवाही नहीं हो सकती है। अन्य मदों में आपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत ही स्थापना का कार्य हो सकता है, क्योंकि आपूर्ति के लिए आपूर्ति लिये जाने से पूर्व निर्माता की फैक्ट्री में यू.पी.पी.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निरीक्षण उपरांत संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में आपूर्ति प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्व से ही सम्पादित हो रही थी। जिसे प्रार्थी द्वारा जारी रखा गया। वर्तमान प्रकरण में अनुबंधित फर्म द्वारा विद्युत सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति किया जाना निर्विवाद है। उक्त फर्म द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने से पूर्व ही उक्त फर्म को लगभग 87 प्रतिशत भुगतान किया गया। अनुबंध की आपूर्ति सामग्री का 90 प्रतिशत तक भुगतान किये जाने का अनुबंध की शर्तों में उल्लेख है। अतः प्रार्थी पर निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान किये जाने का आरोप पूर्णतः बेबुनियाद व अप्रमाणित होता है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी

*किया जाना चाहिए था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिए आप दोषी हैं।"*

*पठनीय साक्ष्य*

*निविदाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छाया प्रति।"*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 2 अक्षरशः एक है। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 **(संलग्नक–9)** अपने पत्र सं. 709/28–86/2012–14/पीए दिनांक 23.07.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी। जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) द्वारा आरोप सं. 2 के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रेषित किया है :–

*"निष्कर्ष :–*

*आरोप सं0–2 में आरोपित अधिकारी को मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपित किया गया है कि विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कार्य सम्पन्न न होने के स्थिति में भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने एवं प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न करने हेतु दोषी माना गया। इस सम्बन्ध में आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों की छायाप्रति एवं स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रतिपि संलग्न करते हुए, अन्तिम भुगतान कराये जाने से इंकार किया गया है।*

*आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों एवं आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न प्राधिकरण के अभिलेखों की छायाप्रति से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में किया जाना था। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपित अधिकारी द्वारा 90 प्रतिशत से कम भुगतान प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक–352/4/ईईई–जी. एम.पी/15 दिनांक 19.08.2015 द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा (आरोपित अधिकारी) को उपलब्ध कराये गये स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति भी आरोपित अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि योजना के आपूर्तित विद्युत सामग्री की कार्यालय में उपलब्ध स्टाक बुक की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा रही है तथा स्टाक रजिस्टर की जानकारी तत्कालीन सहायक/अधिशासी अभियन्ता श्री ए0पी0 सिंह एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री निखिल भट्ट से प्राप्त की जा रही है। इससे आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उनके द्वारा प्राप्त विद्युत संयंत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार कराया गया था। इसके अतिरिक्त भुगतान के संबंध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पत्र सं0–505/4/ई.ई–ई/(नोडल–अधि) /2016 दिनांक 21.06.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि मधुबन बापूधाम*

ने आपूर्ति के उपरांत चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व ही दसों अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थीं एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। इसीलिए प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. 1 में किसी भी प्रकार की क्षति का आरोप नहीं लगाया है। उपरोक्तानुसार आरोप सं. 1 सिद्ध नहीं होता है।

b. यह कि आरोप पत्र का आरोप संख्या 2 निम्नवत है :–

*"आरोप संख्या–2*

*विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रों के भुगतान सिक्योर्ड एडवांश के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिए आप दोषी हैं।"*

**प्रार्थी का उत्तर :–**

श्री राधेश्याम शर्मा जो प्रार्थी के पूर्व अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रथम के पद पर दिनांक 22.08.2009 से कार्य करते थे, दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक मधुबन बापूधाम योजना पर कार्यरत थे, के विरूद्ध आरोप सं. 2 निम्नलिखित है:–

*"आरोप संख्या–2*

*विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रों के भुगतान सिक्योर्ड एडवांश के रूप में प्रस्तावित*

*योजना में विद्युतीकरण कार्य के लिये कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किये गये प्रोजेक्ट को नौ भागों में विभाजित कर, अलग–अलग निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसमें अनुबन्ध सं0–772 एवं 771 मैं0 एन0के0जी0, इन्फ्रा0 के साथ तथा अनुबन्ध सं0– 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 769 मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के साथ निष्पादित किये गये थे। अनुबन्ध सं0–772 एवं 769 में केवल आपूर्ति के ही मद (जैसे–आक्टोगोनल पोल, स्ट्रीट लाईट फिटिंग एवं एच.टी. केबिल आदि) सम्मिलित थे, जिन्हें स्थापित कराये जाने की मद एवं इनकी दरें अन्य अनुबन्धों (अनुबन्ध सं0–762, 763, 766, 767, 768 एवं 771) के अंतर्गत सम्मिलित थी तथा अनुबन्ध सं0– 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 771 में मुख्य सामग्री जैसे एच0टी0 केबिल, एल0टी0 केबिल एवं 63 के0वी0ए0, 400 के0वी0ए0 तथा 630 के0वी0ए0 काम्पेक्ट सब–स्टेशन आदि की आपूर्ति के मद अलग हैं एवं इनके स्थापना के मद अलग–अलग अंकित हैं। अनुबन्धित बिल आफ क्वान्टिटी (बी0ओ0क्यू0) के अन्तर्गत अनेक कार्य मात्र मदों की आपूर्ति के ही हैं, जिस कारण आपूर्ति मदों का भुगतान किया जाना अनबन्ध की शर्तों के अनुसार बताया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्ति सामग्री के सापेक्ष आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भुगतान मुख्य अभियंता, सचिव एवं उपाध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त ही किया गया। यदि उक्त भुगतान नियम विरूद्ध तरीके से प्रस्तावित किया गया था तो उसे उच्चाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता था। अतः यह आरोप आरोपित अधिकारी पर सिद्ध नहीं पाया जाता।"*

तद्नुसार आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–9), उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं. 84/आठ–9–17–13जांच/2013 दिनांक 07.02.2017 (संलग्नक–10) द्वारा उपरोक्त आरोप को सिद्ध नहीं पाया गया है और तद्नुसार बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है। किसी भी सामग्री अथवा कार्य का अग्रिम भुगतान प्रार्थी द्वारा अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत होते हुए नहीं किया गया है, क्योंकि सामग्री प्राप्त होने के उपरांत स्टाक बुक में सामग्री का इन्द्राज करते हुए ही भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया है, जैसा कि समस्त पत्रावलियों में उल्लेख है। प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों एवं स्टाक रजिस्टर से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने कोई अंतिम भुगतान नहीं किया है और इस संदर्भ में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने पत्र सं. 194/4/ EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक सं. 4) में यह स्पष्ट कहा है कि प्रार्थी की तैनाती की अवधि में अंतिम भुगतान नहीं कराया गया है। प्रार्थी ने कोई भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में नहीं किया है। प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों एवं स्टाक रजिस्टर से स्पष्ट है कि योजना की

आपूर्ति विद्युत सामग्री स्टाक बुक में उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा अधिशासी अभियंता (विद्युत) के रूप में स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जाती थी, बल्कि अवर अभियंता द्वारा इण्ट्री करने के उपरांत उसका सत्यापन स्टोर अधिकारी द्वारा किया जाता था, उसे अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा अग्रसारित किया जाता था। प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपूर्ति मदों का भुगतान किया जाना अनुबंध की शर्तों के अनुसार है और प्रत्येक भुगतान अवर अभियंता द्वारा मापी किये जाने एवं सहायक अभियंता द्वारा संस्तुति किये जाने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भुगतान मुख्य अभियंता, वित्त नियंत्रक, सचिव एवं उपाध्यक्ष की अनुमति के उपरांत ही किया गया है। प्रस्तर में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद व अप्रमाणित है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ने आपूर्ति के उपरांत चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व ही दसों अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थी एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। इसीलिए प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. 2 में किसी भी प्रकार की क्षति का आरोप नहीं लगाया है। उपरोक्तानुसार आरोप सं. 2 सिद्ध नहीं होता है।

एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। इसीलिए प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. 3 में किसी भी प्रकार की क्षति का आरोप नहीं लगाया है। उपरोक्तानुसार आरोप सं. 3 सिद्ध नहीं होता है।

d. यह कि आरोप पत्र का आरोप संख्या 4 निम्नवत है :–

*"आरोप संख्या–4*

*आप द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयत्रों के क्रय सम्बन्धी पत्रावली पर आडिट आपत्ति कि समान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके पश्चात् भी आपूर्तियां प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।"*

**प्रार्थी का उत्तर :–**

श्री राधेश्याम शर्मा जो प्रार्थी के पूर्व अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रथम के पद पर दिनांक 22.08.2009 से कार्य करते थे, दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक मधुबन बापूधाम योजना पर कार्यरत थे, के विरूद्ध आरोप सं. 4 निम्नलिखित है:–

*"आरोप संख्या–4*

*आप द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयत्रों के क्रय सम्बन्धी पत्रावली पर आडिट आपत्ति कि समान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके पश्चात् भी आपूर्तियां प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।"*

*पठनीय साक्ष्य*

*निविदाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छाया प्रति।"*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध व श्री राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध आरोप सं. 4 अक्षरशः एक है। श्री राधेश्याम शर्मा के संदर्भ में आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 **(संलग्नक–9)** अपने पत्र सं. 709/28–86/2012–14/पीए दिनांक 23.07.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी। जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा जांच आख्या दिनांक 22.07.2016 (संलग्नक–9) द्वारा आरोप सं. 4 के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रेषित किया है :–

*"निष्कर्ष :–*

*इस आरोप में आरोपित अधिकारी को मुख्य रूप से आडिट आपत्तियों के उपरान्त विद्युत संयंत्रों के आपूर्ति प्राप्त करने एवं उनका भुगतान किये जाने का दोषी बताया गया है, जबकि आरोपित अधिकारी द्वारा आडिट*

*आपत्ति के उपरान्त विद्युत सामग्री का आपूर्ति एवं भुगतान किये जाने से इंकार किया गया है। उनके द्वारा अपने उत्तर के साथ मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्रांक–115/विद्युत अनु0/2010 दिनांक 20.09.2010 की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है, जिसमें विद्युत सामग्री आपूर्ति वाली फर्म से सामग्री लेने के संबंध में फर्म द्वारा दबाव बनाये जाने एवं प्राप्त सामग्री के अनुरक्षण, यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगत आदि के संबंध में उच्चाधिकारियों के स्तर पर निर्णय लेने एवं उनके (आरोपित अधिकारी) स्थान पर किसी अन्य अधिशासी अभियन्ता को दायित्व प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। इससे आरोपित अधिकारी के इस कथन की पुष्टि होता है कि उनके द्वारा आडिट आपत्ति के उपरान्त विद्युत सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करने एवं भुगतान किये जाने की कोई संस्तुति नहीं की गयी। आरोप पत्र में उल्लिखित इस तथ्य के सम्बन्ध में ऐसा कोई पुष्टिकृत साक्ष्य संलग्न नहीं है, जिसके आधार पर आरोपित अधिकारी को उक्त कृत्य हेतु दोषी माना जा सके। अतः यह आरोप भी आरोपित अधिकारी पर सिद्ध नहीं पाया जाता।"*

तद्नुसार आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–9), उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं. 84/आठ–9–17–13जांच/2013 दिनांक 07.02.2017 (संलग्नक–10) द्वारा समस्त चारों आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया है और तद्नुसार बिना किसी दण्ड के अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है।

सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश समवर्ती सम्परीक्षा विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ने वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को पत्र दिनांक 12.07.2010 (संलग्नक सं. 13) भेजा और जिसकी प्रति मुख्य अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्र दिनांक 12.07.2010 (संलग्नक सं. 13) के अनुक्रम में विद्युत अभियंत्रण खण्ड प्रथम के नोटशीट दिनांक 13.08.2010, जिस पर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 19.08.2010 को प्रस्ताव प्रेषित किया था की प्रति प्रथमतः प्रार्थी को आरोप पत्र के माध्यम से ही प्राप्त हुई, इससे पूर्व नहीं और प्रार्थी के यह भी संज्ञान में नहीं है कि उपरोक्त नोटशीट पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया। अगर उपरोक्त नोटशीट पर कोई अंतिम निर्णय उपाध्यक्ष द्वारा लिया गया है, तो उसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 12.07.2010 (संलग्नक सं. 13) को दृष्टिगत रखते हुए वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद अर्थात् लेखा अनुभाग के माध्यम से उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश सं. 142/लेखा अनु0/10 दिनांक

19.08.2010 (संलग्नक सं. 14) जारी किय गया, जिसके अनुसार प्रत्येक देयक के भुगतान के पश्चात् पत्रावली सम्बन्धित अनुभागीय लिपिक द्वारा आडिट अनुभाग को सम्परीक्षा हेतु प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांक 19.08.2010 (संलग्नक सं. 14) के पूर्व भुगतान की पत्रावली पर अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं, मुख्य अभियंता, लेखा अनुभाग, वित्त नियंत्रक, सचिव एवं अंतिम अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाता था और तत्पश्चात् भुगतान पत्रावली आडिट अनुभाग में सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की जाती थी, जबकि 19.08.2010 के बाद भुगतान की पत्रावली पर अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं, मुख्य अभियंता, लेखा अनुभाग, वित्त नियंत्रक, सचिव एवं अंतिम अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाता था और तत्पश्चात् भुगतान पत्रावली आडिट अनुभाग में सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती थी। प्रार्थी की सेवा निवृत्ति दिनांक 30.04.2011 के बाद प्रथमतः वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या 583/लेखा/2011 दिनांक 09.05.2011, जिसका उल्लेख उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पत्र संख्या 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक सं.–4) के प्रस्तर–4 की आख्या में उल्लिखित किया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2009–2010 से सम्बन्धित आडिट आपत्ति भाग–2 (चार) 5 एवं भाग–3 के 35 में बिन्दु 1, 2, 3, 4 व 11 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अधिशासी अभियंता विद्युत (3) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पत्र सं. 732/4/ईई(3)/2011 दिनांक 27.05.2011 **(संलग्नक सं. 15)** द्वारा प्रस्तुत किया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के अधिशासी अभियंता (विद्युत) मधुबन बापूधाम योजना विद्युतीकरण के कार्यकाल के दौरान दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक कोई ऑडिट आपत्ति नहीं हुई, जिसका उल्लेख उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र सं. 194/4/EEE/GMP/2022–23 दिनांक 04.05.2022 (संलग्नक–4) के प्रस्तर–5 की आख्या में भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आडिट आपत्ति लगाये जाने के उपरांत कोई भी भुगतान नहीं किया है। प्रस्तर में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद व अप्रमाणित है। विद्युत आपूर्ति किये गये विद्युत संयंत्रों की स्थापना प्रथमतः माह नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ हुई, जब प्रार्थी अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत रहते हुए मधुबन बापूधाम योजना का कार्य देख रहा था, जबकि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ने आपूर्ति के उपरांत चलित भुगतान की प्रक्रिया 08 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ कर दी थी। प्रार्थी को जब दिनांक 21.09.2010 को मधुबन बापूधाम योजना का कार्य भार सौंपा गया था, उसके पूर्व ही

दसों अनुबंध दिनांक 05.11.2009 को निष्पादित किये जा चुके थे और भुगतान प्रक्रिया दिनांक 08.01.2010 से प्रारम्भ हो चुकी थी एवं प्रार्थी से पूर्व ही दसों अनुबंध का लगभग 53.19 प्रतिशत भुगतान हो चुका था, परन्तु कार्यस्थल पर कोई स्थापन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रार्थी द्वारा 8 में से 4 सबस्टेशन के स्थापन हेतु भूमि चिन्हित कर सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं केबिल ट्रेंच की ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त कर सिविल अभियंत्रण खण्ड को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई, जिसके उपरांत ट्रेंच का कार्य नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुआ, जहां तक स्थापन का प्रश्न है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए 10 में से 9 अनुबंधों का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 1 अनुबंध के संदर्भ में एक सब स्टेशन का कार्य पूरा होने के पश्चात् केवल यू.पी.पी.सी.एल. को स्थानांतरण एवं ऊर्जीकृत किया जाना शेष है। इसीलिए प्रार्थी के विरूद्ध आरोप सं. 4 में किसी भी प्रकार की क्षति का आरोप नहीं लगाया है। उपरोक्तानुसार आरोप सं. 4 सिद्ध नहीं होता है।

4. यह कि प्रार्थी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 30.04.2011 को सेवानिवृत्त हो चुका है और वर्तमान में पिछले 12 वर्ष से पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहा हूँ। प्रार्थी का स्वास्थ्य 72 वर्ष की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतर अस्वस्थ रहता है। 12 वर्ष पूर्व के प्रकरण पर जो कुछ अभिलेख प्रार्थी को उपलब्ध कराये गये उनको मय याददाश्त दृष्टिगत रखते हुए दे रहा हूँ। आपके संदर्भित पत्र सं. 1392/28–86/2012–14 दिनांक 03.04.2023, जो प्रार्थी को स्पीड पोस्ट संख्या RU599488418IN दिनांक 06.04.2023 द्वारा प्रेषित किया गया था, वह प्रार्थी को दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुआ था, परन्तु अस्वस्थता के कारण प्रार्थी समय में अपना लिखित उत्तर प्रेषित न कर सका और आज प्रस्तुत कर रहा है, जिसके लिए प्रार्थी को दोषी न माना जाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्र सं. 1392/28–86/2012–14 दिनांक 03.04.2023 में उल्लिखित आपके पत्र सं. 1004/28–86/2012–14 दिनांक 02.02.2023 प्रार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसका अनुपालन नहीं हो पाया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों, मय संलग्नक को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध, विषय सं. 3 : दिनांक रहित आरोप पत्र जो आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निर्गत एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित, लगाये गये सभी चार आरोपों का नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है, इसलिए प्रार्थी को चारों आरोपों से मुक्त करते हुए जांच आख्या, आवास एवं शहरी नियोजन (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं. 216/–5–14–13 जांच 13 दिनांक 29 जनवरी, 2014 के संदर्भ में उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें। अगर आप उपरोक्त तथ्यों, मय संलग्नक से

असहमत हैं, तो प्रार्थी को असहमति के अंश तक, पुनः अवसर दें, जिससे कि प्रार्थी आपकी असहमति के अंश के सम्बन्ध में अपने उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके और दिनांक 03.07.2007 से 30.04.2011 की अवधि में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में कार्यरत तत्कालीन उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, तत्कालीन सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, तत्कालीन वित्त नियंत्रक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, तत्कालीन अवर अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद एवं तत्कालीन सम्परीक्षा अधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को साक्षी के रूप में प्रार्थी प्रति परीक्षण करना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

प्रार्थी

संलग्नक– उपरोक्तानुसार 16 संलग्नक।

दिनांक : 24.04.2023

(अमृत पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (सेवा निवृत्त)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
के–1, कहकशां, अवध अपार्टमेंट,
विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
मोबाइल : 9415019458

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या–216 /आठ–5–14–13जॉच/13
लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2014

## कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री अनिल गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता सम्प्रति से0नि0 श्री आर0एल0 सरोज तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0, श्री एस0एस0 शुक्ला, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0, श्री अमृत पाल सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0 एवं श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0 की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में प्राधिकरण की मधुवन बापूधाम योजना में बिना आवश्यकता के विद्युत सामग्री क्रय कर प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने संबंधी आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही एवं श्री डी0के0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरूद्ध उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–33 तथा सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उसके संचालन हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को पद नाम से जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, मेरठ मण्डल को श्री अनिल गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता सम्प्रति से0नि0 श्री आर0एल0 सरोज तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0, श्री एस0एस0 शुक्ला, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0, श्री अमृत पाल सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0, श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति से0नि0 एवं श्री डी0के0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्रों की दो–दो प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक प्रति संबंधित अभियन्ता को तामील कराकर तथा दूसरी प्रति पर प्राप्ति स्वरूप उनकी हस्ताक्षर प्राप्त कर

b1@-14(13)

तामीली की पुष्टि की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें तथा जॉच आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2— उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अपचारी अभियन्ताओं को आदेश की प्रति तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— संबंधित अभियन्तागण द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजिाबाद।

4— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

b l uo-14(14)

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या 214 /प्रशा0अनु0/ 2010 दिनांक 14-7-10

## प्रभार प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5, के कार्यालय ज्ञाप सं0 1697/आठ–5–10–56 रिट/07 दिनांक 07 जुलाई, 2010 के अनुपालन में श्री अमृत पाल सिंह, सहायक अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशासी अभियन्ता–विद्युत के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100/– सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 6600/– में दिनांक 7–7–10 की अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया ।

मोचक अधिकारी

( अमृत पाल सिंह )
अधिशासी अभियन्ता–विद्युत

प्रतिहस्ताक्षरित

( नरेन्द्र कुमार चौधरी )
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

पृष्ठांकन संख्या / प्रशा0 अनुभाग/ 2010 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 बापू भवन, लखनऊ ।
2– वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
3– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता
4– कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

( नरेन्द्र कुमार )
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्रांक / /2010–11 दिनांक

## कार्यालय आदेश

पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश को अवक्रमित करते हुए कार्यहित में प्राधिकरण में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता–विद्युत के मध्य कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:–

1– **श्री राधेश्याम शर्मा, अधिशासी अभियन्ता–विद्युत (प्रथम)**

इन्द्रप्रस्थ योजना, प्रताप विहार योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य। शास्त्रीनगर एवं संजय नगर योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी आंशिक कार्य, अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत विद्युतीकरण सम्बन्धी आंशिक कार्य तथा इन्द्रप्रस्थ योजना व गोविन्दपुरम योजना मे प्रस्तावित 132/33 के0वी0ए0 सबस्टेशन का जी.आई.एस. तकनीक पर निर्माण कार्य।

2– **श्री आर0एन0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता–विद्युत (द्वितीय)**

इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत सी.आई.एस.एफ. मार्ग व सडक संख्या–3 सम्बन्धी विद्युतीकरण कार्यों को छोडकर शेष विद्युतीकरण सम्बन्धी समस्त कार्य, कौशाम्बी योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के आंशिक कार्य।

3– **श्री ए0पी0 सिंह, अधिशासी अभियनता–विद्युत (तृतीय)**

कोयल एन्क्लेव योजना के समस्त विद्युतीकरण कार्य, इन्दिरापुरम तथा मधुबन––बापूधाम योजना के विद्युतीकरण सम्बन्धी आंशिक कार्य, अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत आर.डी.सी. राजनगर के विद्युतीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य।

4– **श्री एस.एम.एच. रिज़वी, अधिशासी अभियन्ता–विद्युत (चतुर्थ)**

कौशाम्बी योजना, वैशाली योजना, मधुबन–बापूधाम योजना एवं शास्त्रीनगर योजना सम्बन्धी विद्युतीकरण के आंशिक कार्य, अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डल खेल–2010 के आयोजन के दृष्टिगत प्रमुख मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था के कार्य, मैट्रो रेल सम्बन्धी विद्युत लाईन शिफ्टिंग के कार्य प्राधिकरण की योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे नलकूपों का अनुरक्षण कार्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जा रहे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाट के अन्तर्गत विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य तथा भारी वाहनों के मरम्मत व रख रखाव का कार्य।

एक ही योजना/निधि के अन्तर्गत कार्यो का वितरण मुख्य अभियन्ता स्तर से किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
उपाध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्याः 25–I/1/2010 /2010–11 दिनांक 21.09.2010

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– सभी सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
3– गार्ड फाईल हेतु।

ह0अपठनीय
उपाध्यक्ष

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

पत्रांकः–194 / 4 / EEE/GVP / 2022–23 दिनांक–04.05.2022

सेवा में,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

**विषयः–श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विरूद्ध संस्थित जांच के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 649 / 28–86 / 2012–14 दिनांक 11.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, (वि / यॉ) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरूद्ध शासन द्वारा मधुबन बापूधाम योजना के सम्बन्ध में जांच संस्थित करने विषयक है। विद्युत अभियन्त्रण जोन से उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में उक्त जांच सम्पादित करने हेतु महोदय द्वारा चाही गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

| क0सं0 | जांच सम्पादित करने हेतु वांछित आख्या | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यॉ) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में तैनाती की अवधि। | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में तैनाती दिनांक 03.07.2007 से 30.04.2011 तक रही। |
| 2 | क्या श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) की विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में मधुबन बापूधाम योजना हेतु निविदा की शर्तो के विपरीत जाकर विद्युत संयत्रों का स्थापना न कराकर मात्र आपूर्ति कर भुगतान कराया गया है? | सम्बन्धित पत्रावलियों में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अनुबन्ध में विद्युत सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग एण्ड कमिशनिंग का एकमुश्त कार्य है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त एकमुश्त कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जाना था। लेकिन उक्त कार्य के मद में मात्र आपूर्ति पर तत्कालीन अवर अभि0, सहा0अभि0 एवं श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) के कार्य का पार्ट रेट पर फर्म को क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Indeminity bond) के आधार पर भुगतान कराया गया है। |
| 3 | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) की तैनाती की अवधि में मधुबन बापूधाम योजना हेतु विद्युत संयंत्रों के सम्बन्ध में कितनी धनराशि का भुगतान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया? | सम्बन्धित पत्रावलियों में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) द्वारा सहा0अभि0 के पद पर रहते हुए रू0–28,47,76,989.00 (अट्ठाइस करोड सैंतालिस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ नवासी रूपये) मात्र एवं स्टोर अधिकारी के पद पर रहते हुए भुगतान रू0–6,57,99,096.00 (छः करोड सत्तावन लाख निन्यानबे हजार छियानबे रूपये) तथा अधिशासी अभियन्ता के पद पर रहते हुए भुगतान रू0–61,94,39,598.00(इकसठ करोड़ चौरानबे लाख उनतालिस हजार पांच सौ अट्ठानबे रूपये) कुल भुगतान रू0–97,00,15,683.00 (सत्तानबे करोड़ पन्द्रह हजार छः सौ तिरासी रूपये) मात्र किया गया है। |
| 4 | मधुबन बापूधाम योजना हेतु विद्युत संयंत्र क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ऑडिट आपत्ति कब की गयी । | उपलब्ध ऑडिट रिकार्ड के अनुसार मधुबन बापूधाम योजना हेतु विद्युत संयंत्र क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ऑडिट आपत्ति दिनांक 09.05.2011 को की गयी। |
| 5 | क्या श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) द्वारा ऑडिट आपत्ति लगाये जाने के उपरान्त भी विद्युत संयंत्रों की आपूर्तियां प्राप्त कर उनका भुगतान कराया गया था? | श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऑडिट आपत्ति लगाये जाने के उपरान्त कोई भी भुगतान नहीं कराया गया है। |
| 6 | क्या श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) द्वारा आपकी तैनाती की अवधि में नियमों के विपरीत जाकर अंतिम भुगतान कराया गया? | सम्बन्धित पत्रावलियों के अनुसार श्री अमृतपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0) द्वारा अपनी तैनाती की अवधि में अंतिम भुगतान नहीं कराया गया है। |

अतः उपरोक्त आख्या प्रेषित एवं साक्ष्य संलग्न है।

संलग्नक–

1. ऑडिट आपत्ति दिनांक 09.05.2011 की छायाप्रति।
2. Indemnity bonds (संख्या–10) की छायाप्रति।
3. कुल 10 अनुबन्धों में भुगतान किये गये विभिन्न बिलो के भुगतान के विवरण की छायाप्रतियाँ।
4. कुल 10 अनुबन्धों से सम्बन्धित बी0ओ0क्यू0 की छायाप्रतियॉ।

हस्ताक्षर
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

करा दिया गया है अथवा नहीं।

17. कार्य के सैम्पल टैस्टिंग के सम्बन्ध में आख्या (सैम्पल अधिशासी अभियन्ता के नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं लिये जायेंगे) : Testing Report attached.

18. टैस्टिंग फीस कितनी दी गयी है और उसकी वसूली किस बिल से की गयी। : ——

19. प्रमाणित किया जाता है कि कार्य अनुबन्ध की विशिष्ट्यों के अनुसार किया गया है, एवं कार्य निर्धारित मानकों तथा गुणात्मक दृष्टि से सन्तोषजनक है। (यदि किसी मद में सन्देह या पुष्टि इसके विपरीत की जाती है तो नियमानुसार कितने प्रतिशत की कटौती उस मद से की गयी है और उसका विश्लेषण किस पृष्ठ पर है।)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत भुगतान स्थल पर किये गये कार्य से अधिक नही है तथा प्रस्तुत कार्य का पूर्व में कोई भुगतान नहीं किया गया है एवं आर. सी. सी./आर. बी. व अन्या आवश्यक हिडिन कार्य देख-रेख में कराये गये हैं। :

अतः संस्तुति की जाती है कि आवश्यक कटौतियों के उपरान्त ठेकेदार को लेखा विभाग द्वारा चैक करने के बाद रुपये 3,38,39,818/- अंकों में तीन करोड़ अड़तीस लाख उनतालीस हजार आठ सौ अठारह मात्र की धनराशि का भुगतार कर दिया जाये।

इस बिल का भुगतान ... 20. अन्य कोई टिप्पणी ... होने एवं ... उ०प्र०रा०नि०नि० को हस्तान्तरित किये जाने तक फर्म/मेरी होगी।

कृपया साइटपर अभी कोई स्टोर/यार्ड आदि निर्मित नहीं है अतः खुले स्थान पर सामग्री रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरान्त यह तय किया गया कि आपूर्ति की गयी सामग्री फर्म की ही सुरक्षा में रखी जाए क्योंकि इसे फर्म द्वारा ही स्थापित कराया जाना है। मधुबन बापूधाम फेज के अन्तर्गत कोई पक्का स्थल एवं चाहरदीवारी न होने के कारण फर्म इस कम्पनी की सुरक्षा में योजना के समीप I.demo Engg. of Technology से सटी जमीन पर स्टोर बनाकर की व्यवस्था की है तथा वहीं पर अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है।

ठेकेदार
सम्बन्धित फर्म

25-01-10
अवर अभियन्ता
(नाम सहित)
R. D. PANDEY
J. E.

सहायक अभियन्ता
(नाम सहित)
27/01/010
R. S. MAVI
A.E. (E)

अधिशासी अभियन्ता
(नाम सहित)
(ओ.पी. ...) अधिशासी अभियन्ता (वि०)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद
दिनांक.........

रजनीश
अवर अभियन्ता (वि०)
रवीन्द्र कुमार
अवर अभियन्ता

C.C. Cross check
25/01/2010
AE

बिल मेरे द्वारा चैक कर लिया गया है और सही पाया गया है तथा यह कार्य इसी खण्ड से सम्बन्धित है।

फोटो कापी सत्यापित

शिविर लिपिक 27/01/10

लेखाकार अभि. अनुभाग

( भूदत्त शर्मा )
अधिशासी अभियन्ता-विद्युत
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियंता के कार्यकाल दिनांक 22.08.2009 से 21.09.2010 तक मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Radhey Shyam Sharma | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agreement No. 761 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 66962289.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 26-02-2010 | 45211021.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Tejvir Singh, Rajnesh, Ravindra Kumar |
| | 2nd Running / Page No. 38-39 | | 17-04-2010 | 6077076.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Tejvir Singh, Rajnesh, Ravindra Kumar |
| 2 | **Agreement No. 762 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 230440943.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 08-01-2010 | 13784424.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram |
| | 2nd Running / Page No. 38-39 | | 26-02-2010 | 19759722.00 | Raj Kumar | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Jawahar Ram, Rakesh Mahalwal |
| | 3rd Running/ Page No. 43-44 | | 31-03-2010 | 37166729.00 | Raj Kumar | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Jawahar Ram, Rakesh Mahalwal |
| | 4rd Running / Page No. 49-50 | | 14-05-2010 | 19430076.00 | Raj Kumar | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Jawahar Ram, Rakesh Mahalwal, S.S. Sharma |

Contd....p/2

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Radhey Shyam Sharma | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Agreement No. 763 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 135423489.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 36-37 | | 28-01-2010 | 64307294.00 | Rajeev Singh | Harvir Singh, Satish Kumar, Girish Chandra |
| | 2nd Running / Page No. 46-47 | | 13-05-2010 | 8447114.00 | Rajeev Singh | Harvir Singh, Satish Kumar, Girish Chandra |
| 4 | **Agreement No. 764 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 291324041.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 34-35 | | 12-05-2010 | 3986752.00 | Bhoopendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virenra Kumar, Ram Kumar Tomar |
| 5 | **Agreement No. 766 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 203416380.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 34-35 | | 29-01-2010 | 35999808.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Rajnesh, Tejvir Singh, Ravindra Kumar |
| | 2nd Running / Page No. 42-43 | | 06-03-2010 | 36070722.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Rajnesh, Tejvir Singh, Ravindra Kumar, Nikhil Bhatt (J.E. Store) |
| | 3rd Running / Page No. 50-51 | | 14-05-2010 | 29728374.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Rajnesh, Tejvir Singh, Ravindra Kumar |

Contd....p/3

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Radhey Shyam Sharma | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Agreement No. 767 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 173775965.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 08-01-2010 | 17616741.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram, Arvind Srivastva. |
| | 2nd Running / Page No. 38-39 | | 26-02-2010 | 28944298.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram, Ashwani Mishra. Arvind Srivastva |
| | 3rd Running / Page No. 44-45 | | 06-03-2010 | 33836392.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Jawahar Ram, Ashwani Mishra |
| | 4rd Running / Page No. 50-51 | | 24-05-2010 | 2218194.00 | Raj Kumar | K.D. Pandey, Rakesh Mahalwal, Jawahar Ram, Ashwani Mishra |
| 7 | **Agreement No. 768 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 109190105.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 08-01-2010 | 36604533.00 | Rajeev Singh | Girish Chandra, Harvir Singh, Satish Kumar |
| | 2nd Running / Page No. 42-43 | | 28-01-2010 | 25373874.00 | Rajeev Singh | Girish Chandra, Harvir Singh, Satish Kumar |

Contd....p/4

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Radhey Shyam Sharma | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Agreement No. 769 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 246209770.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 06-03-2010 | 69608250.00 | Bhupendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virendra Kumar, Ramkumar Tomar, Rajendra Gupta |
| | 2nd Running / Page No. 40-41 | | 31-03-2010 | 62179632.00 | Bhupendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virendra Kumar, Ramkumar Tomar, Rajendra Gupta |
| | 3rd Running / Page No. 46-47 | | 17-04-2010 | 47758586.00 | Bhupendra Kumar | Ashwani Mishra, Asad Ali, Virendra Kumar, Ramkumar Tomar, Rajendra Gupta |
| 9 | **Agreement No. 771 FC/EEE/09 / M/S N.G.K.** | 212203494.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 32-33 | | 27-03-2010 | 42093436.00 | Amrit Pal Singh | Ajay Singh, G.P. Sharma, Arvind Kumar, Devndra Singh, Anand Kumar Srivastva |
| | 2nd Running / Page No. 40-41 | | 16-04-2010 | 35524843.00 | Amrit Pal Singh | A.K. Srivastava |
| | 3rd Running / Page No. 48-49 | | 14-05-2010 | 4915363.00 | Amrit Pal Singh | Ajay Singh, Arvind Kumar, Devndra Singh, Anand Swaroop, Gajendra Pal Sharma |
| | 4rd Running / Page No. 54-55 | | 16-08-2010 | 75506552.00 | Rajeev Singh, Bhupendra Kumar | Ajay Singh, Anand Srivastava, Gajendra Pal Sharma, Arvind Srivastava, Devendra Chauhan |

Contd....p/5

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Radhey Shyam Sharma | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Agreement No. 772 FC/EEE/09 / M/S N.G.K.** | 202243347.00 | | | | |
| | 1st Running / Page No. 31-32 | | 06-03-2010 | 58827259.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Gajendra Pal Sharma, A.K. Srivastava |
| | 2nd Running / Page No. 39-40 | | 26-03-2010 | 24175497.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Gajendra Pal Sharma, A.K. Srivastava |
| | 3rd Running / Page No. 47-48 | | 16-04-2010 | 14632650.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Gajendra Pal Sharma, A.K. Srivastava, Devendra Singh, Ajay Singh |
| | 4rd Running / Page No. 55-56 | | 14-05-2010 | 56466662.00 | Amrit Pal Singh | Gajendra Pal Sharma, A.K. Srivastva |
| | 5th and Last Bill / Page No. 64 | | 03-08-2010 | 48141279.00 | Amrit Pal Singh | Anand Srivastva, Dendra Singh, Gajendra Pal Sharma, Ajay Singh, A.K. Srivastva |
| **TOTAL** | | | | **1004393153.00** | | |

श्री अमृत पाल सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियंता के कार्यकाल दिनांक 21.09.2010 से 30.04.2011 तक मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Amrit Pal Singh | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agreement No. 761 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 66962289.00 | | | | |
| | 3rd Running / Page No. 46-47 | | 29-11-2010 | 7018628.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, A.K. Srivastva |
| | 4rd Running / Page No. 54-55 | | 31-03-2011 | 5617478.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Asad Ali, Devendra Singh, Vinod Kumar Sharma |
| 2 | **Agreement No. 762 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 230440943.00 | | | | |
| | 5th Running / Page No. 59-60 | | 29-09-2010 | 56082980.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey |
| | 6th Running / Page No. 67-68 | | 29-12-2010 | 10746117.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Devendra Singh Chauhan, Asad Ali, Vinod Kumar Sharma |
| | 7th Running / Page No. 75-76 | | 14-03-2011 | 44543731.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey,, Devendra Singh Chauhan, Asad Ali, Vinod Kumar Sharma |
| 3 | **Agreement No. 763 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 135423489.00 | | | | |
| | 3rd Running / Page No. 56-57 | | 13-10-2010 | 30945093.00 | R.S. Mavi | Harvir Singh, Satish Kumar, Girish Chandra, Virendra Kumar |
| | 4rd Running / Page No. 64-65 | | 28-03-2011 | 9995797.00 | R.S. Mavi | A.K. Srivastva, Vinod Kumar, A.K. Mishra, Asad Ali Ajay Singh Arvind Srivastva |
| 4 | **Agreement No. 764 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 291324041.00 | | | | |
| | 2nd Running / Page No. 46-47 | | 29-09-2010 | 63890453.00 | R.S. Mavi | Ajay Singh, Asad Ali, Ashwani Mishra |
| | ~~3rd Running / Page No. 52-53~~ | | ~~12-12-2010~~ | ~~63890454.00~~ | ~~R.S. Mavi~~ | ~~A.K. Srivastva, Asad Ali, Ajay Singh~~ |

Contd.....p/2

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Amrit Pal Singh | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4rd Running / Page No. 60-61 | | 10-12-2010 | 39124480.00 | R.S. Mavi | Arvind Srivastva, Asad Ali Ashwani Mishra, Ajay Singh |
| | 5th Running / Page No. 68-69 | | 04-03-2011 | 41849866.00 | R.S. Mavi | Asad Ali, Ashwani Mishra, Arvind Srivas, K.D. Pandey, V.K. Shrama |
| 5 | **Agreement No. 766 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 203416380.00 | | | | |
| | 4rd Running / Page No. 58-59 | | 12-10-2010 | 31578071.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Devendra Singh Chauhan |
| | 5th Running / Page No. 64-65 | | 10-12-2010 | 13647098.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan |
| | 6th Running / Page No. 70-71 | | 24-03-2011 | 21010542.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Arvind Kumar Srivastva |
| 6 | **Agreement No. 767 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 173775965.00 | | | | |
| | 5th Running / Page No. 58-59 | | 29-11-2010 | 34174546.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan, Arvind Srivastva |
| | 6th Running / Page No. 66-67 | | 29-12-2010 | 17819833.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan, Arvind Srivastva |
| | 7th Running / Page No. 74-75 | | 24-03-2011 | 16550247.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Ashwani Mishra, Devendra Singh Chauhan, Arvind Srivastva, Asad Ali |
| 7 | **Agreement No. 768 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 109190105.00 | | | | |
| | 4rd Running / Page No. 62-63 | | 02-12-2010 | 14396340.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, K.D. Pandey, Vinod Kumar Sharma |
| | 5th Running / Page No. 70-71 | | 29-03-2011 | 14087594.00 | R.S. Mavi | Ajay Singh, Ashwani Mishra, Arvind Srivastava, Asad Ali, Devendra Singh Chauhan, K.D. Pandey, Vinod Kumar Sharma |

Contd.....p/3

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Amrit Pal Singh | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Agreement No. 769 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 246209770.00 | | | | |
| | 4rd Running / Page No. 54-55 | | 04-11-2010 | 41940596.00 | R.S. Mavi | Ajay Singh, Asad Ali, Ashwani Mishra |
| | 5th Running / Page No. 62-63 | | 31-03-2011 | 19968612.00 | R.S. Mavi | Ashwani Mishra, Asad Ali, Dendra Singh Chauhan Arvind Srivastava, Ajay Singh, Vinod Kumar Sharma |
| 9 | **Agreement No. 771 FC/EEE/09 / M/S N.G.K.** | 212203494.00 | | | | |
| | 5th Running / Page No. 64-65 | | 28-12-2010 | 6984402.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Arvind Srivastva, Dendra Chauhan |
| | 6th Running / Page No. 72-73 | | 02-05-2011 | 13576640.00 | R.S. Mavi | K.D. Pandey, Arvind Srivastva, Dendra Chauhan |
| **TOTAL** | | | | **619439598.00** | | |

श्री राम नगीना त्रिपाठी तत्कालीन अधिशासी अभियंता के कार्यकाल के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2011 को मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण

| Sl. No | Agreement Number | Agreement Amount | Date of payment | EE. Ram Nagina Tripathi | Name of A.E.'s | Name of J.E.'s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agreement No. 764 FC/EEE/09 / M/S Anil Kumar** | 291324041.00 | | | | |
| | 6th Running / Page No. 78-79 | | 20-10-2011 | 12308334.00 | Sudhanshu Sharma and Shri R.S. Mavi | A.P. Dwivedi |
| **TOTAL** | | | | 12308334.00 | | |

# जांच आख्या

उत्तर प्रदेश शासन, के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–216/आठ–05–14–13जाँच/13 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, की मधुबन बापूधाम योजना में बिना आवश्यकता के विद्युत सामग्री क्रय कर प्राधिकरण को आर्थित क्षति पहुंचाने सम्बन्धी आरोपों के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तैनाती की अवधि के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए, उसके संचालन हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप के क्रम में आरोपी अधिकारी को आरोप पत्र तामील कराकर, आरोप पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

आरोप पत्र की तामील के उपरान्त श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2014 प्रस्तुत कर सम्बन्धित कागजों के सम्पूर्ण पत्रावली/अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसके आधार पर श्री शर्मा को कार्यालय के पत्र सं0–969/28–86/2012–14 दिनांक 26.04.2014 के द्वारा सूचित किया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित अभिलेख प्राप्त कर आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करें तथा उक्त पत्र की प्रति सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को श्री शर्मा के प्रार्थना पत्र की प्रति सहित अभिलेखों का निरीक्षण करवाने एवं निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया।

आरोपी अधिकारी द्वारा दिनांक 11.07.2014 को आरोप पत्र के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त आरोपी अधिकारी को मौखिक रूप से साक्ष्य/कथन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.06.2015 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 30.06.2015 को आरोपी अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर आरोप पत्र के सम्बन्ध में पुनः लिखित रूप से आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। आरोपी अधिकारी के अनुरोध के आधार पर पुनः समय प्रदान करने पर आरोपी अधिकारी द्वारा दिनांक 15/16–07–2015 को पुनः लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया।

शासन द्वारा निर्गत आरोप पत्र एवं आरोपित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्तर के अवलोकन/परीक्षण के उपरान्त स्थिति निम्नवत पायी गयी :–

आरोप संख्या–1

विद्युत संयंत्रों के आपूर्ति एवं स्थापन सम्बन्धी निविदाओं में स्थापन का कार्य भी सम्मिलित था, परन्तु विद्युत संयंत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा शर्तों के विपरीत भुगतान कराया गया जिसके लिये दोषी करार दिया गया।

**पठनीय साक्ष्य** :– निविदाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की छायाप्रति।

आरोपित अधिकारी का उत्तर :

आरोपित अधिकारी द्वारा आरोप संख्या–1 के सम्बन्ध में प्रस्तुत उत्तर में कहा गया कि जब निविदायें आमंत्रित की गयीं थी, उस समय वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात नहीं थे और उनको उक्त कार्य के लिये दिनांक 25–08–2009 को तैनात किया गया तथा उक्त दिनांक से दिनांक 20.09.2010 तक तैनाती के समय उनकी संस्तुति से अनुबन्धों के तहत लगभग कुल अनुबन्धित राशि का 40 प्रतिशत का भुगतान ठेकेदारों को हुआ। उनके द्वारा उक्त अनुबन्धों के अन्तर्गत जो सामग्री प्राप्त की गयी, उसमें मुख्यतः केबिल, स्ट्रीट लाईट, पोल, उनकी फिटिंग, एल0टी0 ट्रांसफार्मर है। यह सामग्री जल्दी खराब होने वाली सामग्री नहीं है, उपरोक्त समस्त सामग्री उक्त योजना में शीघ्र कार्य सम्पादित कराने के उद्देश्य से ली गयी थी, जो कि अनुबन्धों की शर्तों के अनुरूप थी। क्योंकि ली गयी सामग्री में अधिकतर सप्लाई के आईटम ही थे। अनुबन्ध में यह भी शर्त थी कि ठेकेदार द्वारा जितने मूल्य की सामग्री स्थल पर लायी जायेगी, उसके मूल्य के 90 प्रतिशत राशि का भुगतान फर्म को किया जायेगा। अनुबन्ध में यह शर्त नहीं थी कि भुगतान संयंत्रों की स्थापना कराने के उपरान्त ही किया जायेगा, क्योंकि एक फर्म द्वारा आपूर्तित सामग्री के दूसरी फर्म द्वारा स्थल पर फिक्सिंग किये जाने का प्राविधान अनुबन्धों में था। आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा आपूर्ति सामग्री के मूल्य का लगभग 80–81 प्रतिशत धनराशि के भुगतान करने की संस्तुति की गयी थी, जबकि निविदा की शर्तों के अंतर्गत आपूर्ति सामग्री के मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान फर्म को हो सकता था। आरोपी अधिकारी द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि अधिकांश अनुबन्धों में स्ट्रीट लाईट पोल, केबिल और फिक्सिंग जिस फर्म द्वारा आपूर्ति की जानी थी, उसके द्वारा स्थापना नहीं करना था, बल्कि स्थापन का कार्य दूसरी फर्म को अनुबन्धित था। इस प्रकार उनके द्वारा अनुबन्ध/निविदाओं की शर्तों के विपरीत भुगतान की संस्तुति नहीं की गयी है। आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह भी उल्लिखित किया गया है कि खण्डीय स्तर से प्रस्तुत बिल मुख्य अभियन्ता के माध्यम से लेखा अनुभाग को प्रस्तुत किये जाने पर लेखा अनुभाग के अधिकारी द्वारा अनुबन्ध/निविदा की शर्तों से मिलान किया जाता है। और यदि बिल/निविदा की शर्तों के अनुरूप होता है,, तभी उसके भुगतान की संस्तुति सचिव को करते हुए, उपाध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त भुगतान किया जाता है।

निष्कर्ष :–

आरोप सं0–1 में आरोपित अधिकारी पर मुख्य आरोप यह है कि अनुबन्ध की शर्तों में विद्युत संयन्त्रों के स्थापना का कार्य एवं आपूर्ति किये जाने के उपरान्त ही भुगतान कराया जाना था, परन्तु आरोपी अधिकारी द्वारा मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान कराया गया।

आरोपी अधिकारी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में दिनांक 25.08.2009 को तैनात किया गया तथा दिनांक 20.09.2010 तक उनका कार्यकाल रहा।

इस सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की टिप्पणी एवं आदेश की पत्रावली पर अंकित कार्यालय टिप्पणी दिनांक 01.09.2009स के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मधुबन बापूधाम योजना के अंतर्गत 33 के0वी0 सब–स्टेशन नं0–1 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण एवं फिक्सिंग का कार्य प्रथम न्यूनतम कोटेशनदाता मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी को नेगोसिएशन के उपरान्त निविदा राशि रू0 10,91,90,105.00/– आंकलित हुई, जिसके व्यय अनुमान की स्वीकृति उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 24.07.2009 को इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि कार्ययोजना (डी0पी0आर0) का अनुमोदन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदनोपरान्त कार्य के अंतर्गत प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री व उपकरण आपूर्ति किये जाने वाली फर्म द्वारा इंश्योरेंस कराते हुए व इन्डीमेनिटी बॉन्ड देते हुए सुरक्षित रखने होंगे तथा स्थल पर विधिवत् स्थापित करने के उपरान्त ऊर्जीकृत दशा में यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगत करने की पूरी जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। केवल आपूर्ति की जाने वाली मदों का 90 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।

इससे विदित होता है कि प्रश्नगत कार्य हेतु जिस फर्म की निविदा स्वीकृत हुई, उसके द्वारा विद्युत सामग्री के उपकरण की आपूर्ति, इंश्योरेन्स आदि कराने एवं स्थल पर विधिवत स्थापना करने एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0) को ऊर्जीकृत दशा में हस्तगत करने का दायित्व निर्धारित किया गया तथा आपूर्ति मद में अधिकतम 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाना निश्चित किया गया। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में अनुबन्धित फर्म द्वारा विद्युत सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति किया जाना निर्विवादित है। उक्त फर्म द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने से पूर्व ही उक्त फर्म को लगभग 80–81 प्रतिशत भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपी

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि स्थल पर फिक्सिंग का कार्य दूसरी फर्म द्वारा किया जाना था। अनुबन्ध में आपूर्ति सामग्री का 90 प्रतिशत तक भुगतान किये जाने का शर्तों में उल्लेख है। कार्यालय टिप्पणी/आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आपूर्ति के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किया जाना था, अथवा मात्र आपूर्ति के उपरान्त। प्रश्नगत प्रकरण में आपूर्ति के सापेक्ष लगभग 80–81 प्रतिशत भुगतान आरोपी अधिकारी के माध्यम से किये जाने के तथ्य को आरोपित अधिकारी के माध्यम से किये जाने के तथ्य को आरोपित अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः निविदा/अनुबन्ध में विद्युत उपकरणों की स्थापना के उपरान्त भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट न होने के कारण आरोपित अधिकारी पर निविदा की शर्तों के विपरीत भुगतान किये जाने का आरोप सिद्ध नहीं पाया जाता।

<u>आरोप संख्या–2 :–</u>

विद्युत संयत्रों के स्थापन का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयंत्रों के भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयंत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिये आप दोषी हैं।

**पठनीय साक्ष्य** :–समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों की छायाप्रति।

<u>आरोपित अधिकारी का उत्तर :–</u>

आरोपित अधिकारी द्वारा आरोप संख्या–2 के सम्बन्ध में प्रस्तुत उत्तर में कहा गया है कि अनुबन्ध/निविदा की शर्तों के अंतर्गत प्राप्त विद्युत संयत्रों का भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में किया जाना सम्मिलित नहीं था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आपूर्ति सामग्री का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। इसका लगभग 80–81 प्रतिशत रनिंग भुगतान किया गया है। उक्त अनुबन्ध/निविदाओं में जो भुगतान किया गया है वह आपूर्ति के विरूद्ध किया जाना बताते हुए, उल्लिखित किया गया है कि स्थल पर अनुबन्धों के अनुरूप शीघ्र कार्य कराने के उद्देश्य से किया गया था तथा जो सामग्री आरोपी अधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी है, उसकी माप माप–पुस्तिका में प्रविष्टि करते हुए सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी बनाया गया था और सामग्री प्राधिकरण के अधिकृत भण्डार गृह/केन्द्रीय भण्डार में रखी गयी थी तथा सामग्री स्थल पर उपयोग के लिये मांग पत्र द्वारा कार्यकारी फर्म को निर्गत की गयी।

निष्कर्ष :–

आरोप सं0–2 में आरोपित अधिकारी को मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपित किया गया है कि विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कार्य सम्पन्न न होने के स्थिति में भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने एवं प्राप्त विद्युत संयत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार न करने हेतु दोषी माना गया। इस सम्बन्ध में आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में प्राधिकरण की पत्रावलियों व प्रपत्रों की छायाप्रति एवं स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रतिपि संलग्न करते हुए, अन्तिम भुगतान कराये जाने से इंकार किया गया है।

आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों एवं आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न प्राधिकरण के अभिलेखों की छायाप्रति से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में किया जाना था। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपित अधिकारी द्वारा 90 प्रतिशत से कम भुगतान प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक–352/4/ईईई–जी.एम.पी/15 दिनांक 19.08.2015 द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा (आरोपित अधिकारी) को उपलब्ध कराये गये स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति भी आरोपित अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि योजना के आपूर्तित विद्युत सामग्री की कार्यालय में उपलब्ध स्टाक बुक की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा रही है तथा स्टाक रजिस्टर की जानकारी तत्कालीन सहायक/अधिशासी अभियन्ता श्री ए0पी0 सिंह एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री निखिल भट्ट से प्राप्त की जा रही है। इससे आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उनके द्वारा प्राप्त विद्युत संयंत्रों का स्टाक रजिस्टर तैयार कराया गया था। इसके अतिरिक्त भुगतान के संबंध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पत्र सं0–505/4/ई.ई–ई/(नोडल–अधि) /2016 दिनांक 21.06.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि मधुबन बापूधाम योजना में विद्युतीकरण कार्य के लिये कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किये गये प्रोजेक्ट को नौ भागों में विभाजित कर, अलग–अलग निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसमें अनुबन्ध सं0–772 एवं 771 मैं0

एन0के0जी0, इन्फ्रा0 के साथ तथा अनुबन्ध सं0– 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 769 मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के साथ निष्पादित किये गये थे। अनुबन्ध सं0–772 एवं 769 में केवल आपूर्ति के ही मद (जैसे–आक्टोगोनल पोल, स्ट्रीट लाईट फिटिंग एवं एच.टी. केबिल आदि) सम्मिलित थे, जिन्हें स्थापित कराये जाने की मद एवं इनकी दरें अन्य अनुबन्धों (अनुबन्ध सं0–762, 763, 766, 767, 768 एवं 771) के अंतर्गत सम्मिलित थी तथा अनुबन्ध सं0– 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 771 में मुख्य सामग्री जैसे एच0टी0 केबिल, एल0टी0 केबिल एवं 63 के0वी0ए0, 400 के0वी0ए0 तथा 630 के0वी0ए0 काम्पेक्ट सब–स्टेशन आदि की आपूर्ति के मद अलग हैं एवं इनके स्थापना के मद अलग–अलग अंकित हैं। अनुबन्धित बिल आफ क्वान्टिटी (बी0ओ0क्यू0) के अन्तर्गत अनेक कार्य मात्र मदों की आपूर्ति के ही हैं, जिस कारण आपूर्ति मदों का भुगतान किया जाना अनबन्ध की शर्तों के अनुसार बताया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्ति सामग्री के सापेक्ष आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भुगतान मुख्य अभियंता, सचिव एवं उपाध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त ही किया गया। यदि उक्त भुगतान नियम विरूद्ध तरीके से प्रस्तावित किया गया था तो उसे उच्चाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता था। अतः यह आरोप आरोपित अधिकारी पर सिद्ध नहीं पाया जाता।

**आरोप संख्या–3 :–**

आप द्वारा क्रय किये गये विद्युत संयत्रों का संरक्षण की उचित व्यवस्था न करने के दोषी हैं।

**पठनीय साक्ष्य** :–समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों की छायाप्रति।

**आरोपित अधिकारी का उत्तर :–**

आरोपित अधिकारी द्वारा आरोप संख्या–3 के सम्बन्ध में प्रस्तुत उत्तर में कहा गया है कि जो भी सामान की आपूर्ति उनके कार्यकाल में प्राप्त की गयी है, उसका भण्डारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकृत भण्डार गृहों में किया गया, जिसका विधिवत् उल्लेख एवं रिकार्ड उपलब्ध बताते हुए उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही किये जाने से इंकार किया गया।

**निष्कर्ष :–**

आरोपित अधिकारी पर आरोप सं0–3 में मुख्यतः यह आरोप लगाया गया है कि उनके समय में आपूर्तित विद्युत सामग्री का उचित प्रकार से भण्डारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टिप्पणी/आदेश की छायाप्रति दिनांक 13.08.2010 के अवलोकन विदित होता है कि आपूर्तित सामग्री का भण्डारण कराया गया, जिसका उल्लेख स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति मे भी किया गया है। इस प्रकार यह आरोप पुष्टि न होने के कारण सिद्ध नहीं पाया गया।

**आरोप संख्या–4 :–**

आप द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयंत्रों के क्रय संबंधी पत्रावली पर ऑडिट आपत्ति कि सामान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके पश्चात् भी आपूर्तयां प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया इसके लिये दोषी है।

**पठनीय साक्ष्य** :–समय–समय पर निविदाओं की पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों की छायाप्रति।

**आरोपित अधिकारी का उत्तर :–**

आरोपित अधिकारी द्वारा आरोप संख्या–4 के संबंध में प्रस्तुत उत्तर में कहा गया है कि उनके द्वारा आडिट आपत्ति के पश्चात कोई सामान की आपूर्ति नहीं ली गयी है और न ही उसके भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी है। उनके द्वारा दिनांक 13.08.2010 को आडिट पैरा सम्बन्धी पत्र पर अपने अधीनस्थ अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं के साथ एक विस्तृत टिप्पणी उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने एवं सामान न लेने व भविष्य में आडिट आपत्ति न होने की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उक्त टिप्पणी के उपरान्त उन्हें दिनांक 21.09.2010 को कार्य से हटा दिया गया था, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा आडिट आपत्ति के पश्चात आपूर्ति लेने एवं भुगतान का कार्य नहीं किया गया।

निष्कर्ष :-

इस आरोप में आरोपित अधिकारी को मुख्य रूप से आडिट आपत्तियों के उपरान्त विद्युत संयंत्रों के आपूर्ति प्राप्त करने एवं उनका भुगतान किये जाने का दोषी बताया गया है, जबकि आरोपित अधिकारी द्वारा आडिट आपत्ति के उपरान्त विद्युत सामग्री का आपूर्ति एवं भुगतान किये जाने से इंकार किया गया है। उनके द्वारा अपने उत्तर के साथ मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्रांक–115/विद्युत अनु0/2010 दिनाक 20.09.2010 की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है, जिसमें विद्युत सामग्री आपूर्ति वाली फर्म से सामग्री लेने के संबंध में फर्म द्वारा दबाव बनाये जाने एवं प्राप्त सामग्री के अनुरक्षण, यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगत आदि के संबंध में उच्चाधिकारियों के स्तर पर निर्णय लेने एवं उनके (आरोपित अधिकारी) स्थान पर किसी अन्य अधिशासी अभियन्ता को दायित्व प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। इससे आरोपित अधिकारी के इस कथन की पुष्टि होता है कि उनके द्वारा आडिट आपत्ति के उपरान्त विद्युत सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करने एवं भुगतान किये जाने की कोई संस्तुति नहीं की गयी। आरोप पत्र में उल्लिखित इस तथ्य के सम्बन्ध में ऐसा कोई पुष्टिकृत साक्ष्य संलग्न नहीं है, जिसके आधार पर आरोपित अधिकारी को उक्त कृत्य हेतु दोषी माना जा सके। अतः यह आरोप भी आरोपित अधिकारी पर सिद्ध नहीं पाया जाता।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित अधिकारी को मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपित किया गया कि उनके द्वारा आवश्यकता से अधिक विद्युत सामग्री क्रय की गयी, विद्युत सामग्री की स्थापना से पूर्व ही सम्बन्धित फर्म को 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया गया, प्राप्त आपूर्ति की सामग्री को भण्डार गृह में सुरक्षित नहीं रखवाया गया, न ही स्टाक रजिस्टर का रिनर्माण कराया गया तथा आडिट आपत्ति के उपरान्त भी विद्युत सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की गयी। प्राप्त आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान किये जाने के संबंध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पत्र सं0–505/4/ईई–ई/(नोडल–अधि)/2016 दिनांक 21.06.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि मधुबन बापूधाम योजना में विद्युतीकरण कार्य के लिये कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किये गये प्रोजेक्ट को नौ भागों में विभाजित कर, अलग–अलग निविदायें आमंत्रित की गयी थी, जिसमें अनुबन्ध सं0–772 एवं 771 मै0 एन0के0जी0 इन्फ्रा0 के साथ अनुबन्ध सं0–761, 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 769 मै0 अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के साथ निष्पादित किये गये थे। अनुबन्ध संख्या 772 एवं 769 में केवल आपूर्ति के ही मद में केवल आपूर्ति के ही मद (जैसे–आक्टोगोनल पोल, स्ट्रीट लाईट फिटिंग एवं एच0टी0 केबिल आदि) सम्मिलित थे, जिन्हें स्थापित कराये जाने की मद एवं इनकी दरें अन्य अनुबन्धों (अनुबन्ध सं0– 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 771) के अन्तर्गत सम्मिलित थी तथा अनुबन्ध सं0–761, 762, 763, 764, 766, 767, 768 एवं 771 में मुख्य सामग्री जैसे एच0टी0 केबिल एवं 63 के0वी0ए0, 400 के0वी0ए0 तथा 630 के0वी0ए0 काम्पेक्ट सब–स्टेशन आदि की आपूर्ति के मद अलग हैं एवं इनके स्थापना के मद अलग–अलग अंकित हैं। अनुबन्धित बिल ऑफ क्वान्टिटी (बी0ओ0क्यू0) के अन्तर्गत अनेक कार्य मात्र मदों की आपूर्ति के ही हैं, जिस कारण आपूर्ति मदों का भुगतान किया जाना अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार है, जिसके अन्तर्गत यू0पी0पी0सी0एल0 के हस्तान्तरण से पूर्व कार्य का अधिकतम 90 प्रतिशत भुगतान किया जाना सम्मिलित था। आरोपित अधिकारी द्वारा प्राप्त आपूर्ति के सापेक्ष लगभग 80 प्रतिशत भुगतान किया जाना सम्मिलित था। आरोपित अधिकारी द्वारा प्राप्त आपूर्ति के सापेक्ष लगभग 80 प्रतिशत राशि का भुगतान, मुख्य अभियन्ता, सचिव, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के उपरान्त ही सम्बन्धित फर्म को किया गया है एवं आपूर्ति में प्राप्त विद्युत सामग्री को प्राधिकरण के

भण्डार गृहों में सुरक्षित भी रखवाया गया है। इसके अतिरिक्त आडिट आपत्तियों के उपरान्त विद्युत सामग्री की आपूर्ति प्राप्त न करने पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दबाव बनाये जाने की दशा में आरोपित अधिकारी के स्तर से मुख्य अभियन्ता को प्रेषित पत्र दिनांक 20–09–2010 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आरोपित अधिकारी द्वारा आडिट आपत्ति के उपरान्त न तो विद्युत सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की गयी तथा न ही आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान प्रस्तावित किया गया। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यकता से अधिक विद्युत सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा छोड़ी गयी, जिसके लिये मात्र आरोपित अधिकारी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। क्योंकि निविदा छोड़े जाने एवं उसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया में आरोपित अधिकारी के अतिरिक्त अन्य उच्चाधिकारी भी सम्मिलित रहे। उचित होगा कि भविष्य में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु विद्युत सामग्री आदि की निविदा छोड़े जाने से पूर्व आवश्यकता का गहनतापूर्वक आंकलन किया जाए। तद्नुसार जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह0/–अपठित कमिश्नर
दि0 22–7–2016

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी परियोजना अनुभाग–9
संख्या–84 / आठ–9–17–13 जांच / 2013
लखनऊ : दिनांक 7 फरवरी, 2017

## कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, (वि0 / यां0) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की गाजियाबाद में तैनाती की अवधि में पायी गयी अनियमितताओं हेतु सी0एस0आर0 के अनुच्छेद–351 के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–216 / आठ–5–14–13जांच / 13, दि0–29.01.2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को जांच अधिकारी बनाया गया।

2– जांच अधिकारी / आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच आख्या अपने पत्र सं0–709 / 28–86 / 2012–14 / पीए, दि0–23.07.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये 04 आरोपों में से किसी आरोप को सिद्ध नहीं पाया गया।

3– अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप, आरोपों के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या में उल्लिखित विवेचना, निष्कर्ष एवं प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया।

4– अतः श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, (वि0 / यां0), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विरूद्ध प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**पनधारी यादव**
सचिव।

संख्या– 84 / आठ–9–17–13 जांच / 13 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2– श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता, (वि0 / यां0), द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3– चरित्र पंजिका / व्यक्तिगत पत्रावली / आवास एवं शहरी नियोजन अनु0–5, उ0प्र0 शासन।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0 / –अपठित
(कृपा शंकर शुक्ल)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

संख्या 1106/आठ–5–16–13जांच/13

लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री एस0एस0 शुक्ला सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में पायी गयी अनियमिततताओं हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–216/आई–5–14 13जांच/13 दिनांक 29.01.14 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ को जांच अधिकारी बनाया गया।

2– जांच अधिकारी/आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच आख्या अपने पत्र संख्या–476/28–86/2012–14/पी0ए0 दिनांक 11.05.16 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये 06 आरोपों में किसी आरोप को सिद्ध नहीं पाया गया।

3– अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप आरोपों के संबंध मकें दिया गया उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं प्रकरण से संबंधित अन्य सुसंगत साक्ष्यों/अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये 06 आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया। अतः श्री एस0एस0 शुक्ला सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

पनधारी यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

2– श्री एस0एस0 शुक्ला सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा उपाध्यक्ष; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

3– चरित्र पंजिका/व्यहक्तिगत पत्रावली।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/–अपठित
(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या 1107/आठ–5–16–13जांच/13
लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2016

## कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री आर0एल0 सरोज, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती की अवधि में पायी गयी अनियमिततताओं हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–216/आठ–5–14 13जांच/13 दिनांक 29.01.14 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ को जांच अधिकारी बनाया गया।

2– जांच अधिकारी/आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच आख्या अपने पत्र संख्या–475/28–86/2012–14/पी0ए0 दिनांक 11.05.16 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये 06 आरोपों में किसी आरोप को सिद्ध नहीं पाया गया।

3– अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप आरोपों के संबंध मे दिया गया उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं प्रकरण से संबंधित अन्य सुसंगत साक्ष्यों/अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त अपचारी अभियन्ता के विरूद्ध लगाये गये 06 आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया। अतः श्री आर0एल0 सरोज सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

पनधारी यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2– श्री आर0एल0 सरोज सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3– चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/–अपठित
(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।

**कार्यालय सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0**
**सम्वर्ती सम्परीक्षा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद**

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
सम्वर्ती सम्परीक्षा विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

दिनांक–

पत्रांक–

विषय– **वर्ष 2009–10 में रूपया 64,94,65,627/– का मधुवन बापूधाम व कोयल एन्कलेव योजनाओं में विद्युत सामग्री के क्रय पर निरर्थक व्यय किया जाना।**

महोदय,

निवेदन है कि वर्ष 2009–10 में मुधबन बापूधाम योजना में विद्युत कार्यों हेतु 7 अनुबंधों के विरूद्ध रूपया 49,02,89,208/– व कोयल एन्कलेव योजना में विद्युत कार्यों हेतु रूपया 15,91,76,419/– की विद्युत सामग्री क्रय की गयी थी। उक्त योजनाओं हेतु भू–अर्जन न होने व विद्युत कार्य प्रारम्भ न होने के कारण क्रीत विद्युत सामग्री अनियमित रूप से मुख्य अभियन्ता के आदेश से प्राधिकरण स्टोर में रखी गयी थी। इस प्रकार उक्त व्यय प्राधिकरण निधि से निरर्थक व्यय था। क्रीत सामग्रियों के उपयोग की स्थिति स्पष्ट की जाय तथा आपूर्ति एवं फिक्सिंग की मद में हुए व्यय को सीक्योर्ड एडवांस की तरह व्यय न करने का भी औचित्य स्पष्ट किया जाये।

भवदीया

(प्रीति कृष्ण)
सहायक निदेशक

दिनांक :– 12.07.2010

पृ0सं0 :– 142 (1)

**प्रतिलिपि** :– मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0 अपठनीय
(प्रीति कृष्ण)
सहायक निदेशक

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्रांक 142 / लेखा अनु0 / 10 दिनांक : 19.08.2010

## कार्यालय आदेश

सभी अधिकारियों को अवगत कराया जाता है कि सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग (ऑडिट) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 की संवर्ती सम्परीक्षा प्रारम्भ कर दी गयी है। संवर्ती सम्परीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों के त्वरित निस्तारण, कार्य की गुणवत्ता में सुधार एवं त्रुटियां / आपत्तियों की पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने की दृष्टि से यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक देयक के भुगतान के पश्चात् पत्रावली सम्बन्धित अनुभागीय लिपिक द्वारा ऑडिट अनुभाग में सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सम्पत्ति, मानचित्र, प्रवर्तन, विधि एवं अधिष्ठान से सम्बन्धित / वांछित अभिलेखों / पत्रावलियां को सम्परीक्षा हेतु भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित भुगतान का ऑडिट होने के पश्चात् ही अगला भुगतान की संस्तुति की जायेगी। सम्परीक्षा के लिये पत्रावली प्रस्तुत कराने एवं सम्परीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण के लिए अनुभागीय अधिकारी अपने स्तर से ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

ह0 अपठनीय
**(नरेन्द्र कुमार चौधरी)**
उपाध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या ..... दिनांक .....

**प्रतिलिपि :**

1. सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, प्रभारी व्यवसायिक, मुख्य विधि परामर्शदाता, सी.ए.टी.पी., ओ.एस.डी., संयुक्त सचिव (बी), संयुक्त सचिव (एम), प्रभारी भूमि अर्जन, प्रभारी अधिष्ठान, प्रभारी पूल अनुभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
2. सहायक निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को सूचनार्थ ।

**(नरेन्द्र कुमार चौधरी)**
उपाध्यक्ष

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक /ई(3)/2011 दिनांक .05.11

मुख्य अभियंता,

मुख्य वित्त नियंत्रक महोदय के पत्र संख्या-583/लेखा/2011 दिनांक 9.05.11 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित आडिट आपत्ति भाग-2 (चार) 5 एवं भाग 3 के अन्तर्गत बिन्दु 1,2,3,4 व 11 से सम्बन्धित अनुपालन आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(एस0एम0एच0 रिज़वी)
अधिशासी अभियंता--विद्युत(3)

पत्रांक /ई-3 31/2011 दिनांक .05.11

प्रतिलिपि :

1. वित्त नियंत्रक महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, समवर्ती सम्परीक्षा, गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त आपत्तियों को निरस्त करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियंता विद्युत(3)

| क्र0सं0 | वर्ष | आपत्ति संख्या | आडिट आपत्ति | व्याख्यात्मक टिप्पणी |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2009–10 | (चार) 5 | मधुबन–बापूधाम योजना में मै0 अनिल कुमार एण्ड कं0 के सात अनुबन्धों का भुगतान सब–स्टेशन निर्माण वाह्य विद्युतीकरण व शिफ्टिंग कार्यो हेतु किया गया था। मुख्य अभियंता के पत्रांक 998/4/सी0ई0/ 2009–10 दिनांक 24.02.10 द्वारा अधिशासी अभियंताओं को आदेशित किया गया कि ऐसी सामग्री की आपूर्ति जिनकी सम्प्रति स्थल पर अधिष्ठापन नहीं किया जा सकता है को नेहरू नगर स्टोर में स्टोर अधिकारी विद्युत द्वारा मात्राओं का सत्यापन कर उचित भण्डारण किया जाये। अनुपालन में [illegible] की मद में सामग्री आपूर्ति [illegible] में जमा कराकर ठेकेदार को भुगतान कर [illegible] गया था। [illegible] | मधुबन–बापूधाम योजना में विद्युतीकरण सम्बन्धी सब–स्टेशन आदि का कार्य प्रगति पर है। विद्युतीकरण से सम्बन्धी सामग्री स्थापना उपरान्त यूपीपीसीएल के हस्तान्तरण होने तक समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का है। |

-2-

| | | |
|---|---|---|
| | भू-अर्जन प्राधिकरण नही कर सका था। अतः कीत सामग्री का उपभोग न होने के कारण प्राधिकरण निधि का अपव्यय था। स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट की जाये। | |
| 2 | पत्रावली नोट सीट संख्या–18 जो अनुबन्ध का एक भाग था पर यूपीपीसीएल को कार्य के हस्तानान्तरण होने तक स्थापित उपकरणों/सामग्रियों की क्षति का दायित्व ठेकेदार का था तथा अनुबन्ध के साथ पार्ट इलैक्ट्रीकल वर्क्स शर्त संख्या 6 के अनुसार ठेकेदार को अपने व्यय पर रखने की व्यवस्था व सुरक्षा का दायित्व दिया गया था इसी उद्देश्य से सामग्री के क्रय का भुगतान करने पर प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार से [illegible] | अनुबन्धों की शर्तो में कोई भी परिवर्तन नही किया गया है। समस्त सामग्री ठेकेदार के पजेशन में ही है तथा उक्त सामग्री के स्थापित होने एवं यूपीपीसीएल को हस्तान्तरित होने तक सामग्री की सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित फर्म का ही है। |

| | | |
|---|---|---|
| | हट जाने के कारण सामान के नष्ट होने का दायित्व प्राधिकरण को हो गया था। यह प्राधिकरण हित में नही था तथा नेहरू नगर स्टोर में स्थान उपलब्ध न होने पर गोविन्दपुरम खुले स्थान पर सामग्रियों का भण्डारण किया गया था जिसकी सुरक्षा पर प्राधिकरण द्वारा व्यय किया जाना बताया गया। इस पर व्यय की वसूली ठेकेदार से होनी चाहिए थी। नोटशीट संख्या–36 पर 762 वैण्ड में मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को सामग्री जांचने हेतु समिति गठित करने को कहा था, फिर बिना जांच के दिनांक 24.02.10 के आदेश का क्या औचित्य था। | |
| [illegible] | अनुबन्ध [illegible] संख्या–757 / एफ.सी. / ईई–ई / 09 [illegible] शीट संख्या–4 [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] किया जाए। | |
| | [illegible] के प्रभाव [illegible] की नहीं। | [illegible] आपत्ति [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | आडिट आपत्ति संख्या | आपत्ति का विवरण | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | |

Rajeev Singh
A.E. (E)

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

## (टिप्पणियां एवं आदेश)

मुख्य अभियन्ता,

मधुवन–बापूधाम योजना में वाहय विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था के दस अनुबन्धित कार्यो मे से आठ अनुबन्ध मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी और दो अनुबन्ध मैसर्स एन0 के0 जी0 इन्फ्रा0 लि0 द्वारा सम्पादित कराये गये है। जिनकी विस्तृत आख्या प्राप्त पत्रावलियों के अभियलेखों एवं प्राप्त सम्बन्धित प्रपत्रों पर आधारित है। जिनका उल्लेख निम्नवत् है:–

कृपया उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मधुवन–बापूधाम योजना लगभग 1310 एकड़ भूमि पर विकसित की जानी प्रस्तावित थी और इस योजना के क्षेत्र के साथ टीगरी माईनर के पश्चिम में जो गॉव मैनापुर, रहीशपुर एवं मेरठ दिल्ली वाईपास के लगे क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया था। यद्यपि इसका अर्जन प्रस्तावित था। इस योजना में वाहय विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था एवं सिविल कार्य के साथ–साथ समस्त अवस्थापना सेवाओं को सम्पादित कराने हेतु योजना परामर्शी मैसर्स सरटैक कन्सलटैन्ट को समस्त कार्यो की डिजाईन ड्राईग एवं आगणन(डीपीआर) तैयार किये जाने हेतु दिनॉक 28.02.2009 को अनुबन्धित किया गया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्तावित योजना में माह अक्टूबर–2008 (वित्तीय वर्ष 2008–09 के लक्षित) में उक्त क्षेत्र हेतु नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये ले–आउट के अनुरूप 5024 ई॰डब्ल्यू॰एस॰ भवनों की निविदाऐं भी आमंत्रित कर उनके अनुबन्ध भी निष्पादित हो चुके थें और स्थल पर कार्य भी प्रारम्भ करा दिया गया था इसके साथ–साथ ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण खोलते हुए भवनों का आवंटन/ड्रा भी दिनॉक 15.06.2009 को किया जा चुका था परन्तु नियमानुसार इस क्षेत्र में वांछित विकास कार्य प्रारम्भ नही हुए थें। जिसके तत्क्रम में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आवास बन्धु में दिनॉक 14.06.2009 को एवं तत्कालीन मा0 मंत्री जी द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाऊस में की गई बैठक में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि नई योजनाओं के भवनों का आवंटन किये जाने से पूर्व उस क्षेत्र का समस्त विकास आदि सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही भवनों/भूखण्डों का आवंटन किया जायें। जिसको दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष महोदय के आदेश संख्या–588 दिनॉक 29.05.2009 द्वारा गठित समिति अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता श्री एस॰ के॰ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता श्री अजय सिंह, श्री डी के त्यागी, सहायक अभियन्ता श्री महेश चन्द्र वर्मा, श्री वी0 के0 त्यागी, एवं सीएटीपी आदि सदस्यों के सुझावों को समावेश करते हुए तदानुसार मैसर्स सरटैक कन्सैलटैन्ट द्वारा दिनॉक 15.06.2009 को फाईनल डीपीआर की प्रति प्रेषित की गयी।

उपरोक्त के तारतम्य में योजना परामर्शी द्वारा पॉवर पाईन्ट प्रैजेन्टेशन दिया गया जिसमें गठित समिति के सदस्यों ने प्रतिभाग किया और पूर्व में दिनॉक 05.06.2009 मे प्रेषित पत्रांक संख्या–326/4/ईई–1/09 द्वारा परीक्षण करते हुए सुझाव माँगे गये थें। उसके अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता–विद्युत द्वारा कुछ बिन्दुओं के सन्दर्भ में यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के अनुरूप 09 बिन्दुओं को समावेशित करने हेतु सुझाव दिये जिनका समावेश करने हेतु मैसर्स सरटैक कन्सलटैन्ट को तत्कालीन उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा निर्देशित किया गया। निर्देशों के तत्क्रम में मैसर्स सरटैक कन्सलटैन्ट द्वारा पुनरीक्षित डीपीआर दिनॉक 23.07.2009 को प्रस्तुत की गयी। विद्युत कार्य की प्राप्त डीपीआर मे मानको एवं दरों की जॉच अभियन्त्रण खण्ड विद्युत द्वारा की गयी। विकास कार्य कार्य स्थल पर अतिशीघ्र पूर्ण करायें जाने हेतु विद्युत कार्यो की पृथक–पृथक निविदाएं आमंत्रित की जानी प्रस्तावित की गई यद्यपि सिविल के विकास कार्यो की निविदाए हो चुकी थी। फलस्वरूप विद्युत कार्यो के आगणन/व्ययानुमान का जॉच/परीक्षण "11/0.433 केवी के पैकेज सबस्टेशन ट्रांसफार्मर लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमतीनगर विस्तार आवासीय योजना के अनुसार सहायक अभियन्ता विद्युत श्री राज कुमार, श्री राजीव सिंह, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्री एस के सिंह द्वारा मानको एवं विशिष्टीयों के आधार पर किया गया और उसी के आधार पर डीपीआर का अनुमोदन यूपीपीसीएल से निविदा स्वीकृति से पूर्व प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार कन्सलटैन्ट द्वारा प्रेषित कार्ययोजना दो प्रभाग में पार्ट–1 एवं पार्ट–2 पत्रावली के पृष्ठ संख्या–4 पर उल्लेखित तालिकाओ के अनुसार थी। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है –

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

उपरोक्तानुसार तालिका पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के विद्युत कार्यो की कुल कार्य परियोजना लागत रू0 198.23 करोड प्रस्तावित की गयी जिसकी गणनाएं एवं दरों की जॉच अवर अभियन्ता तकनीकी के साथ व्यैक्तिक सहायक तकनीकी विद्युत, व्यैक्तिक सहायक तकनीकी द्वारा भी की गई।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मधुबन-बापूधाम योजना हेतु मैसर्स सरटैक कन्सलटैन्ट द्वारा तैयार किये गये वाहय विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रस्तुत डीपीआर के अन्तर्गत 1 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज राशि सम्मलित करते हुए कुल कार्य लागत (पार्ट-1, पार्ट-2) व्ययानुमान रू0 198,23,04,503.97 पैसे मात्र की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विद्युत खण्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव नोट पृष्ठ संख्या-05 पर अंकित तालिका अनुसार पृथक-पृथक निविदाएं आवश्यकतानुसार चरणबद्ध आमन्त्रित कर कार्य करायें जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने के अनुमोदनार्थ मुख्य अभियन्ता महोदय को पत्रावली प्रस्तुत की गई थी।

तत्पश्चात् पत्रावली के पृष्ठ संख्या-11 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता- विद्युत की अनुशंसा एवं अवर अभियन्ता-तकनीकी तथा व्यैक्तिक सहायक- तकनीकी की परीक्षण आख्या के तत्क्रम में गठित समिति (श्री आर एल सरोज- अधिशासी अभियन्ता-4, श्री एस एस शुक्ला-अधिशासी अभियन्ता-3, श्री आर एन त्रिपाठी-अधिशासी अभियन्ता-वि0, श्री डी के त्यागी-अधि0 अभि0-1, श्री अनिल गर्ग-मुख्य अभि0, श्री जी एस गोयल-मुख्य वास्तुविक नगर नियोजक, श्री अभय जायसवाल-वित्त नियन्त्रक, श्री राजकुमार सचान-सचिव) द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति की गई और तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री राम बहादुर द्वारा दिनॉक 24.07.2009 को वांछित स्वीकृतियां प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या-1:- विद्युत कार्यो के लिए कुल परियोजना लागत रू0 198.23 करोड (रू0 एक सौ अठानवे करोड तेईस लाख) मात्र जिसमें 1 प्रतिशत वर्कचार्ज कन्टिनजैंसी तथा यूपीपीसीएल को देय 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क सम्मिलित है, की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति।

बिन्दु संख्या-2:- पार्ट-1 में वर्णित कार्य जिनका वर्गीकरण सारणी-"क" के अनुसार है, की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए कार्य सम्पादन हेतु पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति।

बिन्दु संख्या-3:- पार्ट-2 में वर्णित कार्यो को स्थल व कार्य की आवश्यकता के अनुरूप विकास/निर्माण कार्यो की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए निविदा आमंत्रित कर कराये जाने की स्वीकृति।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त स्वीकृतियां दिनॉक 24.07.2009 को प्रदान कर दी गयी। जिसके तत्क्रम में निविदा आमन्त्रित करने व अन्य अग्रिम कार्यवाही निम्नवत् है:-

पार्ट-1 तालिका के क्रमांक 1 पर अंकित कार्य मधुबन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 केवी सबस्टेशन नं-01 के अधीन वाहय विद्युतीकरण का कार्य:-

पत्रावली के पृष्ठ संख्या-12 के अनुसार उक्त कार्य की निविदा दिनॉक 24.08.2009 को टू-विड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमें कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. मैसर्स वैभव-विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
2. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी
3. मैसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

| | |
|---|---|
| पंचम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–70 व 71 | रू0 1,40,87,594.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियो/ कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता–श्री अजय सिंह, अश्वनी मिश्रा, अरविन्द श्रीवास्तव, असद अली सिद्दकी, देवेन्द्र सिंह चौहान, के.डी.पाण्डेय, दिनोद कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस.गावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृत पाल सिंह, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध धनराशि रू0 10,91,90,105.00 के अन्तर्गत कुल चलित देयकों में किया गया कुल भुगतान रू0 9,85,03,488.00 तथा अनुबन्धित धनराशि के सापेक्ष रू 1,06,86,617.00 मात्र का भुगतान शेष है। अनुबन्धित मदों की मात्रा के सापेक्ष फर्म द्वारा कितनी मदों की मात्रा (Quantity) आपूर्ति की गई है और कितनी स्थल पर उपयोग की जा चुकी है। कार्य स्थल पर शेष रही मात्राए जो आज की तिथि तक उपयोग नही की जा सकी है, का विवरण पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पर संलग्न तालिका में अंकित कर पताका "क" अनुबन्धवार संलग्न किया गया है।

---

<u>पार्ट–1 तालिका के क्रमांक 2 पर अंकित कार्य मधुबन–बापूधाम योजना के बल्क लोड हेतु 33 केवी केबलिंग एवं पैनल्स की आपूर्ति एवं संस्थापना के कार्य:–</u>

पत्रावली के पृष्ठ संख्या–12 की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू–बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमें कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0
2. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
3. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी

पत्रावली के पृष्ठ संख्या–14 के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री–क्वालीफिकेशन में अर्ह मानते हुए उक्त तीनों कम्पनियों की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनाँक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0 | 30.25 प्रतिशत उच्च |
| 2. | मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 | 34.50 प्रतिशत उच्च |
| 3. | मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी | 29.13 प्रतिशत उच्च |

पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 21 के अनुसार निगोशियेशन उपरान्त बीओक्यू की दर से 06.00 प्रतिशत उच्च रू0 24,62,09,770.00 (चौबीस करोड बासठ लाख नौ हजार सात सौ सत्तर) मात्र जो कि न्यायोचित धनराशि से 0.13 प्रतिशत निम्न, निविदा समिति द्वारा सम्यक–विचारोपरान्त सर्वन्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के पक्ष में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय (श्री एन0 के0 चौधरी) द्वारा दिनाँक 03.09.2009 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त अनुबन्ध संख्या 769/एफसी/ईईई/2009 दिनाँक 09.11.2009 निष्पादित हुआ।

अनुबन्ध राशि– रू0 24,62,09,770.00 जिसके सापेक्ष चलित देयकों/रनिंग बिलों का भुगतान विवरण निम्नवत् है:–

पृ०सं० (6)

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

---

<u>पार्ट–1 तालिका के क्रमांक 3 पर अंकित कार्य मधुबन–बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 केवी सबस्टेशन नं0–2 व नं0–3 के अधीन वाह्य विद्युतीकरण का कार्य:–</u>
पत्रावली के पृष्ठ संख्या–12 की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू–बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमें कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0
2. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
3. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी

पत्रावली के पृष्ठ संख्या–14 के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री–क्वालीफिकेशन में अर्ह मानते हुए उक्त तीनों कम्पनियों की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनाँक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| | |
|---|---|
| 1. मैसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0 | 30.00 प्रतिशत उच्च |
| 2. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 | 34.50 प्रतिशत उच्च |
| 3. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी | 29.13 प्रतिशत उच्च |

पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 21 के अनुसार निगोशियेशन उपरान्त बीओक्यू की दर से 08.60 प्रतिशत उच्च 13,54,23,489.00 (तेरह करोड चौवन लाख तेईस हजार चार सौ नवासी) मात्र जो कि न्यायोचित धनराशि से 0.10 प्रतिशत निम्न, निविदा समिति द्वारा सम्यक–विचारोपरान्त सर्वन्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के पक्ष में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय (श्री एन0 के0 चौधरी) द्वारा दिनाँक 03.09.2009 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त अनुबन्ध संख्या 763/एफसी/ईईई/2009 दिनाँक 09.11.2009 निष्पादित हुआ।

अनुबन्धित राशि – रू0 13,54,23,489.00 जिसके सापेक्ष चलित देयकों/रनिंग बिलों का भुगतान विवरण निम्नवत् है:–

| | |
|---|---|
| प्रथम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–36 व 37 | रू0 6,43,07,294.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री हरवीर सिंह, सतीश कुमार, गिरीश चन्द्र गुणवन्त, सहायक अभियन्ता– श्री राजीव सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर॰ एस॰ शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| द्वितीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–46 व 47 | रू0 84,47,114.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री हरवीर सिंह, सतीश कुमार, गिरीश चन्द्र गुणवन्त, सहायक अभियन्ता– श्री राजीव सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर॰एस॰शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| तृतीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 56 व 57 | रू0 3,09,45,093.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री हरवीर सिंह, सतीश कुमार, गिरीश चन्द्र गुणवन्त, विरेन्द्र कुमार, निखिल |

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

अनुबन्धित राशि – रू0 21,22,03,494.00 जिसके सापेक्ष चालित देयकों/रनिंग बिलों का भुगतान विवरण निम्नवत् है:–

| | |
|---|---|
| प्रथम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–32 व 33 | रू0 4,20,93,436.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री अंजय सिह, जी.पी. शर्मा, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, देवेन्द्र सिंह, आनन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता– श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| द्वितीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–40 व 41 | रू0 3,55,24,843.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री ए.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता– श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| तृतीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 48 व 49 | रू0 49,15,363.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री अंजय सिह, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, देवेन्द्र सिंह, आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, गजेन्द्र पाल शर्मा, सहायक अभियन्ता– श्री अमृत पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| चतुर्थ चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 54 व 55 | रू0 7,55,06,552.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री अंजय सिह, आनन्द श्रीवास्तव, गजेन्द्र पाल शर्मा, अरविन्द श्रीवास्तव, देवेन्द्र चौहान, सहायक अभियन्ता– श्री राजीव सिंह, श्री भूपेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा,<br>मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| पंचम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 64 व 65 | रू0 69,84,402.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री के.डी.पाण्डेय, अरविन्द श्रीवास्तव, देवेन्द्र चौहान, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस.मादी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता श्री अनिल गर्ग। |
| षष्टम् चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 72 व 73 | रू0 1,35,76,640.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री के.डी.पाण्डेय, अरविन्द श्रीवास्तव, देवेन्द्र चौहान, सहायक अभियन्ता– |

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

| | |
|---|---|
| द्वितीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 38 व 39 | रू0 60,77,076.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री के.डी.पाण्डेय, तेजवीर सिंह, रजनीश, रविन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस.मावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| तृतीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 46 व 47 | रू0 70,18,628.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री के.डी.पाण्डेय, ए.के.श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस. मावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| चतुर्थ चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 54 व 55 | रू0 56,17,478.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री के.डी.पाण्डेय, असद अली सिददकी, देवेन्द्र सिंह चौहान, विनोद कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस.मावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध धनराशि 6,69,62,289.00 के अन्तर्गत कुल चलित देयकों में किया गया कुल भुगतान रू0 6,39,24,203.00 तथा अनुबन्धित धनराशि के सापेक्ष रू 30,38,086.00 मात्र का भुगतान शेष है। अनुबन्धित मदों की मात्रा के सापेक्ष फर्म द्वारा कितनी मदों की मात्रा (Quantity) आपूर्ति की गई है और कितनी स्थल पर उपयोग की जा चुकी है। कार्य स्थल पर शेष रही मात्राए जो आज की तिथि तक उपयोग नही की जा सकी है, का विवरण पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पर संलग्न तालिका में पताका "क" पर अनुबन्धवार अंकित कर संलग्न किया गया है।

---

पार्ट–1 तालिका के क्रमाक 6 पर अंकित कार्य मधुबन–बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 केवी सबस्टेशन नं0–6 के अधीन वाहय विद्युतीकरण का कार्य:–
पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 12 के अनुसार उक्त कार्य की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू–बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमें कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
2. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0
3. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी

पत्रावली के गत पृष्ठ संख्या–14 के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री–क्वालीफिकेशन मे अर्ह मानते हुए उक्त तीनो कम्पनियो की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एव सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम मे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनाँक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् है –

1. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 — 34.50 प्रतिशत उच्च
2. मैसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0 — 30.50 प्रतिशत उच्च

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

| | |
|---|---|
| | अभियन्ता–श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता–श्री अनिल गर्ग। |
| षष्टम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 66 व 67 | रू0 1,78,19,833.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री के.डी.पाण्डेय, अश्वनी मिश्रा, देवेन्द्र सिंह चौहान, अरविन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस.मावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता–श्री अनिल गर्ग। |
| सप्तम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 74 व 75 | रू0 1,65,50,247.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता–श्री के.डी.पाण्डेय, अश्वनी मिश्रा, देवेन्द्र सिंह चौहान, अरविन्द्र श्रीवास्तव, असद अली सिदद्की, सहायक अभियन्ता– श्री आर.एस.मावी, अधिशासी अभियन्ता–श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता–श्री अनिल गर्ग। |

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध धनराशि रू0 17,37,75,965.00 के अन्तर्गत कुल चलित देयकों में किया गया कुल भुगतान रू0 15,11,60,251.00 तथा अनुबन्धित धनराशि के सापेक्ष रू 2,26,15,714.00 मात्र का भुगतान शेष है। अनुबन्धित मदों की मात्रा के सापेक्ष फर्म द्वारा कितनी मदों की मात्रा (Quantity) आपूर्ति की गई है और कितनी स्थल पर उपयोग की जा चुकी है। कार्य स्थल पर शेष रही मात्राए जो आज की तिथि तक उपयोग नही की जा सकी है, का विवरण पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पर संलग्न तालिका पताका "क" पर अनुबन्धवार में अंकित कर संलग्न किया गया है।

---

पार्ट–1 तालिका के क्रमाक 7 पर अंकित कार्य मधुबन–बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 केवी सबस्टेशन नं0–7 के अधीन वाहय विद्युतीकरण का कार्य:–

पत्रावली के पृष्ठ संख्या–12 की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू–बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमे कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी
2. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
3. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0

पत्रावली के गत पृष्ठ संख्या–14 के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री–क्वालीफिकेशन में अर्ह मानते हुए उक्त तीनों कम्पनियों की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनाँक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी | 29.00 प्रतिशत उच्च |
| 2 | मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 | 34.50 प्रतिशत उच्च |
| 3. | मैसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0 | 30.00 प्रतिशत उच्च |

पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 21 के अनुसार निगोशियेशन उपरान्त बीओक्यू की दर से 07.00 प्रतिशत उच्च 23,04,40,943.00 (तेईस करोड चार लाख चालीस हजार नौ सौ तिरालीस) मात्र जो कि न्यायोचित धनराशि से 0.08 प्रतिशत निम्न, निविदा समिति द्वारा

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

| | |
|---|---|
| | अवर अभियन्ता-- श्री अश्वनी मिश्रा, के॰डी॰पाण्डेय, देवेन्द्र सिंह चौहान, असद अली सिदद्की, विनोद कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता– श्री आर॰एस॰मावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| सप्तम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या– 75 व 76 | रू0 4,45,43,731.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण:–<br>अवर अभियन्ता– श्री अंजय सिंह, अश्वनी मिश्रा, असद अली सिदद्की, अरविन्द श्रीवास्तव, के॰डी॰पाण्डेय, देवेन्द्र सिह चौहान, विनोद कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता– श्री आर॰एस॰मावी, अधिशासी अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध धनराशि रू0 23,04,40,943.00 के अन्तर्गत कुल चलित देयकों में किया गया कुल भुगतान रू0 20,15,13,779.00 तथा अनुबन्धित धनराशि के सापेक्ष रू 2,89,27,164.00 मात्र का भुगतान शेष है। अनुबन्धित मदों की मात्रा के सापेक्ष फर्म द्वारा कितनी मदों की मात्रा (Quantity) आपूर्ति की गई है और कितनी स्थल पर उपयोग की जा चुकी है। कार्य स्थल पर शेष रही मात्राए जो आज की तिथि तक उपयोग नही की जा सकी है, का विवरण पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पर संलग्न तालिका में पताका "क" पर अनुबन्धवार अंकित कर संलग्न किया गया है।

---

पार्ट–1 तालिका के क्रमांक 8 पर अंकित कार्य मधुदन–बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 केवी सबस्टेशन नं0–8 के अधीन बाहय विद्युतीकरण एवं शिफ्टिंग का कार्य एवं 30 मीटर तथा 45 मीटर चौडी रोड पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य:–

पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 13 की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू–बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमे कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
2. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी
3. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0

पत्रावली के पृष्ठ संख्या–15 के के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री–क्वालीफिकेशन में अर्ह मानते हुए उक्त तीनो कम्पनियों की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनॉक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. मैसर्स वैभव–विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 — 34.50 प्रतिशत उच्च
2. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी — 29.13 प्रतिशत उच्च
3. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0 — 30.25 प्रतिशत उच्च

पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 22 के अनुसार निगोशियेशन उपरान्त बीओक्यू की दर से 07.70 प्रतिशत उच्च 20,34,16,380.00 (बीस करोड चौंतीस लाख सोलह हजार तीन सौ अस्सी) मात्र जो कि न्यायोचित धनराशि से 0.14 प्रतिशत निम्न, निविदा समिति द्वारा सम्यक–विचारोपरान्त सर्वन्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के पक्ष में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय (श्री एन0 के0 चौधरी) द्वारा दिनॉक 03.09.2009 में स्वीकृति

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

| | |
|---|---|
| | विवरणः— अवर अभियन्ता— श्री के॰डी॰पाण्डेय, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता— श्री आर॰एस॰गावी, अधिशासी अभियन्ता— श्री अमृतपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता— श्री अनिल गर्ग। |

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध धनराशि रू0 20,34,16,380.00 के अन्तर्गत कुल चलित देयकों में किया गया कुल भुगतान रू0 16,80,34,615.00 तथा अनुबन्धित धनराशि के सापेक्ष रू 3,53,81,765.00 मात्र का भुगतान शेष है। अनुबन्धित मदों की मात्रा के सापेक्ष फर्म द्वारा कितनी मदों की मात्रा (Quantity) आपूर्ति की गई है और कितनी स्थल पर उपयोग की जा चुकी है। कार्य स्थल पर शेष रही मात्राए जो आज की तिथि तक उपयोग नही की जा सकी है, का विवरण पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पर संलग्न तालिका में पताका "क" पर अनुबन्धवार अंकित कर संलग्न किया गया है।

---

पार्ट—1 तालिका के क्रमांक 9 पर अंकित कार्य मधुबन—बापूधाम योजना में 08 नग 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण कार्यः—
पत्रावली के पृष्ठ संख्या—12 के अनुसार उक्त कार्य की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू—बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमें कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् हैः—

1. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0
2. मैसर्स विभोर—वैभव इन्फ्रा0 प्रा0 लि0
3. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी

पत्रावली के गत पृष्ठ संख्या—14 के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री—क्वालीफिकेशन में अर्ह मानते हुए उक्त तीनों कम्पनियों की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनाँक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी | 40.00 प्रतिशत उच्च |
| 2 | मैसर्स वैभव—विभोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 | 48.00 प्रतिशत उच्च |
| 3. | मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0 | 42.25 प्रतिशत उच्च |

पत्रावली के पृष्ठ संख्या— 21 के अनुसार निगोशियेशन उपरान्त डीओक्यू की दर से 28.00 प्रतिशत उच्च रू0 29,13,24,041.00 (उनतीस करोड तेरह लाख चौबीस हजार इकतालीस) मात्र जो कि न्यायोचित धनराशि से 0.04 प्रतिशत निम्न, निविदा समिति द्वारा सम्यक—विचारोपरान्त सर्वन्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के पक्ष में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय (श्री एन0 के0 चौधरी) द्वारा दिनाँक 03.09.2009 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त अनुबन्ध संख्या 764/एफसी/ईईई/2009 दिनाँक 09.11.2009 निष्पादित हुआ।

अनुबन्धित राशि— रू0 29,13,24,041.00, जिसके सापेक्ष चलित देयकों/रनिंग बिलों का भुगतान विवरण निम्नवत् हैः—

| | |
|---|---|
| प्रथम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या— 34—35 के | रू0 39,86,752.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरणः— |

क्रमशः (8)

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

जा चुकी है। कार्य स्थल पर शेष रही मात्राए जो आज की तिथि तक उपयोग नही की जा सकी है, का विवरण पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पर संलग्न तालिका में पताका "क" पर अनुबन्धवार अंकित कर संलग्न किया गया है।

---

पार्ट–1 तालिका के क्रमांक 10 पर अंकित कार्य मधुवन–बापूधाम योजना में बाहय विद्युतीकरण हेतु विद्युत पोल एवं फिक्चर्स की आपूर्ति का कार्यः–
पत्रावली के पृष्ठ संख्या–12 की निविदा दिनाँक 24.08.2009 को टू–बिड सिस्टम के आधार पर आमंत्रित की गयी, जिसमें कुल 03 निविदाए प्राप्त हुई। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

1. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी
2. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0
3. मैसर्स वैभव–विनोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0

पत्रावली के गत पृष्ठ संख्या–14 के अनुसार उक्त तीनों फर्मो को प्री–क्वालीफिकेशन में अर्ह मानते हुए उक्त तीनों कम्पनियों की प्राईज बिड खोलने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव महोदय द्वारा की गयी जिसके तत्क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2009 को स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनाँक 31.08.2009 को प्राईज बिड खोली गयी जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी — 32.50 प्रतिशत उच्च
2. मैसर्स एन0के0जी इन्फ्रा0 लि0 — 30.25 प्रतिशत उच्च
3. मैसर्स वैभव–विनोर इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 — 35.00 प्रतिशत उच्च

पत्रावली के पृष्ठ संख्या– 21 के अनुसार निगोशियेशन उपरान्त बीओक्यू की दर के समतुल्य (एट पार) 20,22,43,347.00 (बीस करोड बाईस लाख तिरालीस हजार तीन सौ सैतालिस) मात्र जो कि न्यायोचित धनराशि के भी समतुल्य (एट पार), निविदा समिति द्वारा सम्यक–विचारोपरान्त सर्वन्यूनतम निविदादाता मैसर्स एन0 के0 जी0 इन्फ्रा0 लि0 के पक्ष में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय (श्री एन0 के0 चौधरी) द्वारा दिनाँक 03.09.2009 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त अनुबन्ध संख्या 772/एफसी/ईईई/2009 दिनाँक 10.11.2009 निष्पादित हुआ।

अनुबन्धित राशि– रू0 20,22,43,347.00, जिसके सापेक्ष चलित देयकों/रनिंग बिलों का भुगतान विवरण निम्नवत् हैः–

| | |
|---|---|
| प्रथम चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–<br>31 व 32 | रू0 5,88,27,259.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरणः–<br>अवर अभियन्ता– श्री आनन्द श्रीवास्तव, गजेन्द्र पाल शर्मा, ए.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |
| द्वितीय चलित देयक<br>पत्रावली पृष्ठ संख्या–<br>39 व 40 | रू0 2,41,75,497.00<br>भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरणः–<br>अवर अभियन्ता– श्री आनन्द श्रीवास्तव, गजेन्द्र पाल शर्मा, ए.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता– श्री अमृतपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता– श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य अभियन्ता– श्री अनिल गर्ग। |

क्रमांक: 20

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

रू0 17,86,01,236.00 (एक करोड छियासी लाख एक हजार दो सौ छत्तीस मात्र) एवं अवशेष धनराशि रू0 3,06,02,258.00 (तीन करोड छत्तीस लाख दो हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) शेष है।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी और मैसर्स एन0 के0 जी0 इन्फ्रा0 लि0, दोनो फर्मो की कार्यस्थल पर अवशेष विद्युत उपकरण एवं सामग्रिया, जिनका कार्यस्थल पर अधिष्ठापन अथवा स्थापन कार्य नही हुआ है, वह समस्त विद्युत उपकरण/सामग्रिया दोनो ठेकेदारों की अभिरक्षा/सुरक्षा में मधुबन–बापूधाम योजना में और उसके समीप आईडियल इन्जी0 ऑफ टैक्नोलोजी से सटी जमीन पर उनके अधीन रखी हुई है। अनुबन्ध के अनुसार जब तक अन्तिम भुगतान न हो जायें और कृत कार्य विभाग को हस्तांतरित न कर दें तब तक अवशेष विद्युत उपकरण एवं सामग्रियों के चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की है।

अधिशासी अभियन्ता–विद्युत, गा0वि0प्रा0 के कार्यालय से प्रेषित पत्र संख्या 06/4/ईई–ई(जी0एम0पी0)/2017–18 दिनाँक 25.07.2017 के द्वारा मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी को उनके अनुबन्ध संख्या– 763, 768, 769, 762, 761, 767, 764 एवं 766/एफसी/ईई–ई/09 दिनाँक 09.11.2009 और मैसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0 को अनुबन्ध संख्या 771/एफसी/ईई–ई/09 दिनाँक 09.11.2009 के अन्तर्गत विद्युत उपरण एवं समस्त विद्युत सामग्रियों जो उनकी अभिरक्षा/सुरक्षा में उनके अधीन है उन सामग्रियों का उल्लेख तालिका में अनुबन्धवार सामग्रियों के उपयोग एवं अवशेष के साक्ष्य (इण्डेन्ट सहित) एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थें। फलस्वरूप मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी एवं एन0 के0 इन्फ्रा0 लि0 के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित कार्य का विवरण दस्ती तौर पर बिना साक्ष्य एवं बिना हस्ताक्षर के उपलब्ध कराये गये है, जो कि पत्रावली में सम्मुख और पताका–"ख" पर अवलोकनार्थ संलग्न है। यहाँ यह भी संज्ञानित करना चाहता हूँ कि उक्त बल्क विद्युत उपकरणो/सामग्रियो का उपयोग नये कार्यो मे किया जा रहा है। जिसका अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय से प्रकलन स्वीकृति के साथ प्राप्त किया जा रहा है। इस क्रम में पताका–"ग" अवलोकनीय है। इसके अतिरिक्त मधुबन–बापूधाम के प्रगतगत कार्यो के अनुबन्धों की विद्युत उपकरणों/सामग्रियों का परस्पर एक से दूसरे अनुबन्धों में उपयोग किया जा रहा है। इसका अनुमोदन अभिलेख प्राप्त नही हो सका है।

उपरोक्त विस्तृत आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी के पत्र दिनाँक 01.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ पताका "घ" पर अवलोकनीय है, जिसमें उन्होने भुगतान किये जाने की अपेक्षा की है। अवगत कराना है कि उक्त कार्यो की जाँच तत्कलीन उपाध्यक्ष महोदय श्री सन्तोष कुमार यादव द्वारा करायी गयी। करायी गयी जाँच के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को पत्र संख्या–150/1/2012 दिनाँक 01.10.2012 प्रेषित किया गया था। जिसमें सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी। पत्र पताका "ड" पर संलग्न है। इस पत्र के क्रम में शासन द्वारा उक्त प्रकरण पर आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ को जाँच अधिकारी नामित किया गया था। पत्र पताका "च" पर संलग्न है। तदोपरान्त शासन स्तर पर की गयी अग्रिम कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नही हो पा रहे है, इसके साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि इन्दिरापुरम योजना मे वाह्य विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य का सम्पादन मैसर्स अनिल कुमार एण्ड कम्पनी द्वारा अनुबन्ध संख्या 1004/एफसी/ई0ई0–ई0/10 दिनाँक 13.07.2010, 658/एफसी/ई0ई0–ई0/09 दिनाँक 21.04.2009 एवं 1057/एफसी/ईई–ई/10 दिनाँक 22.09.2010 के अन्तर्गत किया गया था। जिसमें क्रमशः धनांक रू0 18,68,97,070.31, 3,63,95,334.62 एवं 1,58,50,170.00 कुल धनांक रू0 23,91,42,574.93 (रू0 तेईस करोड इकक्यानवे लाख बयालीस हजार पाँच सौ चौहत्तर पैसे तिरानवे मात्र) की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार से किये जाने के आदेश वर्ष 2015 में निर्गत किये गये थे। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति आज तक अपरिहार्य कारणो से नही हो सकी है। इस प्रकरण पर विद्युत अनुभाग–टी0एच0ए0 द्वारा उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पत्र भेजा जा रहा है। उक्त वर्णित परिस्थितियो मे ठेकेदार को वर्तमान में भुगतान किया जाना

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

## (टिप्पणियां एवं आदेश)

<u>सहायक अभियन्ता / अधिशासी ~~अभियन्ता–वि0~~ / सचिव</u>

कृपया पूर्व पृष्ठ संख्या–22 पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनाँक 06.09.2017 के क्रम में गठित समिति नामित करते हुए समिति को सूचित करने हेतु कार्यालय आदेश का पत्रालेख तैयार कर दाहिनी ओर संलग्न कर दिया गया है। कृपया अवलोकन कर पत्र पर हस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

प्रवीण कुमार त्यागी
अवर अभियन्ता विद्युत

6/9/17
मनोज कुमार सागर
सहा0 अभि0 (वि0/यां0)

06/09/2017
EE(E/M)
(अजय कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

6/9/17
सचिव

<u>सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता–वि0</u>

कृपया गत पृष्ठ संख्या–22 पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनाँक 06.09.2017 एवं सचिव महोदय के कार्यालय आदेश पत्र संख्या–48 / 4 / ईईई / जी0एम0पी0 / 2017–18 दिनाँक 06.09.2017 के तत्क्रम में अस्थाई कवर्ड स्टोर और परिसर के बाऊड्री पर वायरफैसिंग सम्बन्धित कार्य संलग्न साईट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य तत्काल कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जोन–3 को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप तैयार कर दाहिनी ओर संलग्न है, कृपया अवलोकन कर पत्र पर हस्ताक्षर हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करें।

प्रवीण कुमार त्यागी
अवर अभियन्ता विद्युत

11/9/17
मनोज कुमार सागर
सहा0 अभि0 (वि0/यां0)

Signed
11/09/2017
(अजय कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
## (टिप्पणियां एवं आदेश)

सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता–वि0

कृपया मधुबन–बापूधाम योजना में बाह्य विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत बल्क में विद्युत संयन्त्र/उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर, इलैक्ट्रिक पैनल, आर0एम0यू0, स्ट्रीट लाईट फिटिंग एवं अन्य विद्युत सामग्रियों की आपूर्ति वर्ष 2008–09 में प्राप्त की गयी थी, जो वर्तमान में खुले स्थान पर वगैर बायरफैसिंग/बाऊन्ड्रीवॉल के रखी हुई हैं। इस क्रम में उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनाँक 06.09.2017 एवं सचिव महोदय के कार्यालय आदेश पत्र संख्या–48/4/ईईई/जी0एम0पी0/2017–18 दिनाँक 06.09.2017 (कार्यालय आदेश की छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।) के अनुपालन के अन्तर्गत मधुबन–बापूधाम योजना में अस्थाई कवर्ड स्टोर और परिसर के चारो तरफ बायरफैसिंग का कार्य संलग्न साईट प्लान के अनुसार कराया जाना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह स्टोर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निर्मित किया जाना है। विद्युत संयत्र/उपकरणों एवं सामग्रियों का कार्य स्थल पर उपयोग की समयावधि तक स्टोर रहेगा उसके पश्चात् समाप्त हो जायेगा। उक्त पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता जोन–3 द्वारा मधुबन–बापूधाम योजना में ई पॉकेट स्थित बिजली घर के निकट की भूमि पर अस्थाई स्टोर निर्मित करने हेतु सहमति माँगी गयी थी। विकल्प में कोई और अन्य स्थल न होने के कारण ई पॉकेट के निकट 30 मीटर चौडे मुख्य मार्ग पर अस्थाई स्टोर निर्मित किया जाना उपयुक्त है। जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता जोन–3 को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप तैयार कर दाहिनी ओर संलग्न है। कृपया अवलोकन कर पत्र पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

1-10-17

(प्रवीन कुमार त्यागी)
अवर अभियन्ता–विद्युत

Signed

स्पेस[redacted]नस्ट : सीवर, वाटर, सप्लाई, ड्रेनेज, सड़क, बिल्डिंग निर्माण एवं इलेक्ट्रीफिकेशन

**अनिल कुमार एण्ड**
**गवर्नमेन्ट कान्ट्रे**

सेवा में,

**मुख्य अभियन्ता,**
**गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद**

वि[redacted]य– **मधुबन बापूधाम योजना में विभिन्न अनुबन्ध सं0 761, 762, 763, 767, 768 एवं 769 में किये जाने वाले विद्युत कार्यों के पूर्ण होने में।**

[redacted]होदय,

उपरोक्त विशय के क्रम में सादर सूचित करना है कि उपरोक्त अनुबन्ध
[redacted]केये जाने वाले सभी कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किए जा चुके हैं।
उपरोक्त अनुबन्धों में से एक अनुबन्ध सं0 764 में विद्युत उपस्थान व
हस्तान्तरण का कार्य षेश है। विद्युत उपस्थान के विषय में 33/11 के0वी0
लाईन उपलब्ध न होने के कारण कार्य शेष है। जिसेक लिए हम पूर्व अधिव
अधिकारियों से बार–बार अनुरोध कर रहे हैं।

यह अनुरोध है कि 8 अनुबन्धों में से 7 को अन्तिम रूप दिलाने हेतु
की कृपा करें।

**संलग्न**– अनुबन्ध अनुसार कार्यों की विस्तृत आख्या – 1 नग

**वास्ते अनिल कुमार**
ह0 अपठ
**अधिकृत प्रा**

**प्रतिलिपि** :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. अधि0 अभि0 (विद्युत) को इस अनुरोध के साथ उक्त अनुबन्
   दिलाने की कृपा करें।

**वास्ते अनिल कु**
ह0 अ
**अधिकृत**

दिनांक 19.04.2023

# MADHUBAN BAPUDHAM YOJNA 2008-2009
## Work Percentage details date 03/04/2023

| Sl. No. | Bond No. | Bond Amount | Work not to be done | Total work done | Extra amount of work done | Actual work done amount | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4=5 | 6 | 5+6=7 | 8 |
| 1 | 761 | 66962289 | 4742270 | 62220019 | 1100000 | 63320019.00 | -0.945 |
| 2 | 762 | 230440943 | 5100375 | 225340568 | 5058227 | 230398795.00 | -0.999 |
| 3 | 763 | 135423489 | 3946747 | 131476742 | 1583284 | 133060026.00 | -0.982 |
| 4 | 764 | 291324041 | 14491585 | 276832456 | 1100000 | 277932456.00 | -0.954 |
| 5 | 766 | 213159044 | 14121827 | 199037217 | 21253916 | 220291133.00 | +1.033 |
| 6 | 767 | 173775965 | 2405588 | 171370377 | 360894 | 171731271.00 | -0.988 |
| 7 | 768 | 109190105 | 3186737 | 106003368 | 1100000 | 107103368.00 | -0.981 |
| 8 | 769 | 246209770 | 15387029 | 230822741 | - | 230822741.00 | -0.937 |

R-2365

फैक्स/स्पीड पोस्ट

(84)

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

प्रेषित,

**श्री अमृतपाल सिंह,**
तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
के–1, कहकशा, अवध अपार्टमेंट,
विपुलखण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ। (मो0 नं0–9415019458)
(द्वारा– उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ)

संख्याः 479 /28–86/2012–14/पी0ए0 दिनांकः 11 अप्रैल, 2016

विषयः **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापू धाम आवासीय योजना में विद्युतीकरण कार्यों में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में संलिप्त अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक जांच के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23–06–2015 एवं दिनांक 28–09–2015 के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि उक्त प्रार्थना पत्रों के द्वारा अभ्याचित अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में स्वंय अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रतियां प्राप्त करते हुये, आरोप पत्र 29–01–2014 के सम्बन्ध में अपना उत्तर विलम्बम दिनांक 16–05–2016 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवश्यमेव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्य आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत उत्तर को ही अन्तिम उत्तर मानते हुये, तद्नुसार जांच पूर्ण कर आख्या शासन को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को आरोपित अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23–06–2015 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि चूंकि प्रकरण में जांच कार्यवाही पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः अपचारी अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त) द्वारा यदि किसी अभिलेख/सूचना की मांग की जाती है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराते हुये उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक सिन्हा)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

R-1843

फैक्स/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

प्रेषित,

**श्री अमृतपाल सिंह,**
तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
के–1, कहकशा, अवध अपार्टमेंट,
विपुलखण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ। (मो0 नं0–9415019458)
(द्वारा– उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ)

संख्याः 601 /28–86/2012–14/रीडर दिनांकः 25 मई, 2017

विषयः **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापू धाम आवासीय योजना में विद्युतीकरण कार्यों में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में संलिप्त अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय /अनुशासनिक जांच के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–479/28–86/2012–14 दिनांक 11–05–2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23–06–2015 एवं दिनांक 28–09–2015 के सम्बन्ध में सूचित किया गया था कि उक्त प्रार्थना पत्रों के द्वारा अभ्याचित अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में स्वंय अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रतियां प्राप्त करते हुये, आरोप पत्र 29–01–2014 के सम्बन्ध में अपना उत्तर विलम्बम दिनांक 16–05–2016 तक अवश्यमेव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, परन्तु आपके द्वारा अभी तक आरोप पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आरोप पत्र दिनांक 29–01–2014 के सम्बन्ध में अपना उत्तर विलम्बम दिनांक 05–06–2017 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत उत्तर को ही अन्तिम उत्तर मानते हुये, तद्नुसार जांच पूर्ण कर आख्या शासन को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

**(डा0 प्रभात कुमार)**
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस कार्यालय के पत्र सं0–479/28–86/2012–14 दिनांक 11–05–2016 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(डा0 प्रभात कुमार)**
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

86

दिनांक 04.06.2017

प्रेषक,

श्री अमृतपाल सिंह,
तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
के–1, कहकशा, अवध अपार्टमेंट,
विपुलखण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ। (मो0–9415019458)

प्रेषित,

आयुक्त, (जांच अधिकारी)
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

महोदय,

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापू धाम आवासीय योजना में विद्युतीकरण कार्यों में कथित अनियमितताओं के सम्बंध में संलिप्त अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक जांच के सम्बंध में।

-----

कृपया अपने पत्र सं0 601/28–86/2012–14/रीडर दिनांक 25.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आरोप पत्र दिनांक 29.01.2014 का प्रार्थी को अपना उत्तर दिनांक 05.06.2017 तक प्रस्तुत करना था। उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.05.2017 में संदर्भित पत्र सं0 479/28–86/2012–14 दिनांक 11.05.2016 प्रार्थी को प्राप्त नही हुआ है। प्रार्थी दिनांक 30.04.2011 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो चुका है एवं सम्पूर्ण लाभ भी प्रार्थी को प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण प्रार्थी वर्तमान आवेदन ई–मेल पता (commmee@up.nic.in) आज दिनांक 04.06.2017 को व स्पीड पोस्ट दिनांक 05.06.2017 द्वारा आपको प्रेषित कर रहा है। प्रार्थी ट्रेन में आरक्षण मिलने के पश्चात अपना वर्तमान आवेदन आपके कार्यालय में उपस्थित होकर स्वयं प्रस्तुत करेगा।

2. प्रार्थी ने अपना अपूर्ण उत्तर दिनांक 28.09.2015 आपके समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका संदर्भ आपने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 25.05.2017 में उल्लेख किया है। प्रार्थी ने अपने अपूर्ण उत्तर दिनांक 28.09.2015 से पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2015 द्वारा छः उल्लिखित अभिलेखों की सत्यप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु उल्लेख किया था। परन्तु छः अभिलेख न मिलने के कारण प्रार्थी ने अपूर्ण उत्तर दिनांक 28.09.2015 को प्रेषित किया था तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2015 द्वारा पुनः अनुरोध किया था प्रार्थी को उल्लिखित छः अभिलेख की छायाप्रतियां आज तक प्राप्त नही हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को यह अवगत हुआ है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री अनिल गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, श्री आर0एल0 सरोज, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री एस0एस0 शुक्ला, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध भी दिनांक 29.01.2014 को प्रार्थी के साथ आरोप पत्र निर्गत किया गया था एवं आपको ही जांच अधिकारी नामित किया गया था। उपरोक्त सभी उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए आरोप के संदर्भ में आप द्वारा जांच आख्या प्रेषित की जा चुकी है एवं किसी के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नही हुआ है और तदानुसार शासन द्वारा आरोप पत्र समाप्त कर दिया गया है।

3. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के अन्तरिम अपूर्ण उत्तर दिनांक 28.09.2015 को पूर्ण उत्तर मानते हुए जांच पूरी कर शासन को जांच आख्या प्रस्तुत करें क्योंकि प्रार्थी निर्दोष है अन्यथा की स्थिति में आवश्यक आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

प्रार्थी

5/6/17

(अमृत पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)

सेवा में

जाँच अधिकारी / आयुक्त
मेरठ मण्डल
मेरठ

विषय :- विभागीय अनुशासनिक जाँच कार्यवाही - कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.01.2014 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग - 3 उ०प्र० शासन लखनऊ।

संदर्भ सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रसंख्या 197/4 -E/(TH AZ-8) 2015 दिनांक 19.09.15

पी०एस०
कृ० पत्रावली
साहित्य
आयुक्त
28.09.15

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में व्यक्तिगत रूप हेतु आज दिनांक 28.9.15 को उपस्थित हूँ। आरोप पत्र के उत्तर दिये जाने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23.06.20 को प्रति संलग्न है को जाँच अधिकारी तथा विभागीय अधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था जो कि अभी तक अप्राप्त हैं।

अतः अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 23.06.15 के क्रम में वांछित अभिलेखों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि आरोपों के संबंध में अपना पूर्ण उत्तर प्रस्तुत कर सकूँ। पत्र के साथ में अन्तरिम उत्तर भी संलग्न है।

सादर

संलग्न उपरोक्त अनुसार।
दिनांक 28.9.2015

भवदीय
28/9/15
(अनुपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
K-1 Avad Appartment
Vipul Khand Gomti Nagar
Lucknow
Mobile No. 9415019450

(82)

प्रेषकः

अमृत पाल सिंह
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
के–1 कहकशां, अवध अपार्टमेन्ट
विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

सेवा में,

जाँच अधिकारी/आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

विषयः–विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही–कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.01.2014 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन लखनऊ

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0 690/पी0ए0–2015 दिनांक 16.06.2015 जो उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद को सम्बोधित है का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसकी प्रति विशेष कार्यधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र सं0 284/प्रशासन अनुभाग/2014 दिनांक 18.06.2015 जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अनुशासनिक विभागीय जांच कार्यवाही दिनांक 30.06.2015 को अपरान्ह 3 बजे आपके समक्ष नियत की गयी है। आप द्वारा मांगा गया निवास पता, मोबाइल नम्बर व निवास फोन नम्बर की सूचना इस पत्र के माध्यम से दी जा रही है।

2– आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 16.06.2015 मे सन्दर्भित पत्र सं0 649/पी0ए0–2014 दिनांक 25.05.2015 अधोहस्ताक्षरी को कभी भी प्राप्त नही हुआ है इसलिए अधोहस्ताक्षरी आपके समक्ष दिनांक 15.06.2015 को अपरान्ह 3 बजे आपके कार्यालय मे आपके समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई एवं मौखिक साक्ष्य हेतु उपस्थित नही हो सका। अतः अधोहस्ताक्षरी की दिनांक 15.06.2015 को अनुपस्थिति अधोहस्ताक्षरी के कारण नही है।

3– अधोहस्ताक्षरी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मे सहायक अभियन्ता के रूप मे दिनांक 01.07.2007 से 07.07.2010 तक तथा 07.07.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियन्ता के रूप मे कार्यरत था तथा तत्पश्चात् दिनांक 30.04.2011 को सेवानिवृत्त हो गया था क्योंकि प्रार्थी की जन्मतिथि 11.04.1951 है। अधोहस्ताक्षरी को सेवानिवृत्त लाभो का भुगतान कर दिया गया है एवं दिनांक 01.05.2011 से पेन्शन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

4– विषयगत विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही आरोप पत्र संख्या निल दिनांक निल के सन्दर्भ मे योजित है जो आरोप पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा विषयगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.01.2014 द्वारा निर्गत है तथा जांच अधिकारी आयुक्त मेरठ मण्डल द्वारा दिनांक 26.02.2014 को प्रति हस्ताक्षरित है जैसा कि डा0 अजय शंकर पाण्डेय अपर आयुक्त कार्यालय आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पत्र सं0 1096/28–86/2012–14 दिनांक 28.05.2014 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है।

5– डा0 अजय शंकर पाण्डेय, अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल के पत्र सं0 1096/28–86/2012–14 दिनांक 28.05.2014 व पत्र सं0 1206/28–86/2012–14 दिनांक 24.06.2014 के अनुपालन मे अधोहस्ताक्षरी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2014, 10.07.2014 एवं 02.09.2014 (प्रति संलग्न) सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकारण को प्रेषित

पृष्ठ –2

23/6/15

किया था और तदानुसार दिनांक 10.09.2014 को निम्नलिखित अभिलेखों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी थी। जो निम्नवत् हैः–

1. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के अनुबन्ध की प्रतियाँ।
2. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्यत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के निविदा एवं भुगतान की समस्त पत्रावली की प्रतियाँ।

निम्नलिखित अभिलेखों की अप्रमाणित छाया प्रतियाँ दिनांक 10.09.2014 को उपलब्ध करायी गयी थी, जो निम्नवत् हैः–

1. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के स्टाक रजिस्टर की प्रतियाँ।
2. केन्द्रीय विद्युत स्टोर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्टाक रजिस्टर 01.07.2009 से 30.04.2011 तक की प्रतियाँ।
3. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के देयकों के वाउचर्स की प्रतियाँ।

परन्तु निम्नलिखित अभिलेखो की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियाँ उपलब्ध नही करायी गयी। जो निम्नवत् हैः–

1. प्रार्थी को मधुबन बापु धाम योजना का अधिशासी अभियन्ता के पद पर जिस आदेश से कार्यभार सौंपा गया था उक्त आदेश की प्रति।
2. मधुबन बापुन धाम याजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के भण्डारण किये जाने सम्बन्धी आदेश की समस्त पत्रावली की प्रतियाँ।
3. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के समस्त माप पुस्तिकाओं की प्रतियाँ।

दिनांक 10.09.2014 को अधोहस्ताक्षरी के अधिकृत प्रतिनिधि को सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उपरोक्त तीन अभिलेखों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियाँ जब उपलब्ध होगी तब सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तदानुसार आदेशित किया जाएगा एवं जिन तीन उपरोक्त अभिलेखों की अप्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी है उनकी पुनः प्रमाणित छायाप्रतियाँ करायी जाएगी। दिनांक 10.09.2014 के पश्चात् आज तक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित नही किया गया है। अतः उपरोक्त छः अभिलेखों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियाँ के आभाव मे अधोहस्ताक्षरी आरोप पत्र सं0 निल दिनांक निल का उत्तर डा0 अजय शंकर पाण्डेय, अपर आयुक्त कार्यालय आयुक्त मेरठ मण्डल के पत्र सं0 1096/28–86/2012–14 दिनांक 28.05.2014 के अनुपालन मे प्रस्तुत नही कर सका। उपरोक्त छः अभिलेखों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियों के आभाव मे अधोहस्ताक्षरी आरोप पत्र सं0 निल दिनांक निल का अपूर्ण उत्तर तो प्रस्तुत कर सकता है परन्तु पूर्ण उत्तर हेतु उपरोक्त छः अभिलेखों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियाँ आवश्यक है।

6– अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30.04.2011 को सेवानिवृत्त के उपरान्त से स्वास्थय मे निरंतर गिरावट है क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मे सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान दिनांक 12.11.2009 को हृदय पश्घात (हार्ट अटैक) हुआ था व फोर्टिस हास्पिटल नौएडा मे उपचार किया गया था जिससे सम्बन्धित सभी अभिलेख गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मे व्यक्तिगत पत्रावली मे उपलब्ध है। सेवानिवृत्त के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी का उपचार निरंतर उच्च रक्त चाप (हाई ब्लड प्रेशर), मधुमेह रोग (डायबिटीज) एवं हृदय रोग

पृष्ठ–3

का लखनऊ मे चल रहा है।यहा यह उल्लेखनीय है कि पूर्व मे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.06.2015 से 01.07.2015 तक पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के सन्दर्भ मे बैंगलूर मे रहना निश्चित एवं आवश्यक है, जिसे टाला जाना सम्भव नही हो पा रहा है इसी कारण उपरोक्त निर्धारित तिथि दिनांक 30.06.2015 को आपके कार्यालय मे उपस्थित होना सम्भव नही हो पा रहा हूँ, मैं दिनांक 02.07.2015 को लखनऊ मे पहुचूँगा एवं अनुरोध है कि दिनांक 02.07.2015 के दो सप्ताह के बाद की कोई तिथि निर्धारित करने का कृपा करे, जिससे मैं आपके समक्ष आदेशानुसार उपस्थित हो सकू।

अतः विनम्र अनुरोध है कि दिनांक 30.06.2015 के स्थान पर दिनांक 02.07.2015 के दो सप्ताह बाद अधोहस्ताक्षरी को आपके समक्ष उपस्थित होने की तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे व सूचित करे तथा उसके पूर्व उपरोक्त छः अभिलेखों की सत्यप्रमाणित छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहे।

दिनांकः– 23-06-2015

प्रार्थी,

23/6/15

(अमृत पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
मो0नं0:–09415019458
निवास फोन नं0–0522–2391177

**प्रतिलिपिः**–श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, विशेषकार्यधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद को आपके पत्र सं0 284/प्रशासन अनुभाग/2014 दिनांक 18.06.15 के क्रम मे उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/6/15

(अमृत पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)

(79)

प्रेषक,

अमृत पाल सिंह
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
के–1 कहकशा, अवध अपार्टमेन्ट
विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

सेवा में,

जाँच अधिकारी / आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ,

विषयः– विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही–कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.01.2014 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

महोदय,

कृपया सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–199 / 4ईई–ई0 / (टी0एच0 ए0,जेड0–8) / 2015 दिनांक 19.09.2015 द्वारा दिनांक 28.09.2015 को आपके समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिये है, एवं विशेषकार्यधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक 284 / प्रशासन अनुभाग / 2014 दिनांक 18.06.2015 के उत्तर में प्रार्थी द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 23.06.2015 एवं आपके पत्र संख्या–1096 / 28–86 / 2012–14 दिनांक 28.05.2014 व पत्र संख्या–1206 / 28–86 / 2012–14 दिनांक 24.06.2014 जो डा0 अजय शंकर पाण्डेय अपर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित है एवं प्रार्थी के पत्र दिनांक 09 जून 2014 एवं 10 जुलाई 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 09 जून 2014 एवं 10 जुलाई 2014 द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

1. प्रार्थी को मधुबन बापु धाम योजना का अधिशासी अभियन्ता के पद पर जिस आदेश से कार्यभार सौंपा गया था उक्त आदेश की प्रति।
2. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के अनुबन्ध की प्रतियॉं ।
3. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के निविदा एवं भुगतान की समस्त पत्रावली की प्रतियॉं ।
4. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के भण्डारण किये जाने सम्बन्धी आदेश की समस्त पत्रावली की प्रतियॉं ।
5. मधुवन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के स्टाक रजिस्टर की प्रतियॉं।
6. केन्द्रीय विद्युत स्टोर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्टाक रजिस्टर 01.07.2009 से 30.04.2011 तक की प्रतियॉं ।
7. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के समस्त माप पुस्तिकाओं की प्रतियॉं ।
8. मधुबन बापु धाम योजना के समस्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के देयकों के वाउचर्स की प्रतियॉं ।

सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–127 / 4 / ईई–ई(GMP) / 2014 दिनांक 19.08.2014 के अनुपालन में प्रार्थी ने अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार वर्मा को दिनांक 10.09.2014 को सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय भेजा था। दिनांक 10.09.2014 को कार्यालय सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा केवल उल्लिखित कम संख्या–2 एवं 3 की सत्य प्रमाणित

छाया प्रतियॉ एवं कमांक 4, 6 एवं 8 की अप्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध करायीं तथा उल्लिखित कम संख्या एवं कमांक 1,5 एवं 7 की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध होने पर प्रार्थी को सूचित करने का आश्वासन दिया गया जिससे कि तब कम संख्या 1, 5 एवं 7 की सत्य प्रमाणित छाया प्रतियॉ प्राप्त कर लें और तत्पश्चात अपना पूर्व उत्तर प्रार्थी आपको प्रेषित कर सके परन्तु बारह माह की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी कम संख्या 1, 5 एवं 7 के सम्बन्ध में कोई सूचना सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुयी है। जिसका उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.06.2015 द्वारा सूचित किया गया है।

उपरोक्त अपूर्ण अभिलेखों को दृश्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपना अपूर्ण उत्तर प्रस्तुत कर रहा है एव कम संख्या 1, 5 एवं 7 के अभिलेखों के मिलने के पश्चात अपना पूर्ण उत्तर प्रेषित करेगा। प्रार्थी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपवार अपूर्ण उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य उल्लिखित करना आवश्यक है :–

1. यह कि प्रार्थी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दिनांक 07.07.2010 से 30.04.2011 तक अधिशासी अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यरत था। और तत्पश्चात सेवानिवृत्ति हो गया था। प्रार्थी को यह स्मरण नहीं है कि मधुबन बापू धाम योजना के विद्युतीकरण का कार्य प्रार्थी को कार्यभार कब सौपा गया था इसलिए प्रार्थी ने उल्लिखित कम संख्या–01 के आदेशों की सत्य प्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है। परन्तु प्राप्त पत्रावलियॉं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिशासी अभियन्ता के रूप मे मेरे द्वारा प्रथम बार दिनांक 27.09.2010 उपलब्ध पत्रावलियो पर हस्ताक्षर किये गये है। जबकि उपरोक्त योजना का कार्य दिनांक 05.11.2009 से चल रहा था।

उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मै0 सरटैक कन्सलटेन्ट द्वारा पॉवर प्वाइंट प्रेजन्टेशन के पश्चात अन्तिम डी0पी0आर0 दिनांक 15.06.2009 को प्रस्तुत की गयी थी और मेरी तैनाती अधिशासी अभियन्ता के पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही दिनांक 05.11.2009 को 10 अलग अलग अनुबन्ध निष्पादित किये गये। इस प्रकार निविदा आमन्त्रण एवं अनुबन्ध किये जाने तक अधिशासी अभियन्ता के रूप मे मेरा कोई भी सरोकार नही रहा है। उपरोक्त योजना के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु अनुबन्ध सम्पादित हो जाने के उपरान्त पत्रावलियों के अनुसार दिनांक 27.09.2010 के उपरान्त ही (अर्थात् 11 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त) मेरे द्वारा उक्त योजना का कार्य देखा जाना प्रारम्भ किया होगा। समस्त अनुबन्धों मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चलित देयकों का भुगतान मेरे से पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा किये गये है। लगभग सभी अनुबन्धों में 60 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका था। ऐसी परिस्थिति में कार्य को पूर्ण कराये जाने के अलावा कोई विकल्प अवशेष नही था, तथा विद्युत समाग्री की स्थल भण्डारन के सम्बध मे एव सुरक्षा की दृष्टि को आधार बनाते हुए फर्म की सुरक्षा में उपरोक्त योजना के पास फर्म के भूखण्ड पर पक्का फर्श बनाते हुए सामाग्री रखी गई थी। जिसका उल्लेख समस्त पत्रावलियों/अनुबन्धों मे प्रथम चलित देयक से ही निम्न प्रकार की टिप्पणी की गयी है।

*"कृपया साईट पर अभी कोई स्टोर/यार्ड निर्मित नही है। अतः खुले स्थान पर साम्रगी रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध मे विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि आपूर्ति की गयी सामग्री फर्म की सुरक्षा में ही रखी जाए। क्योकि यह फर्म द्वारा ही स्थापित की जानी है। मधुबन बापूधाम योजना में कोई पक्का स्थल एवं चार दीवारी न होने के कारण फर्म इसे अपने ही सुरक्षा में योजना के समीप आइडियल इन्स्टीट्यूट से सटी जमीन पर स्टोर बनाने की व्यवस्था की है। वहीं पर फर्म अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है।"*

इस टिप्पणी पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता श्री अनिल गर्ग को अग्रसारित किया गया, जिसे मुख्य

28/9/15

अभियन्ता द्वारा वित्त नियंत्रक को अग्रसारित किया गया जिस पर श्री बृजेश कुमार सहायक लेखाकार, श्री दिनेश कुमार यादव लेखाकार, वित्त नियंत्रक श्री चौधरी, सचिव श्री नरेन्द्र कुमार एवं उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी के उपरान्त प्रथम चलित भुगतान किये गये है। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन उच्च अधिकारियों द्वारा खुले स्थान पर भण्डारन किया जाना समुचित माना गया और तदानुसार प्राप्त सामग्री खुले स्थान पर रखी गयी।

विद्युत संयत्रों का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति मे विद्युत संयत्रों का भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप मे किया जाना उचित नही था क्योकि समस्त मधुबन बापू धाम योजना के अनुबन्धों मे अधिकांश सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग लिया गया है। ऐसे में आपूर्ति प्राप्त करके 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति प्रथम चलित से ही की गयी है। जिसे आगे भी उसी क्रम मे किया गया है। 90 प्रतिशत भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध मे सिक्योरिटी के रूप मे सिक्योरिटी हेतु अलग–अलग धनराशि अलग–अलग अनुबन्धों मे काटी गयी है, एवं बैक गारन्टी भी फर्म द्वारा जमा की गयी है। प्रथम चलित देयक से ही प्राधिकरण मे प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है। जहाँ तक प्राप्त विद्युत संयत्रों के स्टाक रजिस्टार तैयार कराने का प्रश्न है इस सन्दर्भ मे पत्रावलियों के अवलोकन के उपरान्त एव स्मरण के आधार पर अवगत कराना उचित होगा कि मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रथम तिमाही–2010 की किसी तिथि को स्टोर अधिकारी द्वारा मदवार सामाग्री को स्टाक बुक मे इन्द्राज करने एवं अग्रिम कार्यवाही किये जाने की आदेश किये गये है। जिसकी सूचना मांगी गई परन्तु अप्राप्त है। अतः प्राप्त सामग्री का स्टाक बुक मे इन्द्राज करते हुए एवं इन्डेन्ट के माध्यम से ठेकेदार को कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने हेतु निर्गत किये है जो कि समस्त पत्रावलियों के अभिलेखों मे प्रथम तिमाही 2010 की तिथियो से दर्ज है।

मेरे द्वारा अधिशासी अभियन्ता के रूप मे दिनांक 07 जूलाई 2010 को पदोन्नति के उपरान्त पत्रावलियों के आधार एवं स्मरण के आधार पर माह सितम्बर–2010 के अन्तिम सप्ताह अथवा अक्टूबर-10 के प्रथम सप्ताह को मधुबन बापू धाम योजना का कार्यभार सौंपा गया। इसकी तात्विक स्थिति की जानकारी हेतु सूचना मांगी गयी थी जो कि अभी तक अप्राप्त है इसी कारण स्मरण के आधार पर अवगत कराया जा रहा है। लगभग सभी पत्रावलियों मे जब भी पत्रावली प्रथम बार अधिशासी अभियन्ता की हैसियत से प्राप्त हुई इन्डेन्ट के माध्यम से ठेकेदार को निर्गत की गयी तथा ठेकेदार से इस आशय का प्रथम बार इण्डेमिनिटी बाण्ड भी लिये गये एवं पूर्व मे ही जैसा कि अवगत कराया गया है कि आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य अलग–अलग होने के कारण किसी भी मद का अतिरिक्त भुगतान नही किया गया है क्योंकि 90 प्रतिशत भुगतान के उपरान्त सिक्योरिटी डिपाजिट धनराशि भी काटी गयी है। जिसमे इसका स्पष्ट उल्लेख कराया गया कि यू.पी.पी.सी.एल. को हस्तान्तरण के 1 वर्ष तक वारण्टी/गारण्टी फर्म की होगी, इस प्रकार यह कथन कि उपरोक्त योजना हेतु क्रय की गयी सामग्री का स्टाक रजिस्टर नही तैयार किया गया बेबुनियाद/आधारहीन है।

पूर्व मे सम्बन्धित पत्रावलियों पर सम्प्रेक्षा अधिकारी द्वारा आडिट न किये जाने के सम्बन्ध मे आडिट कराये जाने हेतु सम्प्रेक्षा अधिकारी को समस्त पत्रावलियों को अलग–अलग मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी। अधिशासी अभियन्ता के रूप में मधुबन बापू धाम योजना का कार्य भार ग्रहण करने के उपरान्त प्रथम बार जो भी पत्रावली प्राप्त हुई उसे सर्व प्रथम विभागीय सम्प्रेक्ष अधिकारी को समस्त पत्रावलियॉ अडिट कराये जाने हेतु भेजी गयी जिसका उल्लेख समस्त पत्रावलियों की नोटशीट पर अंकित है। इस प्रकार यह आरोप भी आडिट न कराया जाना एवं अधिक भुगतान किया जाना बेबुनियाद/आधारहीन है।

जहाँ तक विद्युत संयत्रो के सरक्षण के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि प्रथम चलित देयको से ही इसकी अनुमति पूर्ववतर्ती अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी। जिसका उल्लेख पूर्व मे किया गया है एवं इस प्रक्रिया को जब उच्च अधिकारियों द्वारा उचित माना गया था तो ऐसी परिस्थिति मे मेरे द्वारा मधुबन बापू धाम योजना कार्य देखते समय पुनः उठाये जाने का कोई औचित्य

20/9/15

नही था, जबकि तत्समय मा0 कांशीराम आवासीय योजना एवं सबको आवास योजना के अन्तर्गत मधूबन बापू धाम मे बन रहे आवास को जून–2011 तक भौतिक कब्जा दिया जाना आवश्यक था। इसे दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक था कि सिविल कार्य के साथ–साथ विद्युत सम्बन्धी कार्य मे भी प्रगति लायी जाये। पूर्व मे लगभग 1 वर्ष तक कोई भी भौतिक कार्य नही हो पाया था, जिसे मेरे द्वारा केबिल टेन्च की डिजाइन अनुमोदित कराकर अधिशासी अभियन्ता सिविल को उपलब्ध करायी गयी एव शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया गया जिससे स्थल कार्य प्रारम्भ हुआ एवं 4 अलग–अलग स्थालो पर 33/11 के0बी0 सबस्टेशन की भूमि चिन्हित कराते हुए उक्त स्थलों पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य अलग–अलग तिथियों मे भूमि पूजंन करते हुए शिलान्यास उपाध्यक्ष महोदय के कर कमलो से कराये गये जिससे स्थल पर कार्य प्रारम्भ हुआ। अधोहस्ताक्षरी के अथक प्रयास एवं समन्वय स्थापित कर 220 के0बी0 भूमि का चयनिकरण कराते हुए सब स्टेशन के निर्माण हेतु सूचना भासन स्तर पर भिजवाई गयी।

यहॉ पर यह भी उल्लेख करना है कि मधुबन बापू धाम योजना धाम की समस्त सामाग्री का उपयोग वर्तमान में किया जा चुका है। जो कि लगभग 90 प्रतिशत यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित एंव उर्जीकृत है। इस प्रकार किसी भी सामाग्री का क्षरण नही हुआ है।

**आरोप संख्या–01**

विद्युत संयत्रों के आपूर्ति व स्थापना सम्बन्धी निविदाओं में स्थापना का कार्य भी सम्मिलत था परन्तु विद्युत संयत्रों का स्थापन न कराकर मात्र आपूर्ति किये जाने पर ही निविदा की शर्तो के विपरीत भुगतान कराया गया, जिसके लिए आप दोषी है।

**प्रार्थी का उत्तर**

अधिकांश मदें आपूर्ति एवं स्थापना का उल्लेख अलग–अलग है। जिसके अनुसार उक्त दोनो मदों को एक साथ कार्यवाही नहीं हो सकती। अन्य मदों मे आपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थापना का कार्य हो सकता है, क्योकि आपूर्ति लिए जाने से पूर्व निर्माता की फैक्ट्री मे यू.पी.पी.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निरीक्षण उपरान्त संतोषजनक पाये जाने की स्थिति मे आपूर्ति प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्व में ही सम्पादित हो रही थी। जिसे मेरे द्वारा जारी रखा गया। इस प्रकार यह आरोप कि नियमो के विपरीत भुगतान किया गया है, बेबुनियाद एवं आधारहीन है।

**आरोप संख्या–02**

विद्युत संयत्रों के स्थापना का कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में प्राप्त विद्युत संयत्रों के भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। नियमों के विपरीत अन्तिम भुगतान करने व प्राप्त विद्युत संयत्रो का स्टाक रजिस्टर तैयार न कराने के लिए आप दोषी है।

**प्रार्थी का उत्तर :–**

किसी भी सामाग्री अथवा कार्य का अग्रिम भुगतान अधिशासी अभियन्ता के रूप कार्यरत होते हुए नही किया गया है, क्योकि सामाग्री प्राप्त करने के उपरान्त स्टाक बुक में सामाग्री को इन्द्राज करते हुये भुगतान हेतु अग्रसारित किया है। जैसा कि समस्त पत्रावलियों में उल्लेख है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया गया है। अतः उपरोक्त आरोप बेबुनियाद एवं आधारहीन है।

**आरोप संख्या–03**

आप द्वारा कय किये गये विद्युत सयत्रों का संरक्षण की उचित व्यवस्था न करने के दोषी है।

M.P.
28/9/15

(78)

प्रार्थी का उत्तरः–

विद्युत संयन्त्रों का सरक्षण एवं स्कोयरटी जिम्मेदारी का उल्लेख मेरे से पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता ने पत्रावली पर पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर ली थी। जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है। पुनः उल्लेख किया गया जा रहा है जो निम्न प्रकार है।

*"कृपया साईट पर अभी कोई स्टोर/यार्ड निर्मित नही है। अतः खुले स्थान पर साम्रगी रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध मे विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि आपूर्ति की गयी सामग्री फर्म की सुरक्षा में ही रखी जाए। क्योकि यह फर्म द्वारा ही स्थापित की जानी है। मधुबन बापूधाम योजना में कोई पक्का स्थल एवं चार दीवारी न होने के कारण फर्म इसे अपने ही सुरक्षा में योजना के समीप आइडियल इन्स्टीट्यूट से सटी जमीन पर स्टोर बनाने की व्यवस्था की है। वहीं पर फर्म अपनी सुरक्षा में सामग्री रखी है।"*

इस प्रकार यह कथन विद्युत विद्युत संयत्रों का संरक्षण की उचित व्यवस्था न करने के दोषी है। आरोप बेबुनियाद एवं आधारहीन है।

आरोप संख्या–04

आप द्वारा समबन्धित विद्युत संयों कय सम्बन्धी पत्रावली पर आडिट आपत्ति कि समान के क्रय करने का क्या औचित्य है, उसके प चात्भी आपूर्तियाँ प्राप्त की गयी और उनका भुगतान किया गया, जिसके लिए आप दोशी है।

प्रार्थी का उत्तरः–

आडिट के सम्बन्ध में इसी पत्र में उपरोक्त में वर्णित है कि मेरे द्वारा अधिशासी अभियन्ता के रूप में मधुबन बापू धाम योजना का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुपालन में समस्त पत्रावलियॉ सम्प्रेक्षा अधिकारी को आडिट किये जाने हेतु अग्रसारित की गयी। आडिट कराये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की गयी। मेरे द्वारा मधुबन बापू धाम योजना का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व 65 प्रतिशत सामाग्री कय की जा चुकी, और योजना में कार्य प्रारम्भ नही हो पाया था। यह आवश्यक था कि योजना में कार्य प्रारम्भ कराया जाये, एवं सामाग्री अवशेष है उसका भण्डारन भी करवाया जाये। इसका उल्लेख उपरोक्त पत्र में पूर्व में विस्तृत किया गया है। अतः यह आरोप भी निराधार एवं बेबुनियाद है। उपरोक्त आपूर्ण उत्तर से सहमत न होने की दशा में अनुरोध है कि जो अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये है जिसका उल्लेख पत्र के प्रारम्भ में ही अंकित है। उनके उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त पूर्ण उत्तर दिये जाने का अवसर प्रदान करने का कष्ट करे।

दिनांकः– 28.09.2015

प्रार्थी

28/9/15

(अमृत पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
मोबाईल नं 9415019458

| | | | | | Payment by E.E. Sri R.S. Sharma | Payment by E.E. Sri A.P. Singh | Payment by E.E. Sri R.N. Tripathi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil kumar & Company | मधुवन योजना के अन्तर्गत सब स्टेशन नं0 –5, 33 के0वी0 सबस्टेशन के अन्तर्गत बाह्य विद्युतीकरण का कार्य। | 66,962,289.00 | 1st & 2nd running bill | 3rd & 4th running bill | - |
| 2 | 762 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के स्टेशन संख्या–7 के अधीन बाह्य विद्युतीकरण का कार्य। | 230,440,943.00 | 1st to 4th running bill | 5th to 7th running bill | - |
| 3 | 763 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सबस्टे ान नं0 2 एवं सबस्टेशन नं0 3 के अधीन बाह्य विद्युतीकरण एवम् शिफ्टिंग का कार्य। | 135,423,489.00 | 1st & 2nd running bill | 3rd to 5th running bill | - |
| 4 | 764 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil Kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के 33/11 के0वी0 सबस्टेशन का निर्माण कार्य। | 291,324,041.00 | 1st running bill | 2nd to 5th running bill | 6th running bill |
| 5 | 766 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil Kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सबस्टेशन नं0 8 के अधीन बाह्य विद्युतीकरण एवं शिफ्टिंग का कार्य तथा 30 मीटर एवं 45 मीटर चौडी सडकों पर प्रका ा व्यवस्था का कार्य। | 203,416,380.00 | 1st to 3rd running bill | 4th to 5th running bill, | Deviation has been approved later on. |
| 6 | 767 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil Kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सबस्टेशन नं0 6 के बाह्य विद्युतीकरण एवं शिफ्टिंग का कार्य। | 173,775,965.00 | 1st to 4th running bill | 5th to 7th running bill | - |
| 7 | 768 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil Kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सबस्टेशन नं0 1 के बाह्य विद्युतीकरण एवं शिफ्टिंग का कार्य। | 109,190,105.00 | 1st to 4th running bill | 5th running bill | - |
| 8 | 769 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S Anil Kumar & Company | मधुबन बापूधाम योजना के बल्क लोड हेतु 33 के0वी0 केबिलिंग एवं पैनल की आपूर्ति एवं संस्थापना का कार्य। | 246,209,770.00 | 1st to 3rd running bill | 4th to 5th running bill | - |
| 9 | 771 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S N.K.G. | मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सबस्टेशन नं0 4 के अधीन बाह्य विद्युतीकरण का कार्य। | 212,203,494.00 | 1st to 4th running bill | 5th to 6th running bill | - |
| 10 | 772 FC/EEE/09 DT. 09-11-2009 | M/S N.K.G. | मधुबन बापूधाम योजना के बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु पोल/फिक्चरर्स की आपूर्ति। का कार्य। | 202,243,347.00 | 1st to 5th running/final bill | - | - |

## Payment made by Executive Enginer Shri R.S. Sharma

### Agement No. 761

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stRuning | 26-02-2010 | 44282969.00 | 904221.00 | 188441.00 | 41570307.00 |
| 2 | 2ndRuning | 17-04-2010 | 5773222.00 | 121542.00 | 243083.00 | 5408597.00 |

### Agement No. 762

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stRuning | 07.01-2010 | 13784424.00 | 275689.00 | 551377.00 | 12957358.00 |
| 2 | 2ndRuning | 25-02-2010 | 19459722.00 | 395195.00 | 790389.00 | 18574138.00 |
| 3 | 3rd Runing | 31-03-2010 | 37166729.00 | 743335.00 | 1486671.00 | 34936723.00 |
| 4 | 4th Runing | 13-05-2010 | 19430016.00 | 388602.00 | 777204.00 | 18464290.00 |

### Agement No. 763

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stRuning | 28-01-2010 | 63794429.00 | 1286146.00 | 2572292.00 | 59935991.00 |
| 2 | 2ndRuning | 13-05-2010 | 80247580.00 | 168943.00 | 337885.00 | 7517930.00 |

### Agement No. 764

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stRuning | 13-05-2010 | 3986752.00 | 79735.00 | 159470.00 | 3747547.00 |

### Agement No. 766

| N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stRuning | 29-01-2010 | 35999808.00 | 719997.00 | 143993 | 33839818.00 |
| 2 | 2ndRuning | 06-03-2010 | 36070722.00 | 721445.00 | 1442829.00 | 33906448.00 |
| 3 | 3rd Runing | 13-05-2010 | 28700811.00 | 594561.00 | 1189134.00 | 26917110.00 |

### Agement No. 767

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stRuning | 08-01-2010 | 17616741.00 | 352335.00 | 704670.00 | 16559736.00 |
| 2 | 2ndRuning | 26-02-2010 | 28944298.00 | 57886.00 | 113772.00 | 27207640.00 |
| 3 | 3rd Runing | 06-03-2010 | 33285020.00 | 676728.00 | 1353456.00 | 31254836.00 |
| 4 | 4th Runing | 13-05-2010 | 2107284.00 | 44364.00 | 88728.00 | 1974192.00 |

| Agement No. 768 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
| 1 | 1stRuning | 6/1/2010 | 36604533.00 | 732091.00 | 1464182.00 | 34408260 |
| 2 | 2ndRuning | 28-01-2010 | 24451453.00 | 507478.00 | 1014955.00 | 22929020.00 |
| 3 | 3rd Runing | 13-05-2010 | 7639089.00 | 160823.00 | 321646.00 | 7156620.00 |
| 4 | 4th Runing | 2/2/2010 | 13676523.00 | 287927.00 | 5755854.00 | 12812742.00 |
| **Agement No. 769** | | | | | | |
| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
| 1 | 1stRuning | 06-03-2010 | 69608250.00 | 1392165.00 | 2784330.00 | 65431755.00 |
| 2 | 2ndRuning | 31-03-2010 | 60507737.00 | 1243593.00 | 2487186.00 | 56776958.00 |
| 3 | 3rd Runing | 17-04-2010 | 45370657.00 | 955172.00 | 1910344.00 | 42505141.00 |
| **Agement No. 771** | | | | | | |
| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
| 1 | 1stRuning | 27-03-2010 | 37884092.00 | 841869.00 | | 3704223.00 |
| 2 | 2ndRuning | 16-04-2010 | 31972359.00 | 710497.00 | 1552366.00 | 29709496.00 |
| 3 | 3rd Runing | 14-05-2010 | 4915363.00 | 98307.00 | 98307.00 | 4718749.00 |
| 4 | 4th Runing | 16-08-2010 | 67464360.00 | 1510131.00 | 1510131.00 | 64444098.00 |
| **Agement No. 772** | | | | | | |
| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
| | 1stRuning | 05-03-2010 | 52944533.00 | 1176546.00 | | 51767987.00 |
| 2 | 2ndRuning | 22-03-2010 | 21645309.00 | 483510.00 | | 21161799.00 |
| 3 | 3rd Runing | 16-04-2010 | 12437752.00 | 292653.00 | | 1245099.00 |
| 4 | 4th Runing | 16-05-2010 | 57310933.00 | 1129333.00 | | 56181600.00 |
| 5 | 5th Runing | 12-07-2010 | 37679485.00 | 962826.00 | | 36716659.00 |

*Payment made by Executive Enginer Shri A.P. Singh*

## Agement No. 761

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3rd Runing | 29-11-2010 | 6667696.00 | 140313.00 | 280746.00 | 6246577.00 |
| 4 | 4th Runing | 31-03-2011 | 5336604.00 | 112350.00 | 224700.00 | 4999554.00 |

## Agement No. 762

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5th Runing | 29-09-2010 | 53374283.00 | 1121660.00 | 2243320.00 | 50909303.00 |
| 6 | 6th Runing | 29-12-2010 | 10208811.00 | 214923.00 | 429846.00 | 9564042.00 |
| 7 | 7th Runing | 10-03-2011 | 42316589.00 | 890875.00 | 1781750.00 | 39643919.00 |

## Agement No. 763

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3rd Runing | 12-10-2010 | 29397838.00 | 618902.00 | 1237804.00 | 27541132.00 |
| 4 | 4th Runing | 26-03-2011 | 9496007.00 | 199916.00 | 399832.00 | 8896259.00 |

## Agement No. 764

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ndRuning | 29-09-2010 | 3986752.00 | 1277809.00 | 2555614.00 | 60057026.00 |
| 3 | 3rd Runing | 13-10-2010 | 6322571.00 | 1277810.00 | 2555618.00 | 59289143.00 |
| 4 | 4th Runing | 18-12-2010 | 37168756.00 | 782490.00 | 1564980.00 | 34820786.00 |
| 5 | 5th Runing | 13-03-2011 | 39757373.00 | 836998.00 | 1673993.00 | 37246380.00 |

## Agement No. 766

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4th Runing | 12-10-2010 | 29999286.00 | 631562.00 | 1263123 | 28104601.00 |
| 5 | 5th Runing | 24-03-2011 | 19960014.00 | 420211.00 | 840422.00 | 18699381.00 |

## Agement No. 767

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Runing | 26-11-2010 | 32465818.00 | 683491.00 | 1366982.00 | 3041534.00 |
| 2 | 2nd Runing | 29-12-2010 | 16928841.00 | 356399.00 | 712994.00 | 15859450.00 |
| 3 | 3rd Runing | 23-03-2011 | 15722734.00 | 331005.00 | 662010.00 | 14729719.00 |

## Agement No. 768

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Runing | 28-03-2010 | 13383214.00 | 281752.00 | 563504.00 | 12537958.00 |

## Agement No. 769

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Runing | 04-11-2010 | 39384356.00 | 868812.00 | 1671624.00 | 37327130.00 |
| 2 | 2nd Runing | 30-03-2011 | 18970181.00 | 399373.00 | 7987745.00 | 1772063.00 |

## Agement No. 771

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Runing | 27-12-2010 | 5936742.00 | 139688.00 | 139688.00 | 56577366.00 |
| 2 | 2nd Runing | 29-04-2011 | 12897808.00 | 271533.00 | 271533.00 | 12354742.00 |

## Agement No. 772

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nil | | | |

## Payment made by Executive Enginer Shri R.N. Tripathi

### Agement No. 764

| S.N. | Runing Bill Amount | Date of payment | Bill Amount | IT | VAT | Net payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6th Runing | 23-10-2011 | 2039385336.00 | 246167.00 | 492334.00 | 9761616.00 |